खण्ड-288, अंक-3
बुधवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1893
(24 मार्च, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 288 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१२५–१२९
प्रश्नोत्तर	१३०–१५५
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्य-क्रम के संबंध में की गई सिफारिशों से संबंधित प्रस्ताव (स्वीकृत)	१५५
श्री रियासत हुसैन द्वारा दिनांक ८ जून, १९७० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के संबंध में शोधन वक्तव्य	१५६–१५७
१९७०–७१ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	१५८–१९२
१९७०–७१ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (स्वीकृत)	१९२
अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	१९२
अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	१९३
अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत)	१९३
अनुदान संख्या ९—निर्वाचन (स्वीकृत)	१९३
अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	१९३
अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	१९४
अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	१९४
अनुदान संख्या १४—कारागार (स्वीकृत)	१९४
अनुदान संख्या १५—पुलिस (स्वीकृत)	१९४
अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	१९५
अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत) ..	१९५
अनुदान संख्या १८—शिक्षा (स्वीकृत)	१९५
अनुदान संख्या १९—चिकित्सा (स्वीकृत)	१९५
अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	१९६
अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास (स्वीकृत) ..	१९६
अनुदान संख्या २३—पशु पालन तथा मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	१९६
अनुदान संख्या २४—सहकारिता (स्वीकृत)	१९६
अनुदान संख्या २५—उद्योग (स्वीकृत)	१९७
अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय (स्वीकृत) ..	१९७
अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवा योजन (स्वीकृत) ..	१९७
अनुदान संख्या २९—अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत) ..	१९७
अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण (स्वीकृत)	१९८
अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	१९८

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	१९८
अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं (स्वीकृत)	१९८–१९९
अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	१९९
अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्वीकृत)	१९९
अनुदान संख्या ३७—परिवहन (स्वीकृत)	१९९
अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत) ..	२००
अनुदान संख्या ४२—वन (स्वीकृत)	२००
अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	२००
अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	२००–२०
अनुदान संख्या ४९—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	२०११
अनुदान संख्या ५०—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	२०१
अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	२०१
अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	२०२
अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	२०२
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ (पारित)	२०२–२०६
१९७१–७२ के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२०६–२०७
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान विधेयक, १९७१ (पारित) ..	२०८–२१२
नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनाएं	२१२
नत्थियां	२१३–२२२

—:(०):—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ मार्च, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य--३९९

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी,
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डाक्टर मन्ना)
जगनन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री

ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिबेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनरायन मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री

प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद, शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हुसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजवती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री

रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री

शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा)
फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हीतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलास प्रकाश तथा शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार २४ मार्च, १९७१

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

जिला प्रतापगढ़ के लिये सिंचाई तथा विद्युत् प्रसार हेतु योजना

*१—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, डा० के० एल० राव ने राज्य सरकार को जिला प्रतापगढ़ में विद्युत् प्रसार तथा सिंचाई साधनों को बढ़ाने हेतु दिनांक २ मई, १९६९ को अपने सुझाव एक विस्तृत रिपोर्ट में प्रेषित किये हैं? यदि हां, तो उन सुझावों को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक कितनी कार्यवाही की गई?

सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

जी हां।

†सूचना संलग्न है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्र० सं० २ के उत्तर के लिए शिक्षा मंत्री के पुकारे जाने पर और उनके उपस्थित न होने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

शिक्षा मंत्री जो अनुपस्थित हैं, इस बारे में आप अपनी व्यवस्था दे दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह सदन का अवमान है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई शक नहीं है। यह बहुत अनुचित है कि शिक्षा मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। अगर वे किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकते थे तो दूसरे किसी मंत्री या अपने उपमंत्री को उन्हें उत्तर देने के लिये समय से भेज देना चाहिये था।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्रि परिषद् ने इस्तीफा दे दिया हो। कोई भी मंत्री उत्तर देने के लिये खड़ा नहीं हुआ है। सदन में कोई सरकार नहीं है।

श्री त्रिवेणी—

यह सरकार फेल हो चुकी है। सरकारी पक्ष से कोई जवाब नहीं आ रहा है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष—

आप अव्यवस्था को दूर करने के लिये क्यों अव्यवस्था कर रहे हैं? दुबारा आप क्यों बोल रहे हैं?

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

श्रीमन्, यह सचमुच बड़े खेद का विषय है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों के पास फाइल नहीं भेजी। मैं मंत्रिमंडल की ओर से खेद प्रकट करता हूं। अब त्रिपाठी जी आ गये हैं, वे प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह—

मंत्री जी के पास फाइल नहीं है। वे उत्तर देने के लिये तैयार होकर नहीं आये हैं। उनकी भर्त्सना की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

भर्त्सना तो हो गयी और एक मंत्री ने क्षमा भी मांग ली है।

देहरादून के माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें

*२—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून के माध्यमिक शिक्षक संघ ने दिनांक २६ सितम्बर, १९६९ को सर्किट हाउस, देहरादून में प्रदेश के शिक्षा निदेशक को शिष्टमंडल के रूप में मिल कर एक ४१ सूत्री मांग-पत्र दिया था? यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त मांग-पत्र पर क्या कार्यवाही की?

शिक्षा राज्य मंत्री (राजा विजय कुमार त्रिपाठी)—

जी हां। मुख्य मांगें शासन द्वारा मान ली गई थीं। अन्य मांगों पर विशेष विवरण यदि दिये जायें तो कार्यवाही सम्भव होगी। कुछ मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अध्यापकों की जो मुख्य मांगें स्वीकार की गयी हैं वे कौन-कौन सी हैं क्या उनको लागू कर दिया गया है?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

उनकी करीब ४० मांगें थीं। उसमें मुख्य मांग यह थी कि महंगाई भत्ता अन्य राज्य कर्मचारियों के समान दिया जाय। दूसरी मांग यह थी कि वेतन मानों का पुनरीक्षण किया जाय। इनके संबंध में आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि महंगाई भत्ता सरकारी अध्यापकों के समान करने के आदेश कर दिये गये हैं तथा वे कब से लागू होंगे?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

समस्त सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप देने के आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं। इसके लिये एक आयोग का गठन किया जा रहा है। वह सिफारिश करेगी उसके अनुरूप किया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, अभी इन्होंने यह कहा था कि उनकी मुख्य मांग स्वीकार कर ली गई हैं कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के समान दिया जायेगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि वेतन आयोग बिठाया जा रहा है तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा कि उनकी मांग स्वीकार कर ली गई हैं बल्कि यह कहा कि उनकी कुछ मांगें स्वीकार कर ली गई हैं और कुछ विचाराधीन हैं। उनकी मुख्य मांग यह थी कि राजकीय कर्मचारियों के समान उनको भत्ता दिया जाय। इसको पूर्ण रूप से नहीं माना गया है। कुछ महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो मांग स्वीकार कर ली गई है वह कौन सी है ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

उनको नियमित रूप से वेतन दिलाया जाय सरकारी खजाने से अथवा बैंक द्वारा चेक से, अध्यादेश द्वारा बैंक से वेतन दिलाने की व्यवस्था कर दी गई है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला—टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली है कि इनको सरकारी अध्यापकों के समान महंगाई भत्ता दिया जायेगा ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि एक आयोग बिठाया गया है, उसके पास यह प्रश्न विचाराधीन है। उसकी सिफारिश आने के पश्चात् कोई घोषणा हो सकेगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं इस तरफ बैठा हुआ भी असंतोष प्रगट करता हूं और यह जानना चाहूंगा कि उनकी मुख्य मांग यह थी कि उनको वेतन चेक द्वारा दिलाया जाय, तो वह किस महीने से दी जायेगी ? यदि यह लैप्स अध्यादेश में रह गया है तो क्या कोई आज्ञा प्रसारित की गई कि इनको पहली अप्रैल से चेक से वेतन दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

आदेश प्रसारित हो गये हैं और कब से लागू होगा इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैं जानना चाहता हूं कि अभी यह बताया गया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर दी गई है, तो वह क्या है और कब से दी गई है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, पूरा विवरण मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य को मंगा कर दे दूंगा।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

अभी मंत्री जी ने बताया कि आयोग बिठाया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी मांगें हैं जो विचाराधीन हैं ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी---

यह तो इस समय बताना कठिन है। उनकी ४० मांगें हैं। उसके पास कुछ भेजी जायंगी। उनका इस समय बताना हमारे लिये ममकिन नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि उनकी ४० मांगें हैं और कुछ मान ली गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को १२/१४ महीने से वेतन नहीं मिला है तो उनको दिलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है? चालीस सूत्री मांग शिक्षा निदेशक महोदय के समक्ष गई थी। उसमें से एक मांग यह भी थी कि उन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जहां के शिक्षकों को १४ महीने से वेतन नहीं मिला है, उसको दिलाने की व्यवस्था की जाय। तो क्या सरकार ने उस मांग के सिलसिले में जो एक प्रमुख मांग थी, कोई ऐसी व्यवस्था की है कि उन विद्यालयों के प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप भाषण दे रहे हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

क्या उस आयोग का गठन हो गया है और उसको अध्यापकों की इन मांगों को स्पष्ट रूप से रेफर किया गया है या नहीं? शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, बता दें।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---

आयोग का गठन होने वाला है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

आयोग का गठन अभी हुआ नहीं और शिक्षा मंत्री ने जवाब यह दे दिया कि शिक्षकों की मांगों को उसके पास भेजा जा चुका है। तो दोनों में से कौन सही है? सदन को जानबूझ कर क्यों गुमराह किया गया, इसका स्पष्टीकरण सरकार की ओर से आना चाहिये।

श्री कैलाश प्रकाश---

जवाब दोनों सही है। शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा मंत्रालय से यह भेज दिया है कि क्या-क्या चीजें सम्मिलित की जायं और वित्त मंत्रालय उन चीजों को देख कर घोषणा प्रसारित करने वाला है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

श्रीमन्, सदन की मर्यादा की रक्षा आपसे होनी है और मंत्रि-परिषद् को स्पष्ट जवाब देना चाहिये।

(व्यवधान)

मैं आपके द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा चाहती हूं। मंत्री जी ने जो कहा वह भी गलत-बयानी है। जब आयोग का गठन ही नहीं हुआ है तो उसके पास कोई चीज भेजने का सवाल कैसे उठता है। दोनों उत्तरों का स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

शिक्षा मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने यह बात कही कि आयोग के सामने उनकी मांगें भेज दी गयी हैं?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

मैंने यह कहा था कि एक आयोग का गठन हो रहा है। उसके सामने यह मांगें भेज दी जायेंगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं कार्यवाही देख लूंगा। जैसी बात आपने कही वैसी अगर उन्होंने ऐसी कही होगी तो उनको रिगरेट एक्सप्रेस करनी पड़ेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

बैंकों से अध्यापकों को वेतन दिलाने का जो नया आदेश सरकार जारी कर रही है उसमें क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि सभी शिक्षण संस्थायें जो कि मान्यता प्राप्त हैं उनके सब अध्यापकों को पूरा वेतन ठीक समय से मिल सके ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

केवल मान्यता प्राप्त होने से हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जिन शिक्षण संस्थाओं को सरकार सहायता देती है, उनके अध्यापकों की जिम्मेदारी सरकार लेगी।

आर्य कन्या पाठशाला, इन्टर कालेज, इलाहाबाद की अध्यापिकाओं को निकालना

*३—श्री राम गोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या पाठशाला, इन्टर कालेज, इलाहाबाद की प्रबन्ध समिति ने २३ अध्यापिकाओं को २१ मई, १९७० से निकाल दिया है ? क्या यह भी सत्य है कि इनमें से अनेक अध्यापिकायें २ या ५ वर्ष से अधिक की अवधि से विद्यालय में पढ़ा रही थीं ? यदि हां, तो किस कारण से निकाला गया ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

केवल १४ अध्यापिकाओं को नियुक्ति अननुमोदित होने के कारण निकाला गया था। इनमें से कोई भी अध्यापिका निकाले जाने की तिथि से २ या ५ वर्ष से अधिक विद्यालय में नहीं पढ़ा रही थी। उनमें से ५ अध्यापिकाओं की पुनर्नियुक्ति हो चुकी है।

श्री राम गोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ५ अध्यापिकायें रख ली गई हैं वह कितने वर्षों से काम कर रही थीं और उनके नाम क्या-क्या हैं ? श्रीमन्, यह तब हुआ जब कि वहां पर श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी, भूतपूर्व राज्य मंत्री प्रधानाचार्य थीं ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

जिन १४ अध्यापिकाओं को अननुमोदित होने के कारण निकाला गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

सर्व श्रीमती सुरेन्द्र बाला कपूर, नयनतारा, सुशीला श्रीवास्तव, पुष्पलता जौहरी, नीलम श्रीवास्तव, प्रियम्बदा देवी, निर्मला गुप्ता, शकुन्तला जडिया, पुष्पा देवी श्रीवास्तव, मन्नो भटट, प्रतिमा कुमारी गुप्ता, रामकुमारी सिन्हा, राजवन्त तिवारी, उमारानी गुप्ता।

श्री राम गोपाल संड—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनको निकाला गया है वह ३, ३, ५ और ६ साल से काम कर रही थीं और यह तब की बात है जब श्रीमती राजन्द्र कुमारी जी प्रधानाचार्य थीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

क्योंकि माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है तो मैं स्पष्टीकरण करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रश्न के उत्तर में है कि अननुमोदन होने के कारण उनको निकाल दिया गया है। आपको क्या कहना है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नकर्ता ने यह बताया कि २१ मई को ये अध्यापिकायें निकाली गईं। मैंने यहां १६ अप्रैल को शपथ ग्रहण की थी, इसलिये उस समय मैं प्रधान अध्यापिका पद से इस्तीफा दे चुकी थी। मैं इसमें नहीं आती हूं। यह बात सही है कि जो माननीय सदस्य ने कहा कि जिन अध्यापिकाओं को निकाला गया वे अननुमोदित थीं। इसीलिये उनको निकाला गया। यह बात सही है कि इसमें कई अध्यापिकाओं के साथ अन्याय हुआ है। इनमें कुछ को फिर से सेलेक्शन कमेटी ने रख लिया जुलाई के महीने में। इनमें कई अध्यापिकाओं के साथ अन्याय हुआ है। मैंने अपनी तरफ से मैनेजमेंट को यह लिखा है कि यह गलती हुई है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, यह दोनों इलाहाबाद के रहने वाले हैं तो यहां पर इन्होंने यह पब्लिसिटी का अच्छा तरीका अख्तियार कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड—

मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारी सहयोगी, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने यह स्वीकार किया कि वहां कुछ अध्यापिकाओं के साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने उनमें से कुछ के नाम भी गिनाये लेकिन जिस प्रबन्ध समिति ने इन लोगों को जबरदस्ती निकाल दिया और उनके साथ अन्याय किया है तो क्या मंत्री जी उनको पुनः उनके पदों पर रखने के लिये कुछ कागज आगे बढ़ायेंगे और यदि हम लिख कर दें तो वह इस की क्या जांच करायेंगे ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की कोई चीज लिख कर देंगे तो उस की फिर से जांच करा लेंगे।

श्री वैदिक धर्म संजीवनी संस्कृत विद्यालय, नौतनवां, जिला गोरखपुर को दिया गया अनुदान

*४—श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के नौतनवां बाजार स्थित वैदिक धर्म संजीवनी संस्कृत विद्यालय को वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८, १९६८–६९ और १९६९–७० में कितना-कितना अनुदान स्वीकार किया गया तथा कितना दिया गया ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

श्री वैदिक धर्म संजीवनी संस्कृत विद्यालय, नौतनवां, गोरखपुर को वर्ष १९६६–६७ से १९६९–७० तक निम्नलिखित आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया तथा दिया गया :—

वर्ष	स्वीकृत अनुदान	दिया गया अनुदान
	रु०	रु०
१९६६–६७	१,४२८.००	१,४२८.००
१९६७–६८	१,३३२.००	१,३३२.००
१९६८–६९	१,१२८.००	१,१२८.००
१९६९–७०	३६.००	८४६.००
	(आवर्तक)	
	७२०.००	
	(तदर्थ वेतन वृद्धि)	

अनावर्तक अनुदान उक्त वर्षों में कुछ भी स्वीकृत नहीं हुआ है।

श्री रामलगन दुबे—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील फरेंदा की ९ लाख जनसंख्या के क्षेत्र में एक मात्र स्थापित वैदिक धर्म संजीवनी संस्कृत विद्यालय के अनुदान को १९६९–७० से घटाने का क्या कारण है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

अनुदान देने के कुछ नियम बने हैं और उनमें एक नियम यह है कि आय और खर्च के बीच में जो अन्तर होता है उसका आधा दिया जाय। क्योंकि उनकी आय इस साल में खर्च से अधिक हो गई इसलिये अनुदान मिलने का कोई प्रश्न नहीं था और इसी कारण से वह कम हो गया।

श्री रामलगन दुबे—

क्या मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि वह इसकी जांच करा लें कि यह संस्कृत विद्यालय नैपाल की सीमा पर स्थानीय सहायता से काफी सुदृढ़ रूप से चल रहा है और उस को काफी अनुदान देने की जरूरत है ताकि इस विद्यालय का प्रसार ठीक से हो सके ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं हम उसकी जांच करा लेंगे लेकिन जो नियम बने हैं उसके अनुसार यह अनुदान स्वीकार किया गया है।

मेरठ जिले में अध्यापकों तथा लिपिकों का पुनरीक्षित वेतन-क्रम

*५—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों तथा लिपिकों के पुनरीक्षित वेतन-क्रम का निर्धारण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

जी नहीं। संस्थाओं ने वांछित अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये थे और पूर्ण सूचना भी नहीं भेजी थी।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिले में सभी संस्थाओं के वांछित अभिलेख आये हैं या किन्हीं के न भी आये ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

जिन संस्थाओं के अभिलेख प्राप्त हो गये हैं, उनके विषय में वांछित कार्यवाही कर दी गयी है ।

श्री मोहन लाल कपूर—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल निराधार है । जिले की सभी संस्थाओं ने अपने अभिलेखक दे दिए हैं परन्तु उनके वेतन-क्रम पुनरीक्षित नहीं कराये गये हैं । मैं चाहूंगा कि जिन अधिकारियों की सूचना के आधार पर यह सूचना दी गयी है, मंत्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसके बारे में मैं अवश्य जांच करवा लूंगा लेकिन उनके सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि शासन द्वारा यह आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं और यह कार्य ३१-३-७१ तक पूर्ण हो जायगा । फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री राम गोपाल संड—

माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रदेश के ५४ जिलों के अन्दर ४५ हजार अध्यापकों का वेतन पुनरीक्षित होना है । कागज डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर के कार्यालयों में पड़े हुए हैं। शिक्षा निदेशक और जिला निरीक्षक मैनेजमेंट से मिलकर अध्यापकों को परेशान कर रहे हैं और अभी तक पुनरीक्षित वेतन निश्चित नहीं किया गया है । तो क्या माननीय मंत्री जी कोई कड़ा कदम उठाने का आश्वासन देंगे ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं और आशा है वेतन पुनरीक्षित हो गये होंगे । फिर भी यदि जैसा कि कहा गया है कि मैनेजमेंट से मिलकर जानबूझकर अध्यापकों को परेशान किया जा रहा है तो अवश्य कड़े कदम उठाये जायगे ।

जिला परिषद्, बुलन्दशहर के प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों का बकाया वेतन

*६—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्द शहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, बुलन्दशहर के प्राइमरी पाठशालाओं के कितने अध्यापक ऐसे हैं कि जिनका १ जनवरी, सन् १८६९ से १ सितम्बर, सन् १९७० की अवधि तक में १ मास या इससे अधिक का वेतन जिला परिषद्, बुलन्दशहर की ओर बकाया है और अध्यापकों को उसका भुगतान नहीं किया गया है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

जी हां ।

जिला परिषद्, बुलन्दशहर के प्राइमरी पाठशालाओं के २६६ अध्यापकों का वेतन १ जनवरी, ६९ से १ सितम्बर, '७० की अवधि में एक मास या उससे अधिक का बकाया है । उक्त सूचना दिसम्बर, ७० में प्राप्त सूचना पर आधारित है ।

*७—श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, बुलन्दशहर के अध्यापकों का वेतन किन कारणों से रोका गया है, उसके भुगतान की व्यवस्था करने पर क्या सरकार तुरन्त ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

जिला परिषद्, बुलन्दशहर के प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन निम्नलिखित कारणों से भुगतान नहीं किया जा सका—

(१) बिना अवकाश स्वीकृत हुए अनुपस्थित होने के कारण ;

(२) स्थानांतरित होने पर निश्चित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण ;

(३) चिकित्सा अवकाश के पश्चात् स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर तथा भूतपूर्व अध्यक्ष के आदेश के कारण ।

इन अध्यापकों के वेतन भुगतान की कार्यवाही जिला परिषद् द्वारा जारी है ।

जिला परिषद्, बुलन्दशहर के समस्त अध्यापकों का वेतन ३० सितम्बर, '७० तक भुगतान कर दिया गया है । जैसे-जैसे अध्यापकों के मामले तय होते जा रहे हैं बिल ड्रा करके भुगतान की व्यवस्था शीघ्र की जायगी ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । प्रश्न ६ के उत्तर में उन्होंने कहा कि २६६ अध्यापक ऐसे हैं, जिनका वेतन बाकी है । प्रश्न ७ के सम्बन्ध में इन्होंने एक जगह तो यह फरमाया कि जिला परिषद् के समस्त अध्यापकों का वेतन ३० सितम्बर, १९७० तक भुगतान कर दिया गया है और दूसरी जगह उन्होंने कहा कि भुगतान किया जा रहा है । तो इन दोनों में कौन-सा उत्तर सही है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

इसमें एक माह या उससे अधिक बकाया के विषय में लिखा है । पहली सितम्बर से जिनका एक माह का वेतन रहा होगा उनका ३० सितम्बर तक भुगतान हो चुका होगा । बाकी अवधि के बाकी होंगे ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उसमें क्या हुआ । जो प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक हैं जिनका वेतन इतने समय से रुका हुआ है, एक माह या उससे अधिक का उसके भुगतान की आपने क्या व्यवस्था की ? हो चुका होगा, यह उचित उत्तर नहीं है । क्या हो गया है और क्या नहीं हुआ ?

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, जो सवाल का जवाब आप मंत्री जी से दिलाते हैं वह स्पष्ट नहीं हो पाता है । आप उनको सूचित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए । मैं कह रहा हूं कि मंत्री जी ने साफ उत्तर नहीं दिया । वह स्पष्ट उत्तर दें । आप चाहते हैं कि मेरी बात को खुद कहें । उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में आपने कहा कि "भुगतान हो चुका होगा" आप बतलायें कि भुगतान दिया गया है या नहीं ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

श्रीमन्, जिस समय यह प्रश्न आया था उस समय बकाया था। उसके बाद जैसा मैंने कहा है उनके प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है। जैसे-जैसे तय होता जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है। कुछ का भुगतान किया गया है। चाहें, तो हम विवरण भी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप पूरा उत्तर देने के लिये नोटिस चाहते हैं ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

पूरी सूचना देने के लिये नोटिस चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को मैं किसी दूसरे दिन रख दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो कहा कि कुछ अध्यापकों को वेतन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने अवकाश नहीं लिया और गैरहाजिर रहे, तो क्या ऐसे मामलों में बाकायदा कोई चार्जशीट देकर इंक्वायरी की गयी ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो सूचना हमारे पास है उसमें ६ ऐसे अध्यापक हैं जो बिना पूर्व प्रार्थना-पत्र के अवकाश पर चले गए।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि क्या चार्जशीट देकर इंक्वायरी करने के बाद उनकी तनख्वाह रोकी गयी या पहले ही रोकी गयी ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् में क्या कार्यवाही हुई, क्या नहीं हुई, यह तो हमारे पास इस समय सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मंगा कर दे सकते हैं।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

श्रीमन्, पहले तो मैं आपसे ही यह जानना चाहूंगा, क्या आपने स्पष्ट उत्तर के लिए इन दोनों प्रश्नों को स्थगित कर दिया है ? कोई और समय मिलेगा ? इसके सिलसिले में फिर मंत्री जी से एक सवाल भी पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिखकर भेज दीजिएगा कि इसमें ये चीजें बाकी रह गई हैं, इनका जवाब मिलना चाहिए। अगर इस वक्त उनके पास सूचना नहीं है तो अपने मन से तो वह उत्तर दे नहीं सकते।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जिला परिषद्, बुलन्दशहर के भूतपूर्व अध्यक्ष के आदेशों के कारण भी बहुत से अध्यापकों का वेतन रुका हुआ है और ऐसे जो आदेश हैं क्या उनके खयाल में वह उचित है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी---

श्रीमन्, जिला परिषद् के अध्यक्ष ने आदेश किस पृष्ठ-भूमि में दिए, उचित थे या अनुचित थे, यह तो सूचना हम लोगो को है नहीं। यदि माननीय सदस्य चाहते है तो इसका पूर्ण विवरण, जैसा आपने कहा, मंगाकर आगे प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है। ये प्रश्न १६-१२-७० के हैं और आज इतने दिन बाद भी पूर्ण सूचना नहीं आयी, तो क्या आप व्यवस्था देंगे कि कितने दिन का समय चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

इस बीच जिला परिषद् वगैरह टूट-टाट गईं, इसलिये यह बात हो गयी। अगर उनके पास सूचना नहीं आयी तो वह पूछेंगे ही।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

श्रीमन्, इस प्रकार से जो सवालों के जवाब देने में लापरवाही बरती जाती है क्या आप समझते हैं कि यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष---

एक गड़बड़ हुई कि शिक्षा मंत्री जी खुद नहीं आए। उसके लिए दूसरे मंत्री ने क्षमा मांग ली। उसी के कारण यह सब गड़बड़ हो रही है। अब कितना उनको मालूम है, कितना शिक्षा मंत्री को मालूम है, यह दिक्कत है। शिक्षा मंत्री जी को स्वयं आना चाहिये था।

जिला जौनपुर के सीनियर बेसिक स्कूल को हटाना

*८---श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि जिला परिषद्, जौनपुर ने शिक्षा सत्र १९७०-७१ में किन-किन सीनियर बेसिक विद्यालयों को उनके पुराने स्थानों से हटा कर दूसरे स्थानों पर कर दिया ? तथा क्यों और अपने पुराने स्थान पर कब-कब से चल रहे थे ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी---

निम्नलिखित तीन सीनियर बेसिक विद्यालयों को अपने पुराने स्थानों से हटाया गया---

१---सीनियर बेसिक स्कूल, मछलीगांव को हटाकर साहबउद्दीनपुर किया गया।

२---सीनियर बेसिक स्कूल, पीलखिनी को हटाकर बदलापुर खुर्द किया गया।

३---सीनियर बेसिक स्कूल, भगसां को हटाकर उचागांव किया गया।

छात्र संस्था कम होने के कारण इनको अपने पुराने स्थान से हटाना पड़ा। उपरोक्त तीनों विद्यालय अपने पुराने स्थान पर २ जनवरी, १९७० से चल रहे थे।

श्री उमानाथ सिंह---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब जो नये स्थानों पर स्कूल खोले गये हैं उनकी छात्र संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

इसको स्पष्ट करें।

श्री उमा नाथ सिंह---

मैंने यह पूछा कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्कूल स्थानान्तरित करके खोले गये हैं अन्य स्थानों में उनकी छात्र संख्या क्या है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी---

इसकी पूरी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री उमानाथ सिंह---

मेरी जानकारी को सही मानकर क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सहकारिता मंत्री के दबाव के कारण इन शिक्षा संस्थाओं का ट्रान्सफर किया गया और जो रिपोर्ट उनको दी गई है जिला परिषद् के माध्यम से वह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है ? आज भी उन संस्थाओं में छात्रों की संख्या कम है और इसको देखते हुए क्या फिर उन शिक्षा संस्थाओं को अपनी जगहों पर ट्रान्सफर कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि उनके पास पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है और सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । संख्या कम है या हो गई है । मौजूदा संख्या इतनी-इतनी है मालूम करके आप बतायें ।

एक सदस्य---

भूतपूर्व सहकारिता मंत्री जी के दबाव में आकर ऐसा किया गया है ।

श्री अध्यक्ष---

ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आटोनोमस हैं और उनके बारे में यहां पर डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है । जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैल्टीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनके बारे में यहां पर डिटेल्स में प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में अगर मंत्री जी सूचना के लिये समय मांगते हैं तो गैरवाजिब नहीं होगा ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

शिक्षा सत्र के बीच में गवर्नमेंट स्कूल को खोलने के लिये ग्रान्ट देती है । जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि जनवरी, १९७१ में इन तीनों स्थानों पर जूनियर हाई स्कूल खोल दिये गये हैं । इस कारण से छात्रों की संख्या कम हो गई है । इन स्कूलों को खोलने के लिये ग्रान्ट जुलाई के पहले ही दी जानी चाहिये ताकि सुचारुरूप से स्कूल खोले जा सकें, और उससे छात्रों की संख्या भी बढ़ सकेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस प्रश्न के साथ न्याय नहीं हुआ । वह तो इतना जानना चाहते थे कि मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि यदि छात्रों की संख्या कम है तो उसको फिर दूसरी जगहों पर भी ले जाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न नहीं कि आप क्या करेंगे परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या किया जा सकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

वह तो सूचना दे रहे हैं कि छात्र संख्या कम हो गई है ।

श्री अध्यक्ष---

हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है परन्तु एक मार्ग बता दिया ।

श्री उमा नाथ सिंह—

मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि उसकी जांच करवा देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप संख्या लिखकर भेज दें कि संख्या कम हो गई है और अब भी कम है ।

श्री उमा नाथ सिंह—

मंत्री जी स्वयं उसकी जांच करवा लें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिल बलिया)—

मंत्री जी ने कहा है कि छात्र संख्या कम है इस कारण ट्रान्सफर किया गया । तीनों स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया है परन्तु वहां पर भी यह संख्या कम है । इसके अर्थ यह कि उनका फिर स्थानान्तरण किया जायगा । यह हाइपोथिटिकल क्वेचन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह ऐडमिट नहीं किया है ।

श्री मैनेजर सिंह—

उन्होंने ऐडमिट भी किया है कि वहां पर छात्र संख्या कम है । उसकी इन्क्वारी करवा लें ।

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

तुलसी स्मारक हायर सेकेण्डरी स्कूल, जिला गोंडा के आजीवन सदस्यों की संख्या

*६—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में तुलसी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल में कितने आजीवन सदस्य हैं और उनका नाम व पता क्या है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

इस विद्यालय में दो समानान्तर प्रबन्ध समितियां गठित हैं, जिनमें क्रमशः ४८२ तथा ४०४ आजीवन सदस्य बताये गये हैं । उनके नाम व पता की‡ सूची संलग्न है ।

*१०—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तुलसी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल में दो प्रबन्ध समितियां काम कर रही हैं और दोनों प्रबन्ध समितियों में आजीवन सदस्यों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की है, उनकी सूची क्या है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

जी हां । उनके द्वारा प्रस्तुत‡ सूचियां उपरोक्त उत्तर में संलग्न हैं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दो संलग्न सूचियां हैं उनमें दिखलाये आजीवन सदस्यों की फीस का कितना रुपया किस बैंक में जमा है ?

---

‡छापी नहीं गईं ।

राजा बिजय कुमार त्रिपाठी---

इसकी सूचना तो हमारे पास नहीं है कि रुपया किस बैंक में जमा है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो सूचना मंगायी जा सकती है।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

क्या माननीय मन्त्री जी हमारी सूचना मानकर यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि पहले सूरजकांत सिंह समिति बना कर चला रहे थे और अब जंग बहादुर सिंह दूसरी समिति बनाकर चला रहे हैं। इन दोनों समितियों में से किस का कब्जा स्कूल पर है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी---

यह सूचना हमारे पास नहीं है कि किस का कब्जा है। जो नाम अभी माननीय सदस्य ने बतलाये हैं, उनके सम्बन्ध में जांच करा लेंगे कि वास्तविकता क्या है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

आपकी आज्ञा से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे एक ही विद्यालय में दो प्रबन्ध समितियों का गठन वैध समझते हैं ? और यदि नहीं, तो उन दोनों समितियों में से कौन सी समिति वैध है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो आपको सूचना दे रहे हैं। कौन गलत है, कौन सही है, यह आप उनकी राय पूछ रहे हैं।

श्री चेतराम गंगवार---

अगर इस सदन में दो अध्यक्ष हो जायं तो यह सदन किस प्रकार चलेगा ? यही हालत वहां विद्यालय की है।

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)---

माननीय मंत्री जी ने जो दो समितियां अपने उत्तर में बतलायीं तो उनमें पहले कौन सी गठित हुई ?

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

प्रश्न केवल इतना है कि वहां पर दो समितियां काम कर रही हैं .....

(व्यवधान)

राजा बिजय कुमार त्रिपाठी---

कौन सी समिति पहले गठित हुई यह सूचना नहीं है लेकिन दोनों समितियों ने २५ तारीख को यह सूचना दी कि हमारी समिति गठित हो गयी है। कौन सी समिति पहल गठित हुई, यह नहीं कहा जा सकता।

श्री रामलाल राही---

जब दो समितियां गठित हैं तो क्या वे दोनों अलग-अलग स्कूल चला रही हैं या एक ही स्कूल पर अपना आधिपत्य बतला रही हैं ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी---

दोनों समितियां गठित हैं और दोनों ने अपनी सूचना भेजी है और दोनो ही अपना दवे करती हैं।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

जबसे यह समितियां गठित हुईं तो दोनों को शासकीय अनुदान दिया गया और अगर दिया गया तो किस कमेटी को किस माध्यम से दिया गया ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी---

इस झगड़े को देख कर अनुदान निलम्बित कर दिया गया और वहां वेतन वितरण सीधे किया जा रहा है।

श्री चेतराम गंगवार---

इस तथ्य को देखते हुए कि वहां पर स्कूल सुचारुरूप से नहीं चल रहा है क्या सरकार इन समितियों को रिजेक्ट करके कोई एडमिनिस्ट्रेटर एप्वायंट करने की कृपा करेगी ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी---

इस पर विचार करेंगे।

श्री रामलाल राही---

क्या मन्त्री जी इस बात की जांच कराएंगे कि वहां पर २ समितियां पहले से गठित हैं और उस समिति को, जो पहले से गठित है, अनुदान दिलाने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिए माननीय मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

जिला टिहरी-गढ़वाल में श्रमिक सहकारी समितियों को कार्य देना

*११---श्री इन्द्रमणी बड़ोनी (जिला टिहरी-गढ़वाल)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग द्वारा जिला टेहरी-गढ़वाल में कितनी श्रमिक सहकारी समितियों को वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९, १९६९-७० और १९७०-७१ (चालू वर्ष) में सरकारी आदेशों के अनुसार कार्य दिया गया ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री रामधारी शास्त्री)---

जिला टिहरी-गढ़वाल में केवल वर्ष १९६७-६८ में एक श्रमिक सहकारी समिति को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य दिया गया।

श्री इन्द्रमणी बड़ोनी---

श्रीमन्, मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि चालू वर्ष में सरकारी आदेशों के द्वारा कार्य किया गया है या नहीं, क्योंकि सरकारी आदेश तो ये हैं कि सहकारी समितियों को काम दिया जाय। जब श्रमिक सहकारी समितियों ने विभिन्न कामों के लिए प्रार्थना-पत्र दिये तो फिर वे काम उनको क्यों नहीं दिये गये ? क्या मन्त्री जी इस बात की इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रमिक सहकारी समितियां साधारणतया कोई टेंडर नहीं देतीं। इसलिए वर्क आर्डर पर ही उनको काम दिया जा सकता है। हमारे पास जो सूचना है वह यह है कि जिस समिति ने जब भी प्रार्थना-पत्र दिया है उसे काम दिया गया है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष सूचना देंगे तो हम उस की जांच कराएंगे। यह ठीक है कि जांच कराएंगे। हमारा प्रश्न

स्पष्ट था। श्रमिक सहकारी समितियों को गठित किया गया है और सरकार के आदेश हैं कि उन्हें काम दिया जाए। जब श्रमिक सहकारी समितियों ने प्रार्थना-पत्र दिये तो फिर उन्हें काम क्यों नहीं दिया गया, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रामधारी शास्त्री---

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि सरकार के पास जो सूचना है वह यह है कि जितनी श्रमिक सहकारी समितियों ने आवेदन-पत्र दिय थे उनको काम दिया गया। अगर माननीय सदस्य खास तौर से यह बताएंगे कि कौन सी ऐसी समितियां हैं जिन्होंने आवेदन-पत्र दिये और उन्हें काम नहीं दिया गया, तो हम उसकी जांच कराएंगे।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

प्रदेश में विभिन्न श्रमिक सहकारी समितियां हैं और वे टेंडर नहीं देती हैं। यदि वे समितियां हा एस्ट रेट पर काम करने को तैयार हों तो क्या सरकार उनको वरीयता देगी ?

श्री अध्यक्ष---

कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री राम प्यारे---

नहीं. मंत्री जी ने सुन लिया है। जो हाएस्ट टेंडर है क्या उसी रेट पर काम श्रमिक सहकारी समितियों को दिया जायेगा ?

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रीमन्, जब टेंडर आमन्त्रित किए जाएंगे और जो टेंडर नहीं देंगे तो उनको काम देन का प्रश्न कैसे उठेगा ?

श्री गोविन्द सिंह---

मन्त्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करें कि वर्क आर्डर पर काम देने में श्रमिक सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री रामधारी शास्त्री---

मान्यवर, बहुत पहले ही इस आशय के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या मन्त्री जी को यह विदित है कि पी० डब्लू० डी० विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण इन श्रमिक सहकारी समितियों को जानबूझ कर काम नहीं दिया जाता है ? यदि यह बात उनकी जानकारी में है तो क्या वे इस बात की जांच कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष---

क्या यह आपकी जानकारी में है पहले तो आप यह बताएं ?

श्री रामधारी शास्त्री---

मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार ने श्रमिक सहकारी समितियों को काम देने का निश्चय किया था। आप के उत्तर से विदित है कि उन को पूरा काम नहीं मिल रहा है। क्या हमारा सार्वजनिक

निर्माण विभाग इस बात का प्रयास करेगा कि इन श्रमिक सहकारी समितियों को अधिक से अधिक काम मिले जितनी कि उनकी क्षमता है? क्या ऐसा करने की आप अपने जमाने में पहल करेंगे ?

श्री रामधारी शास्त्री—

सरकार की तरफ से यह आदेश जारी हो चुका है कि सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाय और जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार उनको काम दिया भी गया है। अब किसी सहकारी समिति ने प्रार्थना-पत्र दिया हो और वह रिजेक्ट कर दिया गया हो तो वह आप बतायें, उसकी जांच करायी जा सकती है।

श्री इन्द्रमणी बड़ोनी—

आपके उत्तर से स्पष्ट है कि केवल एक ही सहकारी समिति को काम दिया गया। इससे पता चलता है कि विभाग आपके आदेशों का ठीक-ठीक पालन नहीं कर रहा है। तो जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामधारी शास्त्री —

मैंने उत्तर में कहा था कि एक श्रमिक सहकारी समिति को काम दिया गया। लेकिन दूसरी सहकारी समिति को १९६७–६८ में ३, १९६८–६९ में ५, १९६९–७० में ३ तथा १९७०–७१ में पुनः १, सहकारी समितियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा काम दिया गया।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उसके आदेशों का विभाग द्वारा पालन हो रहा है या नहीं ?

श्री रामधारी शास्त्री—

हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत आयेगी तो उसको देखा जायेगा।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

इन श्रमिक सहकारी समितियों को किस प्रकार का काम दिया जाता है ?

श्री रामधारी शास्त्री—

इनको दो तरह से काम मिल सकता है —एक तो व्यक्ति की तरह टेन्डर देकर, दूसरे अगर काम १० हजार से नीचे का है तो इनको प्राथमिकता दी जाती है मिट्टी आदि के कामों में।

(प्रश्नों का समय समाप्त)

(अध्यक्ष द्वारा "प्रश्नों का समय समाप्त" कहे जाने पर)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, श्री केशोराम जी (प्रश्न संख्या १२) के प्रश्न का उत्तर नहीं आया, उस को हो जाने दीजिये या इसको किसी दूसरे दिन ले लिया जाए। यह हमारे बरेली का प्रश्न है और बड़े महत्व का है। इसको दूसरे दिन ले लिया जाए।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आ जाएगा।

राजकीय नार्मल स्कूल, आंवला, जिला बरेली का भवन

*१२—श्री केशोराम (जिला बरेली)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंवला (बरेली) के राजकीय नार्मल स्कूल का भवन सरकारी है? यदि हां, तो उस का किराया १२० रु० माहवार जिला परिषद्, बरेली को क्यों दिया जाता है?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जी नहीं।

चूंकि भवन जिला परिषद्, बरेली से किराये पर लिया गया है इसलिए १२० रु० प्रतिमाह किराया जिला परिषद् को दिया जाता है।

जिला वाराणसी की असिंचित भूमि के लिये योजना

*१३—श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में कितनी भूमि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में असिंचित थी और कितनी सिंचित थी? असिंचित भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के निमित्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस जनपद के लिये क्या प्राविधान है?

श्री बलवीर सिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

जूनियर हाई स्कूल कासगंज, जिला एटा के कृषि फार्म का विक्रय

*१४—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद्, एटा के जूनियर हाई स्कूल, कासगंज, एटा के कृषि फार्म की भूमि के प्लाट किस-किस के नाम कितने रुपये में एलाट किये गये हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१३–२१६ पर)

*१५—श्री नेतराम सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त खरीदारों में से किस-किस खरीदार ने अपने-अपने प्लाटों का पूरा मूल्य माह दिसम्बर, १९६५ तथा जनवरी, १९६६ में जमा कर दिया है और क्या उन्हें उपरोक्त प्लाटों का कब्जा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र---

जूनियर हाई स्कूल, कासगंज एटा के कृषि फार्म के खरीदारों में से जिन्होंने माह दिसम्बर, १९६५ तथा जनवरी, १९६६ में अपने अपने प्लाटों का मूल्य जमा कर दिया है उनकी सूची निम्नवत् है :---

माह दिसम्बर, १९६५ में रुपया जमा करने वाले व्यक्तियों की सूची:---

सर्वश्री---

१---शंकर लाल,

२---जगदीश प्रसाद,

३---जगदीश प्रसाद वास्ते डा० जय प्रकाश,

४---होती लाल,

५---बनवारी लाल,

६---बाल किशन,

७---नेतराम सिंह,

८---नन्द किशोर,

९---धर्म जीत,

१०---बाबू सिंह,

११---कृष्ण गोपाल,

१२---प्यारे लाल ।

माह जनवरी, १९६६ में रुपया जमा करने वाले व्यक्तियों की सूची:---

सर्व श्री---

१---ख्याली राम,

२---होती लाल,

३---शान्ती स्वरूप,

४---मोती राम,

५---सूबेदार सिंह,

६---हरि ओम शर्मा वास्ते श्री अवधेश चन्द्र,

७---हरि ओम शर्मा,

८---राम कुमार,

९---सुरेश चन्द्र,

१०---सतीश चन्द्र (प्लाट नं० १३ व १४ हेतु),

११---सतीश चन्द्र (प्लाट नं० ३ व ४ हेतु),

१२---विश्वम्भर दयाल,

१३---राजेन्द्र प्रसाद

१४---चिरंजी लाल ।

उपरोक्त खरीदारों के अतिरिक्त श्री सरदार सिंह ने अपने प्लाट का मूल्य माह फरवरी, १९६६ में जमा किया है और श्री किशन पाल सिंह ने माह मार्च, १९६६ में जमा किया है ।

कार्याधिकारी, जिला परिषद् एटा से प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त खरीदारों के अलावा श्री राम प्रकाश ने अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपने प्लाट का मूल्य माह अगस्त, १९६९ में जमा किया है। कार्याधिकारी जिला परिषद् एटा की आख्यानुसार किसी भी खरीदार को अभी तक कब्जा नहीं दिया है।

प्रासंगिक कृषि फार्म की भूमि वर्ष १९२७ में अर्जित की गयी थी और वह परिषद् की अचल सम्पत्ति हो गयी है। तत्कालीन चल-अचल सम्पत्ति के निस्तारण नियमों के अधीन शासन की स्वीकृति आवश्यक थी। इस कारण बिके हुए प्लाटों के ऊपर खरीदारों को कब्जा नहीं दिया गया अब इस संबंध में जिला परिषद् द्वारा शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद् चल-अचल सम्पत्ति नियमावली, ६५ के नियम १५ से २२ तक के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रतापगढ़ जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितायें

*१६---श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद्, प्रतापगढ़ ने सन् १९६९-७० में ३२० अध्यापकों की नियुक्ति न करके उनके नाम पर अनुदानित धनराशि लगभग ५ लाख रुपया निकाल लिया ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिला परिषद् के अध्यापकों का बकाया वेतन

*१७---श्री बांके लाल---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला परिषद्, देवरिया के ढाई हजार अध्यापकों को गत पांच मास से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि देवरिया जिला परिषद् के अन्तर्गत मई, १९७० में कितने जूनियर हाई स्कूल थे और ३१ अक्तूबर, १९७० को उक्त परिषद् के अन्तर्गत चल रहे जूनियर हाई स्कूलों की संख्या कितनी है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां।

जिला परिषद् देवरिया के अन्तर्गत २,१३७ अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं का माह जुलाई, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, १९७० का भुगतान रुक गया था क्योंकि इन अध्यापकों द्वारा न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया गया था। अब इन अध्यापकों के उक्त महीनों का वेतन भुगतान ३१-१२-७० को किया जा चुका है।

जिला परिषद् देवरिया के अन्तर्गत मई, १९७० में बालकों के ९२ और बालिकाओं के २० जूनियर हाई स्कूल थे। ३१ अक्तूबर, १९७० को भी वही संख्या थी।

जौनपुर जिला परिषद् में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति तथा उन्हें अप्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन देना

*१८---श्री माता प्रसाद---

क्या सरकार को जानकारी है कि जौनपुर जिला परिषद् में अप्रशिक्षित अध्यापक कार्य कर रहे हैं किन्तु प्रशिक्षित अध्यापक प्रतीक्षा सूची में रखे गये हैं ? यदि हां, तो कार्य कर रहे अप्रशिक्षित एवं प्रतीक्षा सूची के प्रशिक्षित अध्यापकों की अलग-अलग संख्या क्या है और ऐसा क्यों किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां ।

जिला परिषद् जौनपुर के अन्तर्गत ३८४ अप्रशिक्षित अध्यापक कार्य कर रहे हैं और १९७ प्रशिक्षित अध्यापक प्रतीक्षा सूची में हैं ।

स्थान रिक्त न होने के कारण इन्हें नियुक्त नहीं किया जा सका ।

*१९---श्री माता प्रसाद---

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जिला परिषद् में कितने ऐसे ट्रेंड अध्यापक हैं जिन्हें अन्ट्रेन्ड ग्रेड दिया जा रहा है ? ट्रेन्ड ग्रेड देने का आधार क्या रखा गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जिला परिषद् जौनपुर के अन्तर्गत १,०६० ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक हैं जिन्हें अप्रशिक्षित वेतन-क्रम दिया जा रहा है ।

स्वीकृत प्रशिक्षित पदों के रिक्त होने पर उन पर कार्य करने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों को ही प्रशिक्षित वेतन-क्रम देने का आधार रखा गया है ।

लखनऊ निवासी श्री उमाशंकर द्वारा अनधिकृत निर्माण की शिकायत

*२०---श्री सजीवन लाल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें २६ जुलाई, १९६९ व १७ अप्रैल, १९७० को नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के विरुद्ध आर० बी० ओ० ऐक्ट के कार्यान्वयन में विभेद बरतने के सम्बन्ध में बेलदारी लेन, लखनऊ के किसी निवासी की शिकायत प्राप्त हुई थी जिनके बारे में अन्तिम बार स्मरण-पत्र निवास विभाग को क्रमशः २९ अगस्त, १९७० तथा २२ सितम्बर, १९७० को भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायतों के मुख्य आरोप क्या थे व उनके सम्बन्ध में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारी लाल)---

२६ जुलाई, १९६९ का कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । एक शिकायती पत्र १६ जुलाई, १९६९ तथा दूसरा १७ अप्रैल, १९७० का बेलदारी लेन, लखनऊ के निवासी श्री उमा शंकर से शासन को प्राप्त हुआ । इन में उनके पड़ोसी श्री राम लाल तथा श्री बी० के० भार्गव के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण तथा इस सम्बन्ध में अधिकारी वर्ग की शिथिलता की शिकायत की गई है । इनके ऊपर नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम-१९५८ के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई थी । इसके उत्तर में निर्माणकर्ता ने कम्पाउन्डिंग की प्रार्थना की । श्री राम लाल का मामला कम्पाउन्ड कर दिया गया है तथा श्री भार्गव की प्रार्थना नियत प्रधिकारी के विचाराधीन है । जहां तक अधिकारी वर्ग द्वारा की गई शिथिलता का प्रश्न है, यह आरोप सही नहीं पाया गया ।

[दि० २४ मार्च, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला गोरखपुर के लक्ष्मीपुर तथा नौतनवां विकास क्षेत्रों म नहरों व नलकूपों का निर्माण

*१---श्री राम लगन दूबे---

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर और नौतनवा में गंडरू योजना स किसी नहरशाखा के निर्माण के द्वारा सिंचाई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं ।

*२—श्री रामलगन दूबे—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर और नौतनवां में राजकीय नलकूपों के लगाने के लिये नलकूप डिवीजन के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कितने नलकूपों के लिये और किन-किन स्थानों पर और सरकार नलकूपों की व्यवस्था कब तक कर देने का विचार कर रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मांगें

*३—श्री राम गोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० को प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने कोई प्रदर्शन कौंसिल हाउस के सामने किया था ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं और मंत्री जी उनको कब तक पूरा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१७ पर) ।

*४—श्री राम गोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की योजना बना रहे हैं ? यदि हां, तो कब से यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

शासन ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में राजकीय कर्मचारियों के साथ समानता देने का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया है ।

जिला मैनपुरी के कृषकों द्वारा बेसिक रजबहा पर टक्कर बनवाने की मांग

*५—श्री कल्यान सिंह—(जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को अनूपपुर ओन्हां, बदसुई ऊधन टिकराई, नगला पती, गुनइया, तहसील करहल, जिला मैनपुरी के कृषकगण का दिनांक २२ दिसम्बर, १९७० का कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने रजबहा बोंसक डिवीजन, इटावा मील १० पुल आदि पर टक्कर बनवाने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? और उपरोक्त टक्कर कब तक बनवाकर तैयार कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

प्रथम भाग--

जी हां ।

द्वितीय भाग--

कथित ग्राम बांसक रजबहा के मील ८ से ११ के बीच में है । बांसक रजबहा का रिमाडेलिंग रामगं ा प्रयोजना के अन्तर्गत हुआ है, जिसके अनुसार नयाबेड लेविल व फुल सप्लाई लेबिल पहले के मुकाबले में ऊंचा किया गया है । रिमाडिलिंग के अनुसार मील ६ फर्लांग ६ पर फाल्म बना है । मील १० पर कोई फाल प्रस्तावित नहीं है और न कोईआवश्यकता ही है ।

*६--श्री कल्यान सिंह-

क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त रजबहा में मील ६ फर्लांग ५ पर बनी हुई वर्तमान टक्कर के कारण नीचे की ओर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है ? जिसके कारण लगभग २,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की आवश्यकतानुसार समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

उपरोक्त रजबहा के मील ६ फर्लांग ६ पर फाल के बनाने से नीचे पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचने में कोई बाधा नहीं है । पिछले वर्षों में सामान्य सिंचाई होती रही है । यह कथन सही नहीं है कि २,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की आवश्यकतानुसार समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है । अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मेरठ डिवीजन में नीम नदी को गहरा करने की योजना

*७--श्री मुमताज मोहम्मद खां--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर, जिला मेरठ और जिला मुजफ्फरनगर में से गुजरती हुई नीम नदी को गहरा और चौड़ा करवाने की जो कई वर्ष पुरानी योजना है, को शीघ्रतिशीघ्र कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह--

नीम नदी को गहरा व चौड़ा करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जिला बुलन्दशहर में स्याना बुगरासी मार्ग को पक्का करना

*८--श्री मुमताज मोहम्मद खां--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में स्थित स्याना-बुगरासी मार्ग जिसको कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्का किया जा रहा है उसके निर्माण की गति धीमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

चौधरी गिरधारी लाल--

इस मार्ग के निर्माण की गति सन्तोषजनक है ।

राजकीय बालिका विद्यालय, आजमगढ़ की प्रधानाचार्या का स्थानान्तरण

*९--श्री दर्शसिंगार (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की राजकीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्या का कार्यकाल साढ़े ५ वर्ष पूरा हो चुका है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां ।

*१०---श्री दल सिंगार---

क्या शिक्षा मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्या का साढ़े ५ वर्ष के अन्तर्गत कितनी बार ट्रान्सफर किया गया और कितनी बार ट्रान्सफर रोका गया ?

श्री श्रीपति मिश्र---

केवल एक बार ट्रांसफर किया गया परन्तु उसे प्रशासकीय कारणों से रोक दिया गया ।

*११---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

प्रादेशिक शिक्षा दल के सहायक कमान्डेन्ट्स का वेतन-क्रम

*१२---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय प्रादेशिक शिक्षा दल में बहुत से सहायक कमान्डेन्ट्स ऐसे हैं जो अपने वेतन-क्रम की अन्तिम सीमा ५ साल या इससे भी पहले पार कर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को कुछ विशेष वेतन अथवा कुछ इन्क्रीमेन्ट्स देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र---

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*१३-१४---श्री श्यामलाल रावत---

[३रे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*१५---श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन---

[३रे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*१६---श्री इन्द्रलाल---

[१ले शुक्रवार के लिये ता० प्र० संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

भावर क्षेत्र की नहरों को पक्का करने के प्राक्कलन के सम्बन्ध में गलत उत्तर देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*१७---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

विधान सभा की दिनांक ११ मार्च, १९७० ई० को नत्थी (ख) में प्रश्न संख्या १ के संशोधित उत्तर के क्रम में सदन में माननीय सदस्यों द्वारा पूर्ण सूचना चाहने के उपरान्त माननीय अध्यक्ष ने जो रूलिंग दी है इसके प्रकारण में क्या सिंचाई मंत्री बतावेंगे कि अब तक इस मामले में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह---

इस मामले में जांच कर ली गई थी । मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग से सही सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन तत्कालीन संयुक्त सचिव जिन्होंने स्वयं पूरी सूचना की विस्तृत जांच

की थी, ने किसी भ्रमवश यह समझा कि व्यय ब्लाक बजट से हुआ। जैसे ही त्रुटि पकड़ी गई विधान सभा के सामने संशोधित उत्तर प्रस्तुत कर दिया गया। त्रुटि के लिए संबंधित अधिकारी ने खेद प्रकट किया था। अतः किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*१८—श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

*१९-२०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

*२१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

जिला गोंडा के कटरा पुल से पथ कर की वसूली

*२२—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि जिला गोन्डा में सरयू नदी के कटरा पुल के निर्माण का खर्च यात्रियों से वसूल किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार अब यात्रियों से टैक्स न वसूल करने के आदेश तुरन्त जारी करेगी?

चौधरी गिरधारी लाल—

जिला गोंडा में सरयू नदी के कटरा पुल के निर्माण की कुल लागत अभी पूर्ण रूप से वसूल नहीं हुई है, अतएव पथकर न वसूल करने के आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता है।

*२३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

जिला गोरखपुर में बाढ़ शिविरों का निर्माण

*२४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार के अन्तर्गत कितने बाढ़ शिविर जन-रक्षार्थ बनाये गये हैं? इनमें से कितनों में पाठशालायें चल रही हैं? क्या इन बाढ़ शिविरों में विशुनपुरा ग्राम में कोई पक्का बाढ़ शिविर है? यदि हां, तो क्या बनने के बाद कभी इसकी मरम्मत हुई या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—

खोराबार ब्लाक के अन्तर्गत पांच बाढ़ शिविर जन रक्षार्थ बनाये गये हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग—

इन सभी बाढ़ शिविरों का प्रयोग पाठशालायें कर रही हैं।

प्रश्न का तीसरा भाग—

जी हां।

प्रश्न का चौथा भाग—

इस बाढ़ शिविर में जू० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा है, तथा इसकी मरम्मत विद्यालय द्वारा होती है और हुई है।

जिला बलिया में बहेरानाला का कैचमेन्ट एरिया

*२५—श्री निर्भय नारायण सिंह (उर्फ लाल बाबू) (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित श्रीनगर, तुर्तीपार बान्ध पर बना बहेरा रेगुलेटर को बनाते समय बहेरानाला का इनक्रोचमेन्ट एरिया कितना था ?

श्री बलवीर सिंह—

अभिलेखों के निरीक्षण से सही पता नहीं चल पाया कि बहेरानाला रेगुलेटर बनाते समय बहेरानाला का कैचमेन्ट एरिया क्या लिखा गया था ।

*२६—श्री सुखपाल पाण्डेय—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

*२७—श्रीमती सरस्वती देवी—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों से संबंधित प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी २३मार्च, १९७१ की अपराह्न की बैठक में दिनांक २४ मार्च, १९७१ के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(१) वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा अपराह्न ३–३० बजे तक हो। तदुपरान्त उक्त अनुपूरक मांगों के अनुदानों पर मतदान एवं उत्तर प्रदेश बिनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसका पारण हो ।

(२) उपर्युक्त कार्य के उपरान्त लेखानुदान पर बिना चर्चा के मतदान हो तथा तदुपरान्त उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसका पारण हो ।

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के संबंध में की गई सिफारिशों को यह सदन स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर क लिए देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१८–२२२ पर।)

श्री रियासत हुसैन द्वारा दिनांक ८ जून, १९७० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उपमंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रियासत हुसैन द्वारा दिनांक ८ जून, १९७० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के सम्बन्ध में जो कि चीनी मिलों में रिसीवरों की नियुक्ति व उसके बाद की बकाया वसूली के विषय में था, अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देने में उपलब्ध सूचना के विवरण के गलत स्तम्भों से सूचना पढ़े जाने के कारण, कुछ त्रुटियां हो गई थीं। इस वक्तव्य द्वारा उनके बारे में सही स्थिति नीचे बताई जा रही है :

माननीय सदस्य का अनुपूरक प्रश्न	८-६-१९७० को राज्य मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया	सही उत्तर
१	२	३
१--टोटल मन्त्री जी के पास होगा कुल कितनी बकाया थी, जिसमें ५८ लाख रुपये वसूल कर लिया है, जब रिसीवर मुकर्रर हुये थे तो पिछले साल का कुल कितना बकाया था जिसमें ५८ लाख रु० वसूल कर लिया, यह मेरा प्रश्न है।	अलग-अलग दिया हुआ है। वह देखेंगे, इकबालपुर फैक्ट्री का ७६.५६ लाख है, क्रयकर ३ लाख ६० हजार है। पेमेंट किया ७८ लाख ४ हजार बकाया है ८ लाख १९ हजार। इसी तरह से सहारनपुर की फैक्ट्री का है। इसके जिम्मे था, ६१.२९ लाख, क्रयकर ४ लाख ९ हजार, पेमेन्ट किया ५७ लाख ६३ हजार, बाकी है १५ लाख ८ हजार। इसी तरह से देवबन्द फैक्ट्री का है। जोड़ना पड़ेगा, कई मिलों का बकाया है। माननीय सदस्य खुद जोड़ सकते हैं।	अलग-अलग दिया हुआ है। वह देखेंगे, इकबालपुर फैक्ट्री का पुराना बकाया ६.०७ लाख रु०, वर्ष १९६९-७० का गन्ना मूल्य ७६.५६ लाख है, क्रयकर ३ लाख ६० हजार है। पेमेन्ट किया ७८ लाख ५ हजार, बकाया है ८ लाख १९ हजार। इसी तरह से सहारनपुर की फैक्ट्री का है। इसके जिम्मे था, पुराना बकाया ७.३३ लाख रु० वर्ष १९६९-७० का गन्ना मूल्य ६१.२९ लाख, क्रयकर ४ लाख ९ हजार, पेमेन्ट किया ५७ लाख ६३ हजार। बाकी है १५ लाख ८ हजार। इसी तरह से देवबन्द फैक्ट्री का है। जोड़ना पड़ेगा कई मिलों का बकाया है माननीय सदस्य खुद जोड़ सकते हैं।
२--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ३०-४-७० की स्थिति बकाये की कितनी थी मिलों पर जिनमें कि रिसीवर्स मुकर्रर किये गये हैं ?	पूरी मिली जुली स्थिति तो नहीं बतला सकता क्योंकि सवाल अलग-अलग मिलों के लिये था इसलिए ३०-४-७० तक जो अलग-अलग भुगतान हुआ है वह इस प्रकार है:	पूरी मिली-जुली स्थिति तो नहीं बतला सकता क्योंकि सवाल अलग-अलग मिलों के लिये था, इसलिये ३०-४-७० तक जो अलग-अलग बकाया है वह इस प्रकार है:

१	२	३
	इकबालपुर ८ लाख १९ हजार रुपया, सहारनपुर १५ लाख ८ हजार रुपया, देवबन्द १७ लाख ८९ हजार रुपया, मंसूरपुर १४ लाख ८१ हजार, जसवन्त ४० लाख १० हजार, पन्नी जी १८ लाख, धामपुर १० लाख ५९ हजार, बरेली २७ लाख ७५ हजार, मसोधा ५५ लाख १५ हजार। सिसवा बाजार ४ लाख ६३ हजार इत्यादि, इत्यादि।	इकबालपुर ८ लाख १९ हजार रु०, सहारनपुर १५ लाख ८ हजार रुपया, देवबन्द १७ लाख ८९ हजार, मन्सूरपुर १६ लाख ७९ हजार, जसवन्त ५२ लाख ५७ हजार, पन्नीजी ३६ लाख ६६ हजार, धामपुर १० लाख ५९ हजार, बरेली ४८ लाख ३५ हजार, मसोधा ६९ लाख ३४ हजार, सिसवा बाजार २२ लाख ७ हजार, इत्यादि, इत्यादि।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१८–२२२ पर)

श्री अध्यक्ष---

इसके ऊपर आप को जानकारी मिल गयी। अब कोई इसके ऊपर प्रश्न नहीं होंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

स्पष्टीकरण इस पर नहीं होगा।

श्री रियासत हुसैन---

मैं आप के द्वारा मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि इस सवाल का मतलब सिर्फ यह था कि गन्ने की कीमत का बकाया रुपया पड़ा है जिसके लिए रिसीवर तक मुकर्रर किया गया लेकिन आज वह बकाया रुपये की तादाद और बढ़ गयी। कृपा कर के ऐसा प्रबन्ध करें माननीय मुख्य मंत्री भी मौजूद हैं कि जल्द से जल्द किसानों को बकाया रुपया मिल जाय?

श्री अध्यक्ष---

उसके लिए आप ने उनको सूचना दे दी लेकिन यहां प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने लिख कर दिया है नियम ३०१ में। आप के यहां भी नजरअन्दाज हो जाता है। सुबह आपसे प्रार्थना की।

श्री अध्यक्ष---

मैं कल फैसला दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं कल तक इंतजार करूंगा।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उसकी जानकारी अपने दफ्तर से मांगी है। वह आ जायगी तो कल आप को उत्तर दूंगा।

१९७०–७१ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा तथा मतदान होगा।

(श्री हरनरायन के खड़े होने पर) आज गवर्नर का एड्रेस नहीं है। वह कल होगा।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो चार महीने के लिए लेखानुदान पेश किया है खर्चे का, मान्यवर, उसक सम्बन्ध में यह उनकी किताब पढ़ लेने से निराशा ही निराशा दिखायी दे रही है।

श्री अध्यक्ष—

लेखानुदान पर चर्चा नहीं है अनुपूरक अनुदान पर है।

श्री त्रिवेणी—

अनुपूरक अनुदान पर मैं बोल रहा हूं। जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, मान्यवर, कायदे से इस सरकार को चाहे वह अनुपूरक अनुदान हो, चाहे लेखानुदान हो, कोई पेश नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि प्रजातन्त्र का यह तकाजा है कि सरकार को जनता ने हरा दिया और यही नहीं, माननीय मुख्य मन्त्री से ले कर इनकी मंत्रिपरिषद् के बहुत से सदस्य जनता का विश्वास खो चुके हैं। मान्यवर, अब इन्हें कोई अनुदान पेश करने का अधिकार नहीं है। अगर इनका चरित्र, ईमान और प्रजातंत्र में यह विश्वास रखते हैं और प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, प्रजातंत्र में इनकी आस्था है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री त्रिवेणी—

जो अनुपूरक अनुदान इन्होंने पेश किया है.....

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

जनता किसको चाहती है और किस को नहीं चाहती है इसी पर आज परीक्षा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य को अनुपूरक अनुदानों पर बोलना चाहिये।

श्री त्रिवेणी—

मैं यह कह सकता हूं और इसके लिये किसी को बुरा नहीं मानना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है..... (व्यवधान)

श्री जगननाथ खन्ना—

साढ़े ३ बजे तक इन अनुपूरक अनुदानों पर विचार हो जाय। फिर उसके बाद मतदा हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य का भाषण बजट पर है अथवा लोक सभा के चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनसे कह दिया कि वह अनुपूरक अनुदानों पर बोलें।

श्री त्रिवेणी—

जो अनुपूरक अनुदान पेश किये गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं। यह सरकार अनुपूरक अनुदान इसलिये पेश नहीं कर सकती कि वह प्रजातंत्र के ढांचे पर तथा उसकी बुनियाद पर गठित नहीं है। यह जनता का विश्वास खो चुकी है। इसलिये उसे जनता का कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

मैं अनुपूरक अनुदानों का विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो ब्योरा माननीय वित्त मंत्री ने दिया है वह जनता के हित में नहीं है। जनहित में इसलिये नहीं है कि प्रदेश का जो पिछड़ा इलाका है, गरीब तथा पीड़ित इलाका है उसके लिये सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह सरकार आश्वासन पर आश्वासन देती है लेकिन उनको पूरा नहीं करती। इन अनुपूरक अनुदानों से मालूम पड़ रहा है कि यह सरकार भागने वाली है, टिकने वाली नहीं है। कोई भी टिकाऊ सरकार ऐसे अनुदान पेश नहीं कर सकती। इस सरकार ने न पिछले वर्ष में तथा न इस वर्ष में किसान तथा मजदूरों के हित के लिये कोई भी कदम उठाये हैं। यह सब देखने के बाद तथा माननीय वित्त मंत्री का भाषण पढ़ने के बाद यह साबित होता है कि केवल आश्वासन की यह सरकार है। कोई जिम्मेदारी अथवा उत्तर-दायित्व यह सरकार नहीं निभा सकती है। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं उन को देख कर निराशा हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास बोर्ड, पिछड़े इलाके के विकास ब.र्ड, पहाड़ी इलाके के विकास बोर्ड की बातें तो बहुत कही गयीं लेकिन जो कदम उठाया गया वह केवल कोरा कागजी है और बजट में उसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों का ही मामला ले लीजिये, अध्यापकों का ही मामला ले लीजिये। उस के बारे में यह सरकार कहती है कि हम पे-कमीशन बैठायेंगे। मान्यवर, इस चीज को तो स्वयं मन्त्रि-परिषद् ही कर सकती थी। पे-कमीशन बैठा कर टालने की बात क्या कर रही है। यह इसलिये टाल रही है कि उसी में इसका भला है क्योंकि यह सरकार जान चुकी है और समझ गई है कि उनके कामों को जनता रिकग्नाइज नहीं करेगी। मान्यवर, पिछला जो मध्यावधि चुनाव हुआ है उसमें यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और उसे यह मालूम हो गया है कि अब हम रहने वाले नहीं हैं.....।

(व्यवधान)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

मान्यवर, इनको यह बता दिया जाय कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस नहीं चल रही है। यह अनुपूरक अनुदान पर बहस हो रही है.....।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी—

शायद श्री शास्त्री जी को बुरा मालूम हो रहा है। कृपया वे खामो श रहें और मेरी बात को सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

यह सदन की मर्यादा के खिलाफ होगा.....

श्री त्रिवेणी---

मान्यवर, मैं मर्यादा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास अभी सचेतक द्वारा लिख कर यह आया है कि श्री त्रिवेणी सहाय को हम पहल बोलने के लिये खड़ा नहीं करना चाहते थे और श्री रघुनाथ सिंह जी का नाम अब आया है क्यों कि वे इस पर तैयार हो कर आये हैं ...

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी---

मान्यवर, मैं तैयार हो कर आया हूं। मुझे बोलने दिया जाय। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जिस तरह से यह अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है उससे इस प्रदेश का कोई हित होने वाला नहीं है।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)---

मान्यवर, मान्यवर, मान्यवर, ये सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी---

किसानों की समस्याओं के बारे में यह सरकार कहती है कि हम इतने एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। किन्तु जो कदम इस सरकार ने किसानों की भूमि की सिंचाई के सम्बन्ध में उठाये हैं उससे सभी माननीय सदस्य परिचित हैं कि उन्होंने सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे कि उस की पैदावार बढ़ सके।

मान्यवर, बिजली की ही समस्या ले लीजिये। बिजली की समस्या सारे प्रदेश में इस प्रकार छिन्न-भिन्न हो गई है कि जिस किसी को बिजली मिल भी गई है उसको पूरी सिंचाई करने के लिये बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के बाद खाद की समस्या है। खाद के इतने दाम बढ़ गये हैं कि किसान की कमर टूट गई है इसके साथ ही साथ किसान का गल्ला सस्ता हो गया है। खाद के दाम ज्यादा, सिंचाई की दर ज्यादा और किसान के गल्ले का दाम सस्ता हो गया है। उससे किसान बहुत परेशान हो गया है और वह तबाह हो गया है।

मान्यवर, एक बात यह हुई कि आयुर्वेदिक कालेज को कानपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करने यह सरकार जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि स्वयं ही अपना काम कानपुर यूनिवर्सिटी पूरा नहीं कर पा रही है, जो यूनिवर्सिटी का उत्तरदायित्व होता है उसको ही नहीं निभा पा रही है, तो इन आयुर्वेदिक कालेजों को उस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करना कोई ठोस योजना नहीं कहा जा सकता। जो कुछ भी उन्होंने अपने भाषण में कहा है वह प्रदेश के हित में नहीं है तथा किसानों, कर्मचारियों और अध्यापकों के हित में भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

यह अनुपूरक अनुदान है, राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है।

श्री त्रिवेणी---

राज्यपाल के अभिभाषण की मैंने कोई बात नहीं कही है। बड़ा तीखा प्रहार मैंने जरूर किया है, मान्यवर।

श्री हरनरायन--

व्यवस्था का प्रश्न है। एक सदस्य कितनी बार "मान्यवर" कह सकता है एक बार में, कृपया व्यवस्था दें।

श्री त्रिवेणी--

"मान्यवर" को हमेशा "मान्यवर" से संबोधित किया जा सकता है। तो जो अनुपूरक अनुदान की उन्होंने मांग की है मान्यवर, वह बेसलेस है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हू और कड़ा विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

इधर से कोई बोलना चाहें तो खड़े हो जायं.....।

(कुछ क्षणों के बाद)

वास्तव में रघुनाथ सिंह जी का भाषण इस पर होना चाहिये था, वह तैयार हो कर आये हैं। पहली लिस्ट में त्रिवेणी जी का प्रथम नाम था, लेकिन वह राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने वालों की फेहरिस्त थी, तो मैंने वही गलती से उठा ली, लेकिन.....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक व्यवस्था चाहता हूं। यह भाषण जो हुआ है यह क्या हुआ है?

श्री अध्यक्ष--

भाषण गलती से हो गया .....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

बजट के ऊपर जो भाषण करने का अधिकार था वह उनका समाप्त हो गया.....

श्री अध्यक्ष--

मैंने बुलाया था, इधर से कोई खड़ा नहीं हुआ ....

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज अनुपूरक बजट पर लोग बोल रहे हैं और लेखानुदान पर बिना बहस के ही वोट करायेंगे, ऐसा आपने एनाउन्स कराया। मैं चाह रही थी कि चूंकि लेखानुदान पर बहस नहीं होगी लेकिन अनुपूरक बजट पर बोलते हुए थोड़ा बहुत जो लेखानुदान में सरकार ने अपनी तरफ से कुछ उल्लेख किया है उस पर दो-एक अपने सदस्य विचार रखना चाहते हैं तो उस की आप अनुमति देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है आपके यहां से। इस साढ़े तीन बजे के अन्दर ही जो कुछ कहना चाहें वह कह लें, उसके अन्दर ही होगा।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आप ने आज इस अनुपूरक बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, जहां तक मैंने बजट मैनुअल को पढ़ कर के समझा है तो इस अनुपूरक बजट को सदन में लाने के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला यह कि पिछले बजट में जो खर्चे के प्राविधान किये गये थे अगर लोकहित में आवश्यकतानुसार कुछ कार्य ऐसे आ गये जिन पर अधिक व्यय करना आवश्यक हो गया और व्यय किया गया तो समय से अनुपूरक बजट लाया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि लोकहित में ये ये आवश्यक व्यय सरकार ने कर लिए जिनको एडजस्ट करना आवश्यक है।

[श्री रघुनाथ सिंह---जिला कानपुर]

दूसरी चीज यह कि अगर बजट सत्र के बाद शीघ्र ही ऐसा महसूस किया जाता है कि कोई आवश्यक खर्चा अभी बजट ईयर के अन्दर अर्थात् ३१ मार्च के अन्दर किया जा सकता है तो उस का उल्लेख पूरक बजट में किया जाता है। यह बजट मैं कल से बड़े गौर से पढ़ रहा हूं। उसे पढ़ने से मुझे यह आभास हुआ, मैंने ऐसा महसूस किया श्रीमन्, कि ऐसा लगता है कि सरकार ने बड़े आधे दिल से इस बजट को सदन में पेश किया है जिससे उस की जिम्मेदारी प्रकट होती है। सरकारी अधिकारियों ने जैसा उनका तरीका होता है मनमाना बजट बनाया और शायद मंत्री जी को यह मौका ही नहीं मिला कि वह इस बजट को ढंग से देख भी सकते कि यह सदन में जब आवेगा और सदस्यगण इसको पढ़ेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरे सदन के बाहर जब यह बजट जायेगा और वहां पर जब लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे तो इस सरकार का कितना मखौल उड़ेगा। लेकिन उन को शायद यह सब सोचने-समझने का अवसर ही नहीं मिला।

एकाध मिसाल मैं आप को इस बजट की दूं। इस बजट के (खंड २) पृष्ठ ३५ पर आप चिकित्सा की मद के अन्तर्गत देखें। आयोजनागत---ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त एलोपैथिक औषधालयों की स्थापना। इस मद के अन्तर्गत ४,६०,५०० रु० के अतिरिक्त अनुदान की मांग दिखायी गयी है। यह विषय ही अनुपूरक बजट का नहीं है। आज २४ तारीख हो गयी और ३१ मार्च तक स्वीकृत रुपये को चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत खर्च होना है। इसमें है कि जनता से ऐसे औषधालयों की मांग निरन्तर प्राप्त हो रही है। इसलिये १० और औषधालय स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता प्रतीत होती है। इन अतिरिक्त १० औषधालयों के खोलने में चतुर्थ आयोजनाकाल के चार शेष वर्षों में कुल ४,६०,५०० रु० (३,९९,७०० रु० आवर्तक तथा ६०,८०० रु० अनावर्तक) का व्यय होगा। यह मूल बजट का विषय है न कि अनुपूरक बजट का। आज २४ तारीख हो गयी ---मैं उधर के सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इन ६--७ दिनों के अन्दर ये अस्पताल कैसे और कहां खोले जा सकेंगे और यह रुपया कैसे व्यय किया जायेगा? बड़ी साफ बात है और गवर्नमेन्ट की बहुत सी रिपोर्टों में भी मौजूद हैं कि रुपया सरकार यहां से मंजूर करा लेती है और मंजूर कराने के बाद वह रुपया लैप्स हो जाता है। आडिट रिपोर्ट में भी आया है कि यह सरकार का बड़ा निकम्मापन है कि यहां से रुपया मंजूर करा लिया गया और वह रुपया उपयोग में न आकर लैप्स हो गया। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे अपना भाषण दें तो इसकी भी थोड़ी सफाई कर दें कि इन ६--७ दिनों के अन्दर कौन सा जादू आ जायेगा जिससे ये अस्पताल ताश के महल की तरह से बना कर खड़े कर दिये जायेंगे। ऐसे बहुत से आइटम्स हैं श्रीमन्, इस बजट में जिनके लिये रुपया इसी अनियमित ढंग से मांगा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)---

श्रीमन्, आप की इजाजत से मैं इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं। माननीय मंत्री जी आप से कुछ कहना चाहते हैं। अपने भाषण में अभी आप ने जो कुछ कहा उसके सम्बन्ध में वे कुछ एक्सप्लेन कहना चाहते हैं ताकि आप को बोलने में आसानी हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में १० अस्पताल खोलने का प्राविधान किया गया था लेकिन जनता की बढ़ती हुई मांग को देख कर सोचा गया कि कुछ और अतिरिक्त अस्पताल खोले जायं। तो इस पूरे योजना काल के इस वर्ष में दो अस्पताल और खोले जायेंगे ताकि प्रदेश की जनता को सहूलियत पहुंचायी जा सके। इसके लिये आप को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना है। इसके लिये जो बजट आप ने दिया है उस में जो बचत होगी उसी से यह काम पूरा हो जायेगा। केवल एक नयी मद बनायी गयी है जिसमें १०० रुपये की प्रतीकात्मक अनुपूरक मांग रखी गयी है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बचत कहां से होगी ? दूसरी बात यह कि इस खर्च को आप ३१ मार्च के बाहर तो कर नही सकेंगे। ३१ मार्च के पहले कोई न कोई लेखा-जोखा देना पड़ेगा कि यह रुपया खर्च हुआ या लैप्स हो गया।

इसमें कहा गया है कि जनता की मांग बढ़ रही थी और हम आवश्यक समझते थे कि अतिरिक्त अस्पताल खोलना आवश्यक है। अगर ऐसा आवश्यक था तो इसको आप पिछले मूल बजट में ले आते। कुछ अंश इसमें बड़े अस्पष्ट हैं जैसा कि पिछली बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चरण सिंह जी ने कहा था कि यह बजट का इतना बड़ा ग्रन्थ बना दिया जाता है कि पूरी बात समझने में दिक्कत होती है। इसलिये श्री नारायणदत्त जी ने एक नयी परम्परा डाली थी परफार्मेंस बजट की जिससे सदस्यों को यह मालूम होता जाय कि कौन-सी योजनायें कितनी आगे बढ़ीं। लेकिन इस बार वैसी कोई बात नहीं हुई। इस अनुदान में जो ४,६८ लाख रुपये की मांग रखी गयी है उनमें से कितना रुपया ऐसा है जो खर्च हो चुका है और कितना इन ६ दिनों में खर्च हो जायगा यह सब अस्पष्ट है। मेरी समझ में तो आता नहीं कि सरकार ६ दिन के अन्दर कोई जादू कर देगी और यह रुपया खर्च हो जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपको साहित्य मिला है उसके पृष्ठ ३५–३६ पर देख लें, वहां पर सारा विवरण दिया गया है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

पहले आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन का ध्यान लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९६९ की ओर दिलाना चाहता हूं। आखिर यह आडिट रिपोर्ट है किसलिए ? इससे हमें भविष्य के लिये प्रेरणा लेनी चाहिये और पिछली बार की हुई गलती में कुछ सुधार अवश्य किया जाना चाहिये। इसके पृष्ठ २१ पर ६५-६६, ६६-६७ और ६७-६८ के संबंध में राय दी गयी है। इस में लिखा है कि ६५-६६ में ६,४८,७७,००० रुपये की बजट में व्यवस्था की गयी थी जिसमें से केवल ५,७९,१४,००० रुपया ही खर्च किया गया और ९ प्रतिशत ग्रान्ट लैप्स हो गयी। ६६-६७ में भी लैप्स होने का यही अनुपात रहा। ६७-६८ में जरूर कुछ सुधार हुआ और वह घट कर ३ प्रतिशत हो गया। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बजट में जो मांगें रखी गयी हैं उनका रुपया सरकार ७ दिनों के अन्दर खर्च नहीं कर सकती। इसलिये वह फिर पुरानी गलती को रिपीट कर रही है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट में फिर उस पर ऐतराज होगा।

एक बात और बड़ी दिलचस्प और हास्यास्पद इस बजट में मालूम पड़ती है। अभी तक मैंने बहुत से बजट देखे लेकिन इस प्रकार के खर्चे के संबंध में आज पहली बार ही देखने को मिला। पृष्ठ ६ पर आप देखें। इसमें उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के व्यय में वृद्धि हो जाने से पैसा मांगा गया है। यह सही है कि हमारे मौजूदा मंत्रि-परिषद् में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हो गई है। इसका क्या औचित्य है ? इसको सोचने पर दिल बैठ जाता है। जन धन का व्यय कहूं या अपव्यय कहूं, इसे करने के लिये एक लाख दो हजार रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। पिछले दिनों अखबारों में बड़ी चर्चा रही और हमने देखा कि हमारे मंत्रिगण ने अपने-अपने जिलों के और घरों के कितने कितने चक्कर लगाये और वे सब सरकारी खर्च पर लगाये। वैसे वे नार्मल कोर्स में इतने अपने घरों को नहीं जाते होंगे। मुझे मालूम है कि उनके क्षेत्र में कोई विवाह या जनेऊ या कोई और मामूली उत्सव ऐसा नहीं हुआ जिस में मंत्री जी न गये हों पिछले लोक सभा के चुनावों में हमारे मंत्रियों ने बड़ा सक्रिय भाग लिया। हम समझते हैं कि उसमें सारा सरकारी खर्चा हुआ। उसका सारा भार पब्लिक एक्सचेकर को उठाना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया

[श्री रघुनाथ सिंह---जिला कानपुर]

व्यक्त करें और बताएं कि पिछले दिनों में क्या कभी इस तरह का खर्चा हुआ, और यदि नये तरीके से यह खर्चा हुआ है तो इसका क्या औचित्य है ? जनता को वे क्या जवाब देंगे ? जनता जो टैक्स देकर सरकार चलाती है जब उसको इसकी सूचना मिलेगी कि मंत्रियों का फौज को चलाने के लिये जनता के टैक्स से इस तरह का खर्च किया गया और सदन ने उसको मंजूर कर दिया तो हम लोगों के लिये जनता क्या कहेगी । मैं इस आइटम पर सदन के समस्त माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे इस पर मंजूरी देने से पहले सोच लें कि उनको इसके लिय जवाब देना होगा ।

इसी किस्म की और भी बड़ी हास्यास्पद और मनोरंजक बातें हैं इस बजट में जिनके संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि कोई सामञ्जस्य बजट बनाने वालों में और मंत्रि-परिषद् में नहीं हुआ। एक साथ बैठ कर उनको विचार करना चाहिये था कि यह बजट सदन में जायेगा और अगर कोई ऐसी बात उठी तो वे क्या उत्तर देंगे ? मसलन आप पृष्ठ ५२ पर देखें । यह बड़ी मोटी गलती है हमारे विभाग के एस्टीमेशन की । इससे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं कि ढूंढ़ने से नहीं मिलेगी । इसमें नियोजन और समन्वय अनुदान संख्या २६ के अन्तर्गत २० लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है । किस लिये ? इसके लिए आगे लिखा है कि "चालू वर्ष के आयोजनेतर एवं आयोजनागत पक्ष में इन विकास खण्डों के लिये मूल बजट में जो प्राविधान सम्मिलित किया गया था, वह कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्तों, डाक की दरों और सामान्य मूल्यों में वृद्धि के कारण कम पड़ जाने की सम्भावना है । आप देखें कि २० लाख रुपया सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता, डाक की दरों और सामान्य मूल्यों में वृद्धि के लिये मांगा जा रहा है । मैं नहीं समझता कि कर्मचारियों के वेतन में सरकार ने ऐसी कौन सी आकस्मिक वृद्धि करदी है या उनके महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि करदी या डाक का व्यय ऐसा कौन-सा आकस्मिक रूप से बढ़ गया कि जसको पूरा करने के लिये २० लाख रुपये की आवश्यकता है औरअगर आवश्यकता थी भी तो मूल बजट में इसे आना चाहिये था । जाहिर है कि उस समय भाई लोग सोते रहे और अब या तो खर्चा हो गया है या अगर नहीं खर्च हुआ है तो इन ७ दिनों में कैसे पूरा खर्चा हो जायेगा ? क्या कुछ लोगों की तनख्वाह बाकी रह गई है जिसको पूरा करने के लिये इस २० लाख रुपये की आवश्यकता है ? बहरहाल, मेरी समझ में नहीं आया । कोई गलती हो तो वित्त मंत्री अपने भाषण में इसको स्पष्ट करने की कोशिश करें क्योंकि जब मैं नहीं समझ पाता तो जनता के सामने जब यह बजट जायेगा तो वह कैसे समझ पायेगी कि आखिर क्या बात होगई जिसकी बजह से इस गलती को रेगुलराइज करने के लिये सदन को इस तरह से धोखा दिया जा रहा है ?

एक और दिलचस्प बात है, मान्यवर । पेज ५८ पर गंगा नहर की विशेष सफाई के लिये जो रुपया मांगा गया है उसमें ऐसा मालूम होता है कि हाथ की बड़ी सफाई दिखाई गयी है । हमारे सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि अलकनन्दा में भयानक बाढ़ आ जाने के कारण गंगा नहर बजरी से भर गई थी जिसकी वजह से वहां क पावर हाउसेस वगैरह में काम होना बन्द हो गया था और एक बड़ी इमर्जेन्सी की स्थिति पैदा हो गई थी । हमारी सरकार ने बड़ी तत्परता दिखाई है, इसके लिय मैं शुक्रगुजार हूं, और उसकी सफाई करा दी जिससे वहां के पावर हाउसेज़ वर्क करने लगे । लेकिन इसमें लिखा है कि नहर की विशेष सफाई का अनुमान प्राप्त आगणनानुसार ९३.४० लाख रु० है जिसमें से वर्ष १९७०-७१ में ८६ लाख रु० का व्यय किया जायगा । इससे मालूम पड़ता है कि अभी वहां सफाई वगैरह नहीं हुई है और वहां पावर हाउसेज़ काम नहीं कर रहे हैं । लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि वहां सारा काम हो गया है और पावर हाउसेज काम कर रहे हैं । तो दोनों में से कौन सी बात सही है, सरकार स्पष्ट करे । अगर जो हम सब की सूचना है वह सही है तो लोग इस रुपये का गड़बड़ घोटाला करना चाहते हैं, ऐसा मालूम होता है । बहरहाल, यह बात गंभीर है जिसे स्पष्ट होना चाहिये । इसमें ७ लाख ४० हजार रुपये का व्यय १९७१-७२ में करना होगा । जहां पर कुछ काम बाकी रह गया है यह रुपया उस काम पर व्यय किया जायगा । इतने पार्ट से तो मैं यह समझ सकता हूं कि जो काम अभी होना है उस पर

यह रुपया खर्च किया जायगा लेकिन जो काम महीनों पहले हो गया उसके लिये मैं पूछना चाहता हूं कि उन दिनों कहां से रुपया लेकर खर्च किया गया ? सरकार ने नहीं बताया कि वह रुपया कहां से लेकर खर्च किया गया ? बिड़ला से लिया गया या टाटा से लिया गया ? रहस्य क्या है ? इस तरह से यह मांग एक अजीब ढंग से रखी गई है । इसलिये मैं इस सदन से मांग करता हूं कि यह सदन इस मांग को नामंजूर कर दे । इसके बारे में जो घपला है उसको वित्त मंत्री जी स्पष्ट करें जिससे हम लोग भी उसे समझ सकें ।

मान्यवर, अब पृष्ठ ६३ देखने का कष्ट करें । हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती थी कि जब हमारे प्रदेश में एक बड़ी अच्छी संख्या में पिछली सरकार ने कुछ सड़कों की योजना हमारे इस बजट में रखी थी । उत्तर प्रदेश सड़क निधि से स्वीकृत सड़कों का सर्वेक्षण इसमें रखा गया है । हमारे सदस्यों को बड़ा उत्साह था कि हमारे यहां इतने बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण किया जायगा .....

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब लोग तैयारी करके बोलते हैं तो उनको समय लग ही जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

इनको ३० मिनट का समय दिया गया था । अब उनके ७ मिनट और शेष रह गये हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)---

मैं ऐसी बातें कह रहा हूं जिनसे प्रदेश का भला होगा । मैं यह कह रहा था कि हम लोगों ने देखा था कि बड़ी संख्या में सड़कें यहां पर मंजूर हुई हैं । तो जब हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में गये तो हम से जनता ने पूछना शुरू किया कि जो सड़कें मंजूर हुई हैं वे कब तक बनेंगी । हम लोग बड़ी हैरत में पड़ गये जब कोई काम कई महीने तक शुरू नहीं हुआ । हमने इंजीनियर से पूछा, फिर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से पूछा, कोई पता नहीं चला । मन्त्री जी को तो फुरसत ही कहां है कि उनको पता हो सके और वे बता सकें । इस अनुपूरक बजट को देखा तो पता चला कि सर्वे डिवीजन बनाया जायगा तब वह सड़कों का सर्वेक्षण शुरु करेगा । सर्वे डिवीजन अब बनाया जायगा और सड़कों के लिये रुपया पिछले बजट में मंजूर हो गया था । सर्वे डिवीजन का खर्चा भी वास्तव में सड़कों के साथ ही मंजूर होना चाहिये था । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी यहां पर कुछ फरमा दें कि वह सड़कें कब बनाई जायंगी । यह सर्वे डिवीजन कब तक अपना काम पूरा कर लेगा और और ये सड़कें कब तक पूरी हो जायंगी और यह प्रदेश कब इस स्थिति में होगा कि उन सड़कों का पूरी तरह से उपभोग कर सकेगा ? मान्यवर, यह भी डिपार्टमेंट का करिश्मा है जिसको हमारी सरकार नहीं समझ पा रही है । इन सड़कों की मंजूरी के साथ ही यह खर्च भी मंजूर हो जाता और अब तक सर्वे डिवीजन बहुत सा काम कर के इस योग्य हो जाता कि वहां सड़कों पर काम चालू हो जाता ।

अब दो एक और आवश्यक बातें कह कर सरकार की तारीफ में भी कुछ कहूंगा ताकि जायसवाल जी जैसे कर्मठ लोगों को कुछ राहत हो । आप पृष्ठ ६८ पर देखें, यह घपला भी समझ में नहीं आता है । परिवहन-अनुदान संख्या ३७ केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के कार्यालय में अतिरिक्त स्टाक सामग्री का क्रय । मैं कानपुर का रहने वाला हूं और मुझे इस कर्मशाला के बारे में प्रायः सुनने का मौका मिलता है और पिछले सदन में मैंने इसके बारे में एक प्रश्न भी किया था, अखबार में भी वह निकला था, शायद वहां पर २५ हजार रुपया रोज का घाटा हो रहा है । चूंकि वहां पर बसों का एक बड़ा भारी काफिला बेकार खड़ा है, वह वहां राट कर रहा है । यद्यपि किसी कारणवश ठीक उत्तर तो मुझे मेरे प्रश्न का नहीं मिल सका था लेकिन इस आइटम को देख कर मुझे ऐसालगता है कि यह मांग भी उसी घुटाले से सम्बन्धित है । इसमें लिखा

[श्री रघुनाथ सिंह]

है कि "केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के कार्य-कलापों में तथा स्टाक सामग्री और निर्माण कार्या देश के संबंध में हुये व्यय के समायोजन के फलस्वरूप आय-व्ययक में किया गया दस करोड़ रु० का प्राविधान कम पड़ गया है और २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ गई। इसमें से २५ लाख २६ हजार ९ सौ रुपया अन्य उपशीर्षकों की बचत से पूरा किया जायगा तथा १ करोड़ ७४ लाख ७३ हजार एक सौ रुपये की कमी फिर भी रह जाती है। चूंकि यह व्यय किया जा चुका है और इस व्यय के पूरा करने के लिये कहीं बचत भी उपलब्ध नहीं है अतः एक करोड़ ७४ लाख ७३ हजार एक सौ रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है"। मैं समझता हूं कि इसके बारे में अलग से एक रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये थी क्योंकि यह बड़ी ही भयावह स्थिति है, यह कोई छोटा-मोटा खर्च नहीं है, २ करोड़ रुपये के करीब का खर्च है। केवल इतना लिख देने से कि कुछ चीजों का क्रय किया गया है और खर्च हो चुका है और एडजस्टमेंट के लिये २ करोड़ रुपये चाहिये, स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी, अन्य मंत्रिगण तथा मंत्रि-परिषद के सदस्य कानपुर जाते ही रहते हैं और इस वर्कशाप के कार्य-कलापों को वह देखा करते हैं और सुनते रहते हैं, वहां से तमाम बैटरीज और डायनमो चोरी होते हैं और पता नहीं वहां क्या क्या होता रहता है। वहां पर तमाम तरह की चोरी और घुटाला मौजूद हैं और उस रकम को इस तरह से पब्लिक एक्सचेकर से पूरा करना कहां तक उचित है, आप इस का उत्तर जनता को नहीं दे सकेंगे। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस के बारे में सफाई सदन के सामने रखें क्योंकि वह चाहते हैं कि यह मंजूर हो जाय। मुझे सरकार पर विश्वास है कि वह इस गड़बड़ में शामिल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो असलियत है वह हमें बता दी जाय कि कौन सी ऐसी चीजें हो गईं कि दस करोड़ रुपया व्यय करने के बाद २ करोड़ की मांग और क्यों जरूरी है जिसको फौरन मंजूर करना आवश्यक है। अब २ आइटम्स के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक तो बजट में वर्क चार्ज्ड एम्प्लाइज के बारे में पृष्ठ ६६ पर जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लाया जायगा। यह काम सरकार ने ऐसा किया जिसकी सदस्यों ने मांग की थी। इसलिये मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने यह काम ऐसा किया कि जब इतिहास कुछ लिखेगा तो यह उनके क्रेडिट में लिखा जायगा।

दूसरा अच्छा कार्य जो इस सरकार ने किया है उसका जिक्र पृष्ठ ७० पर है कि एलन वन कानपुर में प्राणि-उद्यान की स्थापना हो रही है। इस कार्य के लिये मैं अपनी ओर से और कानपुर की जनता की ओर से इस सरकार को बधाई देता हूं कि कानपुर को जो हमारे प्रदेश का इतना महत्वपूर्ण और औद्योगिक नगर है, उसकी इस आवश्यकता पर गौर किया और वहां पर यह कार्य हो रहा है।

अन्त में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि पिछले माननीय मंत्रियों के आश्वासन को नये मंत्रियों ने खटाई में डाल दिया है। कानपुर में लखनऊ के लिये एक रोडवेज का बस स्टेशन है। वहां पर किस कदर परेशानी मुसाफिरों को होती है, बयान नहीं किया जा सकता है। पिछली बार हमारे परिवहन मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि वहां पर एक नया स्टेशन बनने की योजना है लेकिन पिछले छः सालों से सा० नि० विभाग के असहयोग के कारण वह नहीं बन पा रहा है। मैं नहीं मानता कि सा० नि० वि० सरकार से अलग है और उसके असहयोग के कारण जनता की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इसके बारे में जनता में बड़ी निराशा और असन्तोष की भावना व्याप्त हो रही है। यदि पूर्व मंत्री जी के आश्वासन को ये मंत्री जी अपना आश्वासन नहीं समझेंगे तो २ सरकारों के बीच में कैसे तारतम्य पैदा होगा। मैं चाहूंगा कि जनता के हित को ध्यान में रख कर यह सरकार सोच-समझ कर गम्भीरता से इस बजट पर निगाह डाले और तब इसे मंजूरी के लिये रखे। मैं यह भी चाहूंगा कि हमारा मंत्रि परिषद् पिछली कार्यवाही को पढ़ जाय और जहां-जहां उस सरकार ने सदन में आश्वासन दिये हैं अगर वे यहां पर रहते हैं, तो उन्हें अपने वचन समझें और उनको अपने वचन समझ कर-पूरा करने की कोशिश करें।

(श्री नित्यानन्द का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—श्रीमन्, कल बोलूंगा। इस समय माननीय कपूर बोलेंगे।

*श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने अनुदानों के सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ७०-७१ के अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे देखा जाय तो दो दिन पहले राज्यपाल महोदय ने कुछ घोषणायें अपने अभिभाषण में कीं सरकार की ओर से। लेकिन मैं समझता हूं कि जो घोषणायें की गई हैं उनको अगर एक महीने या दो महीने पहले घोषित किया जाता और सरकार निर्णय लेती तो बहुत अच्छा होता। सरकार ने निर्णय लिया और उन निर्णयों को अपनी अनुपूरक मांगों में स्थान दिया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारियों के पुनरीक्षित दरों के हिसाब से महंगाई-भत्ता बढ़ाया गया है। यह बहुत दिनों से उनकी मांग थी और इस में जो महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है वह वास्तव मेंस्वागत करने योग्य है। इसी प्रकार से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। राज्य के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल के शिक्षणेतर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में भी वृद्धि की गई है। यह बात हर आदमी मानता है और इस प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि यह जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं ये बहुत अधिक कार्य करते हैं। इनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है परन्तु इनको जो महंगाई-भत्ता मिलता है या जो वेतन मिलता है वह कम है। उनका जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वह अपर्याप्त है। इस समय जो राज्य सरकार ने दिया है वह स्वागत करने योग्य है और मैं समझता हूं राज्य कर्मचारियों में जो असन्तोष है उसे इसी प्रकार से दूर किया जा सकता है कि हम समय-समय पर उनकी कठिनाइयों को समझें और समझ कर सहायता प्रदान करें। स्थानीय निकायों के अध्यापक निश्चित रूप से बहुत कम वेतन पाते हैं। उनका वेतन-क्रम ४० रु० और ५० रुपये है। यह बहुत कम है।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए)।

परन्तु राज्य सरकार ने उनकी ओर भी ध्यान देकर उनके वेतन-क्रम में जो ६० से ८० रु० की वृद्धि की है और इसी प्रकार से महंगाई-भत्तों में वृद्धि की है वह भी प्रशंसा के पात्र कार्य हैं और स्वागत करने योग्य हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि जो कोठारी कमीशन ने शिफारिश की है अथवा जो हम लोगों की अध्यापकों की मांग है कि उन को १५० रु० मासिक देना चाहिये उसमें अभी भी त्रुटि है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो कुछभी बढ़ाया है वह ठीक है। परन्तु जो प्राइमरी के अध्यापक हैं उनकी आवश्यकताओं और कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय। यहां पर अनुपूरक अनुदान में २ करोड़ ८ लाख रुपये की व्यवस्था इस बात के लिये की गई है कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन समुचित रूप से बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाय। यह स्वागत योग्य है। मैं समझता हूं कि पहली अप्रैल से जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की है कि इन विद्यालयों के तमाम अध्यापकों को इसी प्रकार से बैंकों के द्वारा वेतन वितरण करेंगे, इसका कठोरता से पालन किया जाय। आज ऐसे अनेक विद्यालय हैं और कम से कम महिलाओं के ऐसे विद्यालय हैं जहां ८-८ और १०-१० महीने वेतन नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि सरकार को कठोरता से इस नियम का पालन कराना चाहिये और अध्यापक लोगों को वेतन दिलाया जाय।

एक बात मैं वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री से इस सम्बन्ध में अवश्य करना चाहूंगा। इसमें एरियर का जिक्र नहीं है। जहां वेतन मिला है १ अप्रैल ७१ से पहले, वहां अनेक ऐसे अध्यापक और अध्यापिकायें हैं जिनको एरियर नहीं मिला है। इनको कैसे वेतन मिलेगा? मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री तमाम प्रदेश के ऐसे अध्यापकों को जिनको ८-८ और १०-१० महीनों से वेतन नहीं मिले हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र दिलाने का कष्ट करेंगे। राज्य कर्मचारियों, स्वायत्त शासन कर्मचारियों के निमित्त एक वेतन आयोग की स्थापना की गई है जो प्रातःकाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल कपूर]

प्रश्नोत्तर काल में, वित्त मंत्री ने कहा कि जो आयोग है उसकी स्थापना की जाने वाली है। मैं चाहता हूं कि आज वित्त मंत्री जी उसकी घोषणा करें। जहां तक मुझे ख्याल है वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक अनुदान के भाषण में श्री निगम का नाम भी लिया है। अगर जज की नियुक्ति कर दी गयी है तो क्यों उन्होंने कहा कि आयोग की स्थापना की जाने वाली है। आज वह घोषणा करें कि हमने वेतन आयोग की स्थापना कर दी है और फलां जज उसके चेयरमैन हैं। १५ करोड़ की जो व्यवस्था कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के लिए की गयी है, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति उसका स्वागत करेगा और सरकार उसके लिये धन्यवाद की पात्र है। इसमें ईमानदारी से उनको पैसा दिया जाय, इसमें एक कमी दिखायी देती है कि हमारी सरकार ने यह घोषणा नहीं की है कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्तरिम सहायता के रूप में क्या देंगे और किस समय से देंगे। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी आज यह घोषणा करें कि अन्तरिम सहायता जो वे रहे हैं वह कितनी और कब देंगे।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के सम्बन्ध में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। प्रातःकाल प्रश्नोत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री जी ने यह बताया कि उनके महंगाई भत्ते में हमने वृद्धि कर दी है। मैंने भी अनुपूरक अनुदानों की मांग का पूरा अध्ययन किया है, कहीं भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं दी गयी। सरकार ने इस प्रकार का सिद्धान्त भी स्वीकार नहीं किया कि जो राजकीय विद्यालय हैं उनके अध्यापकों को जो महंगाई भत्ता मिलेगा वही भत्ता समानता के आधार पर सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी मिलेगा। जहां तक अध्यापकों की यह मांग थी कि वतन समय से और ठीक-ठीक मिले, सरकार ने उसकी व्यवस्था की यह तो बहुत ठीक किया परन्तु महंगाई भत्ते में समानता देना बहुत आवश्यक है। फरवरी, ६८ में जो महंगाई भत्ता राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को अधिक दिया गया है वही केवल रहता है। केवल ४० लाख रु० का खर्च है। वित्त मंत्री जी यह समानता कर दें, यह उनकी बहुत बड़ी देन होगी और अध्यापक वृन्द उनका आभार मानेंगे।

इसी तरह से जो अन्तरिम सहायता राज्य कर्मचारियों और स्वायत्त शासन कर्मचारियों को देना चाहते हैं, उसी तरह से अध्यापकों को भी अन्तरिम सहायता दें तो मैं समझता हूं कि अध्यापक उनको बहुत अच्छी तरह से धन्यवाद देंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं। जायसवाल जी उपस्थित होंगे। करीब दो साल से आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों की एक मांग चली आ रही है कि उनके विद्यालयों को एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करके उससे सम्बद्ध कर दिया जाया या फिर कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय। राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह इंगित किया गया है कि इनको कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर सरकार में प्रमाणिकता है और निश्चित रूप से उसने यह निर्णय किया है अनुपूरक मांग में भी उसका जिक्र होना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये छात्र अत्यन्त कठिनाई में हैं। उनको किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि या सुविधा जो डाक्टरों को मिलती है, वह नहीं मिलती। पांच साल वह भी लगाते हैं और पांच साल आयुर्वेदिक कालेज का विद्यार्थी भी लगाता है। इसी प्रकार से जो सुविधाएं डाक्टरों को एम० बी० बी० एस० करने के बाद मिलती हैं वे इन विद्यार्थियों को नहीं मिलतीं। यह असमानता भी निश्चित रूप से दूर होनी चाहिए। वह तभी हो सकती है जब कि आप इन्हें कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करें। आपने निर्णय भी लिया है कि आयुर्वेदिक के जो स्कूल हैं उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करेंगे। मैं आशा करता था कि अनुपूरक अनुदान में वह बात आती

लेकिन वह नहीं आयी। मैं निवेदन करूंगा कि इसी मार्च में इस दिशा में भी कोई कदम उठायें। इसी प्रकार से अपने प्रदेश के डिग्री कालेज और महाविद्यालय के अध्यापक असेम्बली के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके वेतन समान होने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय और हमारी सरकार उनकी उचित मांगों पर ध्यान देकर कोई कार्यवाही करे।

एक बात बहुत अखरती है कि अपने देश और प्रदेश में पढ़े और बेपढ़े लोगों में बेकारी बहुत है। इंजीनियर्स बेकार हैं। मैं सरकार का ध्यान अकर्षित करना चाहता हूं कि अनेक ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अस्थायी रूप से रख लिये जाते हैं और वे स्थायी नहीं किये गये। सिंचाई विभाग में १३६६ इंजीनियर्स में ११३० अस्थाई हैं, पी० डब्लू० डी० में ६४९ में ५२५ अस्थायी हैं और एल० एस० जी० डी० में २३८ में २३१ अस्थायी हैं। इसमें कुछ बढ़ौतरी हो गयी है। ये अस्थायी इंजीनियर्स कब तक अपने दिल और दिमाग से मेहनत करके सेवा कर सकते हैं। जो नियम हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिये और जो अस्थायी इंजीनियर्स हैं उन्हें स्थायित्व प्रदान करना चाहिये। हमारी सरकार को इस ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे इंजीनियर्स बेकार न रहें। अन्त में एक बात की ओर और ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं और वह यह कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश के प्रति बड़ी उदासीनता, उपेक्षा और सौतेली मां का सा व्यवहार करती है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि हमारा पिछड़ापन, गरीबीपन इसलिये है कि भारत सरकार मदद नहीं देती। भारत सरकार हमारी जनसंख्या के आधार पर १८१ करोड़ रुपया हमें दे तो हम अपनी हालत को सुधार सकते हैं। लेकिन भारत सरकार रुपया नहीं देती। दूसरी तरफ हमारे आयकर और एक्साइज शुल्क का बहुत बड़ा अंश केन्द्रीय सरकार लेकर दूसरे प्रान्तों को दे देती है। आयकर और एक्साइज शुल्क का अंश प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर देना चाहिये। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार भारत सरकार उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन में रखना चाहती है। गरीबी को दूर करने का नारा देकर भारत सरकार चुनाव के मैदान में कूदी लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखें। संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन इस राज्य को ९८५ लाख रुपया मिलना चाहिये था परन्तु भारत सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से सार्वजनिक निर्माण और अन्य योजनाओं के लिये १८६ लाख रुपया मिलना चाहिये था लेकिन वह भी भारत सरकार ने नहीं दिया। हमें केन्द्र से ११२ लाख रु० एक योजना के लिये मिलना था, वह भी नहीं प्राप्त हुआ। इसी प्रकार श्रम विभाग के लिए १८४ लाख रु० प्राप्त होना था, जो हमको नहीं दिया गया। उत्तराखंड के विकास के लिये हमको १०० लाख रु० मिलना था, परन्तु वह भी नहीं मिला। इन उदाहरणों से बिलकुल स्पष्ट है कि जो रुपया केन्द्रीय सरकार को हमको देना चाहिये था नहीं दिया। मैं यह चाहूंगा कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार एक श्वेत पत्र प्रकाशित करे और उसमें यह दिखाए कि किस–किस समय पर हमको सहायता नहीं मिली है जब कि केन्द्र से हमको मिलनी चाहिये थी। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। उसके पिछड़ेपन और गरीबी की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। जिस प्रकार के उदाहरण मैंने दिये यह बात उससे बिलकुल स्पष्ट है। मैं फिर से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे एक श्वेत पत्र प्रकाशित कराएं। वित्त मंत्री जी द्वारा जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी उन बातों पर प्रकाश डालेंगे जिनका कि मैंने जिक्र किया है।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)––

उपाध्यक्ष महोदय,––

श्री उपाध्यक्ष––

बोलने वालों की संख्या बहुत कम मालूम पड़ रही है।

श्री मदन मोहन मिश्रा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जिसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है और जिसके प्रति जनता ने इस हद तक अविश्वास दिखला दिया है, किस नैतिक अधिकार के बल पर इस बजट को पेश कर रही है। ऐसा करने का इसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है और इसके जो घटक हैं, जब तक उनको जबरदस्ती नहीं हटाया जायगा, नहीं हटेंगे। ये इन कुर्सियों के इतने गुलाम हैं कि आसानी से नहीं हटेंगे। मुझे बड़ा दुःख है कि गवर्नर महोदय ने यहां पर इस सरकार के द्वारा बनाये हुए जिस भाषण को पढ़ा है उसका कोई भी नैतिक औचित्य नहीं है। इस बजट में सामान्य प्रशासन के मद में जो खर्चे की फिगर्स दिखलाई गई हैं।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद असरार अहमद)---

मैं यह सूचना चाहता हूं कि ये जबरदस्ती इस सरकार को कैसे हटाएंगे? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

ये चाहें तो उत्तर दे दें।

श्री रघुनाथ सिंह---

शेख मुजीबुर रहमान का तर्क आपको मालूम है या नहीं?

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मदन मोहन मिश्रा---

उत्तर प्रदेश के मन्त्रिमण्डल के व्यय के लिये बजट में प्राविधान किया गया था। उस प्राविधान का जिक्र पेज ६ पर किया गया है। वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के बजट में २४ मंत्रियों तथा १२ उप मंत्रियों के लिये प्राविधान किया गया था परन्तु अब मंत्रियों की संख्या बढ़ कर ३५ तथा उप मंत्रियों की १८ तक हो गई है जिसके फलस्वरूप वर्तमान प्राविधान अपर्याप्त हो रहा है। इसके लिये १,२६,२०० रु० की धनराशि की आवश्यकता है जो अनुपूरक अनुदान में यथा-स्थान सम्मिलित कर दी गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मानीराम, जिला गोरखपुर में २४ जनवरी, १९७१ को कितने मंत्री गये थे? वहां पर पूरे मंत्रियों की फौज गई और इस कारण वह खर्चा जो जनता का, देश का और इस प्रदेश का हुआ है वह किसके जिम्मे जायेगा? वह खर्चा भी इसमें शामिल है। ये लोग इस तरह से गलत--गलत खर्चे करते हैं और अब उस रकम को बढ़ा रहे हैं जिसका बोझ गरीब जनता पर पड़ता है।

(कुछ सदस्य भाषण के मध्य बोलने लगे)

बीच में आप न बोलें, बोलने वाले मंत्री तो मुंह छिपा कर उठ कर चले गये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार के अनर्गल खर्चे पहले क्यों करते हैं और फिर बाद में क्यों मांगते हैं? यह गरीबों के साथ अनाचार है अत्याचार है। यह प्रदेश के पिछड़े हुए लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिये। इसी तरह से पेज नं० २३ पर महंगाई भत्ते के लिये कुछ पैसा मांगा गया है। लेकिन शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जब कि उनकी यह मांग कई वर्षों से चली आ रही है। आखिर शिक्षकों ने कौन-सा अपराध किया है जो उनकी ओर सरकार उचित ध्यान नहीं दे रही है। उनका एक आन्दोलन भी चल रहा है। विधान भवन के सामने

उन्होंने प्रतीक रूप में खेमा भी खड़ा किया था, उसको भी सरकार ने उखड़वा दिया। अगर आप शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वे कैसे महात्मा गांधी और नेहरू जैसे नागरिकों का निर्माण करेंगे? क्या आप उनसे यह आशा कर सकेंगे कि वे देश के लिये अच्छे नागरिकों को बनाने में सहायक हों? उनके लिये महंगाई भत्ता देने के लिये अगर इस बजट में पैसा मांगा जाता तो मुझे बड़ी खुशी होती।

क्लास ४ के जो चपरासी हैं तथा जो क्लर्क्स आदि हैं उनके लिये अभी तक कोई सर्विस रूल्स आदि तक नहीं बने हैं। उनके लिये कोई पे स्केल भी निर्धारित नहीं हैं। जो मन में आता है वह उनको दे दिया जाता है। उनके साथ बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। पंचायत सेक्रेटरीज का वेतन एवं महंगाई भत्ता भी बहुत कम है। उनके लिये भी यदि कोई मांग इस बजट में की गयी होती तो मुझे खुशी होती।

यह कहा जाता है कि आयुर्वेदिक कालिजों को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध करने की बात सोची जा रही है। कानपुर यूनिवर्सिटी में कितना अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह से बच्चों की जिन्दगी बरबाद हो रही है, वह किसी भी माननीय सदस्य से छिपी हुई नहीं है। मेरा सुझाव है कि इनके लिये अलग से एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये।

इसी तरह से वेतन आयोग की बात कही गयी है। वह अपनी जगह पर सही है, मगर अंतरिम सहायता को इस अनुपूरक बजट में लाना चाहिये था। कल २३ तारीख को दारुलशफा में ३ घंटा तक बिजली गायब रही। यह सही है कि "मास कैजुअल लीव" (सामूहिक अवकाश) पर कर्मचारियों के चले जाने के कारण ऐसा हुआ, मगर मैं पूछता हूं कि आप कर्मचारियों की उचित मांगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, क्यों उनको यह सब करने के लिये मजबूर करते हैं? उनको जीने लायक क्यों नहीं महंगाई भत्ता दिया जाता है? जिस तरह से आप मंत्रियों के खर्चे में बढ़ोत्तरी करते जा रहे हैं यह कह कर कि उनका खर्चा पूरा नहीं होता उसी तरह आप इन बिजली कर्मचारियों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? आपकी पालिसी डिवाइड एन्ड रूल वाली है। आफिसरों को खुश करके, छोटे कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है। इसी तरह से हरिजनों की उन्नति और समृद्धि के मूल्यांकन के लिये एक समिति बनाने का सरकार का विचार है। लेकिन मैं इसके पूर्व यह जानना चाहता हूं कि पहले जो आचार्य जुगुल किशोर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसने अपने अमूल्य सुझाव दिए थे, क्या उनकी सिफारिशों का कोई कार्यान्वयन हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? जिन समितियों की रिपोर्ट पहले से सरकार के पास पड़ी हैं जब उनका ही पालन नहीं हुआ तो फिर नई कमेटी बनाने से ही क्या लाभ है। इस बजट में हरिजनों के कल्याण के लिये पैसा मांगा गया होता तो मुझे खुशी होती और यदि पहले की सिफारिशों के अनुसार यह सरकार चली होती तो इस नई मूल्यांकन समिति की भी आवश्यकता न होती। यदि वास्तव में आप हरिजनों का हित चाहते हैं, उनको समान अवसर और समान सुविधा देना चाहते हैं तो आपने क्यों नहीं आचार्य जुगुल किशोर की सम्मतियों का पालन किया है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सागर)—

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार्य जुगल किशोर और श्री राधाकृष्णन् जी की अध्यक्षता में जो कमेंटीज बनी थीं और उसनें जो अपनी संस्तुति दी थी, उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं हो सकती है। फिर भी मैं आपको बता दूं हमारे मंत्रिमंडल का निर्णय हो गया है कि आचार्य जुगल किशोर व राधाकृष्णन् की सिफारिशों को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाए। अगला जो बजट पेश होगा, उसमें इसके लिये दो करोड़ रुपये से ज्यादा की व्यवस्था की गई है।

श्री मदन मोहन मिश्रा—

इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से आपने मंत्रियों की फौज के खर्च को पूरा करने के लिए इस बजट में पैसा मांगा है, वैसे ही हरिजनों के लिए भी आपको पैसा मांगना चाहिए था। प्रदेश में जो बेरोजगारी चल रही है, उसके लिए भी आपने कोई कदम नहीं उठाया है। कुछ नई सड़कों का इस बजट में समावेश किया गया है, लेकिन मुझे दुःख है कि जिन सड़कों के लिये मैं सन् ६७ से, जब से चुनकर आया हूं बराबर इस सरकार के सामने और पहले की सरकारों के सामने निवेदन करता आया हूं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। रायबरेली का जिला सदैव से उपेक्षित रहा है, जिसका पिछड़ापन प्रदेश के माथे पर एक कलंक बना हुआ है, फिर भी इस सरकार ने और प्रदेश के नेताओं ने उस जिले की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और इस बजट में भी वहां की सड़कों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां की महत्व-पूर्ण सड़कें रायबरेली—फैजाबाद रोड जो सिधौना होकर जाती है, रायबरेली-परशयपुर रोड जो लोधवारी होकर जाती है। इनका बनना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी सरकार ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। इस तरह से जगतपुर—डलमऊ—सलोन रोड तथा कुचरिया—उत्तरपारा—बेलागुसीसी—बेलाटिकई होते हुए गदागंज के पास जो रोड निकलती है, उनका भी शीघ्रातिशीघ्र निर्माण होना चाहिए। इसी तरह से मलिकमऊ—रुस्तमपुर रोड जो भटपुरवा होकर जाती है तथा रायबरेली—उमरा—कसेहदी रोड भी बड़ी महत्व की सड़कें हैं जिनका बनना अत्यन्त आवश्यक है। इन सड़कों के ऊपर हमेशा से मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने इन सड़कों की ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपा करके हमारे जिले को उपरोक्त सड़कों का बजट में समावेश कर लें। इन सड़कों की इतनी खराब हालत है कि डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार के जो बैल खरीदे जाते हैं, वे अधिक दिन नहीं चल पाते हैं। उन सड़कों पर आदमियों का चलना तो और भी दुष्कर है। बीमार आदमी और गर्भवती माताएं उन सड़कों के द्वारा सही सलामत अस्पताल नहीं पहुंच सकती हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का शिकार बनना पड़ता है। इस सरकार को रायबरेली जिले की उन सड़कों को शीघ्र से शीघ्र बनवाना चाहिए। इस प्रदेश के साथ २२ वर्षों तक इन नेताओं व मंत्रियों ने बलात्कार किया है। इस प्रदेश को पिछड़ा बनाने के लिए जो अंग्रेजों ने नहीं किया वह इन सफेदपोश नेताओं व मंत्रियों ने किया है। भ्रष्टाचार के चंगुल में फांस कर इस प्रदेश के साथ जितना अनाचार किया गया है उसकी जितनी निन्दा करें वह कम है। मैं १९६७ से कहता आ रहा हूं।

(व्यवधान)

सफदपोश जो मौके पर हैं और सरकार में हैं उनको कह रहा हूं और किसी को मैं क्यों कहूं। चोर वह जो मौके पर पकड़ा जाय। अगर आपका मंशा उन लोगों से है जो पहले सरकार में थे, तो आप जो पहले से यहां एम० एल० ए० होते आये हैं, आपने उनको गला पकड़ कर निकाल कर बाहर क्यों नहीं किया? मैं इसके लिए आपको जिम्मेदारी दूंगा। आपका नैतिक उत्तरदायित्व है। आप बहस करके, झूठ बोल कर, लफ्फाजी से बात की जादूगरी दिखलाकर, आपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो आपको उसका अंजाम भोगना पड़ेगा। (व्यवधान) वर्तमान देखिए, भविष्य को बदला जायगा बाद में। भविष्य को इंदिरा गांधी ने खोल कर दिखला दिया। मैं १९६७ से यह कह रहा हूं कि इस प्रदेश का जीवन स्तर उठाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ९ करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश सम्पन्न हो, उन्नत हो, विकसित हो, यहां का आदमी ठीक से रोटी पा सके तो आपको इंडस्ट्रीज की ओर ध्यान देना पड़ेगा, बड़े-बड़े उद्योग खोलने पड़ेंगे।

आप कलकत्ता और बंगाल की तरफ देखिए। वहां का उद्योगपति वहां से भाग रहा है। वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। मोतीलाल जी चुप रहिए, अब आप लेबर लीडर नहीं हैं, मंत्री

हैं। कुछ गम्भीर बनिये। उस उद्योगपति को जो बंगाल से भाग रहा है उसको आकर्षक शर्तें दीजिये। उसको समझा बुझा कर, अच्छी शर्तें देकर, यहां पर लाइये और उससे बड़े-बड़े उद्योग लगवाइये। अगर आप बड़े उद्योग लगवाएंगें तो उससे तीन फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि प्रदेश के जो बेरोजगार, भूमिहीन लोग हैं, जो पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। साथ-साथ में अलाइड इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उनमें नौकरियां मिलेंगी, काम मिलेगा। इसके साथ-साथ जो माल का उत्पादन होगा, वह माल बिकेगा, उससे यहां की दौलत बढ़ेगी, जिससे इस प्रदेश का जीवन स्तर उठेगा, आर्थिक स्थिति ऊपर उठेगी। इसीलिए शुरू से आप से कहता चला आ रहा हूं लेकिन मुझे दुख है कि जो भी उद्योग मंत्री होते रहे उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। या तो वे ध्यान देना नहीं चाहते या उनको कुछ ज्ञान नहीं है। केवल सजावट के बानी डेकोरेटिव मंत्री हो जाते हैं। बहरहाल, अभी मौका है। मैं चाहता हूं, आप परम्परा डालिए उत्थान और विकास की, उद्योग के जरिये।

इसके साथ साथ मैं पुलिस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। पुलिस का जो साधारण सिपाही है जो डकैतों और चोरों का मुकाबला करता है, जो हर तरह से जन जीवन की रक्षा करता है, उसका वेतन बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि वह ईमानदारी के साथ काम करे और रिश्वत बन्द हो। रिश्वत अफसर लेता है लेकिन सिपाहियों के जरिये से रिश्वत ली जाती है। जिस प्रकार लेखपाल के ऊपर के अफसरों को रिश्वत लेखपाल के जरिये दी जाती है उसी तरह से सिपाही के जरिये बड़े अफसरों को रिश्वत दी जाती है। अतः आप कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिलों की तनख्वाहें बढ़ाएं तभी रिश्वत की बीमारी समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार लेखपालों की, पंचायत मंत्रियों की तथा राज्य कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाइये। अगर इनको खाने लायक व गुजर बसर करने लायक आप वेतन देंगे तो निश्चित है कि पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। अगर पुलिस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी खत्म होगी तो इसका नैतिक प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ेगा। इसी तरह से मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इस सदन के गार्ड स को खाने भर का पैसा दिया जाय। ६०-१-८० रु० के स्केल में इनको बाबा आदम के जमाने से रखा जा रहा है। इन पर तरस खाया जाय। पिछले सदन में तय हुआ था कि इस सदन के मार्शल को डी० एस० पी० का रैंक दिया जायगा लेकिन वह नहीं हुआ और वह चीज लाल फीताशाही में अटक कर रह गयी। हाउस गार्ड स का वेतन बढ़ाया जाय और मार्शल को डी० एस० पी० का रैंक दिया जाय। इसके अलावा जब तक राज कर्मचारी असन्तुष्ट रहेंगे तब तक व्याप्त भ्रष्टाचार और लाल फीतशाही दूर नहीं होगी। जिस दिन राज कर्मचारी तय कर लेगा कि प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो कोई उसे आग बढ़ने से रोक नहीं सकता। इसलिये उसे जीने लायक तथा गुजर बसर करने लायक वेतन तथा महंगाई भत्ता दिया जाय। अफसरों की तादाद को कम किया जाय क्योंकि उनकी अधिक आवश्यकता नहीं है। अफसरों के बजाय छोटे कर्मचारियों पर अधिक विश्वास किया जाय क्योंकि आज अफसर रिस्क लेने को तैयार नहीं है और सारी जिम्मेदारी वह छोटों पर थोप देता है। साथ ही साथ सी० आई० डी० से जांच कराई जाय कि कितन मंत्रियों तथा नताओं के रिश्तेदार अफसरों की शक्ल में प्रदेश पर लदे बैठे हैं। आप देखेंगे कि ४०, ४५ फीसदी अफसर, नेताओं तथा अफसरों के रिश्तेदार हैं। मैं यह नहीं कहता कि सबको हटाया जाय। जो योग्य हैं उनको रक्खा जाय लेकिन जो अयोग्य हैं और केवल मंत्रियों, नेताओं के रिश्तेदार होने के कारण अफसरों के पद पर आसीन कर दिये गये हैं, उनको हटाया जाय क्योंकि यह प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। जितने भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान मंत्री व एम० एल० एज० हैं उनकी पहले की तथा आज की हैसियत की जांच सी० आई० डी० से कराई जाय और जो दोषी पाये जायं उनको एक्जम्पलरी पनिशमेंट (आदर्श दण्ड) दी जाय। (व्यवधान) जिस तरह से इस भारत की दुर्गा, श्रीमती इन्दिरा गांधी नें देश में एक नया जोश पैदा किया है उसी तरह से आप ऐसा काम कीजिये जिससे उत्तर प्रदेश की ९ करोड़ आबादी में नया जोश पदा हो।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं इतना कहना चाहता हूं कि कम से कम राजीव गांधी की गरीबी दूर हो जायगी।

(व्यवधान)

श्री मदन मोहन मिश्रा—

मेरा इस सरकार से यह निवेदन है कि वह भी इस प्रदेश में भूमिहीनों की समस्या को, रिश्वत की समस्या को, बेकारी की समस्या को, उद्योगों की समस्या को, काम में देरी न हो इस समस्या को, गरीबों की समस्या को प्रदेश में महंगाई न हो इस समस्या को, हल करके एक नये वातावरण का निर्माण करे। एक नई चीज, एक नया जोश और एक नया उत्साह प्रदेश में लाया जाय ताकि नवयुवक कन्धे से कन्धा मिला कर इस प्रदेश को उन्नत बनाने और उसका विकास करने में आपको आशीर्वाद ही न दे बल्कि आपके साथ ऐसा करने में जुट जायं। यदि इस देश का नौजवान अपनी कमर कस लेगा, राज्य कर्मचारी यह तय कर लेगा कि इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो थोड़े ही दिनों में इस प्रदेश की विषम समस्यायें दूर हो जायेंगी और यह प्रदेश देश के अन्य समुन्नत प्रदेशों के स्तर पर आकर अपना सिर ऊंचा उठा सकेगा। अतः इन शब्दों के साथ जो यह अनुपूरक बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं, और अपने साथियों से यह अर्ज करता हूं कि इसे पास न होने दिया जाय।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के द्वितीय अनपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में यह बजट हमारे सामने आया है। एक पूरक बजट दिसम्बर, १९७० में आया था जिसको कि उस तरफ के बैठने वाले लोगों ने प्रस्तुत किया था और वह करीब २९,५५,५५,४०० रु० का था और यह वर्तमान अनपूरक बजट जो कि हमारे सामने प्रस्तुत है वह करीब ३३,४०,५४,४०० रु० का है यानी पूरक बजट ६२,९६,०९,८०० रु० का है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता कि इतनी बड़ी रकम पूरक बजट में खर्च की जाय। किन्तु श्रीमन्, परिस्थितियां दूसरी हैं। एक सरकार आपकी यहां पर आयी थी और मैं अधिक तो नहीं कहूंगा किन्तु यह अवश्य कहूंगा कि जब सवा तीन एकड़ लगान माफी की घोषणा आपने की थी और चीज बजट में भी आ गई थी किन्तु श्रीमन्, ६ महीने तक आपको अवसर था, लगान माफी नहीं हुई। मैं माननीय सदस्यों से दावे के साथ कहता हूं कि पहले आप अपने दिसम्बर के पूरक बजट को सामने रखें और इस अनपूरक बजट को भी सामने रखें और तब देखें कि जो आपने अपने बजट में खर्च किया है और जो हमने खर्च किया है उसमें कितना उत्पादक वस्तुओं में खर्च हुआ है और कितना अनुत्पादक वस्तुओं में खर्च किया है। इस साल जो बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है वह उत्पादक चीजों पर खर्च करने के लिये, देश की बेरोजगारी की समस्या को मिटाने के लिये खर्च किया गया है। मैं अपने माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि वे समझें कि पूरक बजट क्या चीज होती है और वह पूरक बजट क्यों कहलाता है। इसके बारे में वे पहले जानकारी कर लें। विरोध पक्ष के भाषण भी मैंने सुने। किन्तु वे यह नहीं समझते कि पूरक बजट क्या कहलाता है।

मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और वह इसलिये कि उन्होंने पूरक बजट के पहले ही वाक्य में यह लिख दिया अपनी टिप्पणी में कि पूरक बजट क्या कहलाता है। किन्तु श्रीमन्, इन लोगों को रोशनी तो दिल्ली से मिलती है। ये लोग उस रोशनी से चकाचौंध है। मैं उस टिप्पणी को जो कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पूरक बजट में दी है उसे पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूं जिससे यह मालूम हो जाय कि पूरक बजट क्या कहलाता है तब शायद आपको इसका ज्ञान हो जाय। उन्होंने लिखा है किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के लिये अधिकृत व्यय से अधिक हुये व्यय के सम्बन्ध में जो भुगतान करने पड़ते हैं उनके लिये विधान मंडल के सामने अनुपूरक मांगें पेश करने की आवश्यकता होती है। दूसरा यह कि ऐसी नयी मदों के संबंध में जो भुगतान करने पड़ते हैं उनके लिए विधान मंडल के सामने अनुपूरक मांगे पेश करने की आवश्यकता होती है। तीसरा यह कि "अनुपूरक मांगों की उस समय भी आवश्यकता होती है जबकि संबंधित

व्यय के लिये धन उपलब्ध हो पर व्यय नई मदों के लिये हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया हो कि उसे विधान मंडल के सामने स्वीकृति के लिये पेश करना आवश्यक हो।"

श्रीमन्, जब अक्तूबर मास में नयी संविद की सरकार बनी, वह एक नये कार्यक्रम के आधार पर बनी। इसके पहले जो आपकी सरकार बनी थी उसके सामने कोई कार्यक्रम नहीं था। जब एक कार्यक्रम के आधार पर संविद की सरकार बनी तो जनता की आशायें जगीं और जब जगीं तो यह जरूरी था कि हम नई नई मदें, जो हमने जनता से वादा किया है उनको पूरा करने के लिये नयी योजनायें चलायें। अभी सरकार को बहुत कम समय हुआ इसलिये आज अनुपूरक खर्चों की जरूरत हुई। क्योंकि जनता के सामने हमने वादे किये, हम मुकर नहीं सकते, चाहे हमको एक महीने, दो महीने, तीन महीने जितना भी काम करना पड़े। लेकिन आपकी तरफ से कहा गया कि हम जबरदस्ती हटा देंगे। मैं समझता हूं तुम्हारी दोस्ती है रूस से, तुम्हारे द्वारा बैलट बक्सों में गड़बड़ी हुई और तुम अहिंसा के पुजारी बनकर यह हिम्मत करते हो, कहने की कि जबरदस्ती उठा देंगे, यह लज्जा की बात है। इसलिए मैं साफ कह देना चाहता हूं, एक सज्जन बोल रहे थे। बड़ी चर्चा हुई, आलोचना हुई कि मंत्रियों का एक लाख का खर्चा है। मैं कह देना चाहता हूं कि साल भर में जो मंत्रियों का बढ़ा हुआ खर्चा है वह तुम्हारी इंदिरा रानी के एक दिन के दौरे के बराबर है, लज्जा नहींआती, उनको इस सदन में कहने की। कितना बड़ा नुकसान। एक ओर तुम्हारी और गुप्ता जी की मिली हुई सरकार थी, एक पार्टी की, उस समय तुम्हारे ५४ के करीब मंत्री थे और अब कितनी पार्टियों की सरकार है, तब भी उनसे बढ़े नहीं। तो तुम को क्या हिमाकत थी कहने की। यह जो हमारा मंत्रिमंडल बना है वह उससे बहुत कम है। तुम को तो हिम्मत नहीं होनी चाहिये। कैसे हिम्मत हो रही है ?

श्रीमन्, हमें जो खर्चा करना पड़ा वह आपकी गलती के कारण करना पड़ा। आपने सवा तीन एकड़ का लगान माफ नहीं किया, बजट में खर्चा करना था, वसूली करनी थी इसलिए वह जरूरी था जो हमारी सरकार को पूरा करना पड़ा। इसी प्रकार से देखेंगे श्रीमन्, कि एक बार चर्चा नहीं की कि एक एक क्षेत्र में एक लाख के करीब इस सरकार को चुनाव पर खर्चा करना पड़ा है। ६० हजार खर्चा हुआ है, जो मध्यावधि चुनाव आ गया जबरदस्ती, जो देश पर थोप दिया गया, जिसकी जरूरत नहीं थी। पार्लियामेंट में राय मांगी गयी तब इंदिरा जी ने बड़े बुलन्द शब्दों में कहा कि हमारा बहुमत, हमारा बहुमत। पहले नहीं हुआ। फिर गठबन्धन हुआ, मुस्लिम लीग से हुआ हो, डी० एम० के० से हुआ हो या देशद्रोही कम्युनिस्टों के साथ हुआ हो, लेकिन जरूरत क्या थी चुनाव कराने की? अगर पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया तो प्रधान मंत्री का प्रधान मंत्री पद पर रहना कितने शर्म की बात थी। आखिर आप शासन में हैं तो चाहे जब पार्लियामेंट भंग कर देंगी और नेता के ऊपर चुनाव थोप देंगी? तिवारी जी को बड़ा अफसोस होता है जब केन्द्रीय सरकार से यहां से कोई मांग की जाती है। मुझे तो ये ही लोग बुरा कहते हैं, और जब हम केन्द्रीय सरकार से अपनी मांग करते हैं तो वे हमें बुरा कहते हैं। यह माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि केवल ३०० रुपये की पूरक मांग स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत है लेकिन बेचारों की समझ में नहीं आया। हमारे मंत्री जी समझाते हैं कि यह केवल प्रतीकात्मक मांग है लेकिन वह उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है। इस सरकार ने जो कार्य किया है उसके अलावा ६ अस्पताल और खोलने का वादा भी किया है और यही नहीं कि वादा ही किया है, बल्कि उसे पूरा भी करेगी। साथ ही वह बेरोजगारी के लिये भी कहती है कि वह बेरोजगारी तथा गरीबी को दूर करेगी। पता नहीं इनके सामने कौन सा नुस्खा है। इनमें तो इतनी तक हिम्मत नहीं है कि भाषण करते समय उसकी तरफ इशारा भी कर देते। डाक्टर तो वह है जो रोग भी कहे और उसका इलाज भी बतलावे लेकिन इस तरह से मोहनी मूरत द्वारा रोग बतलाने से उसका निदान नहीं होने वाला है। इसलिये मैं साफ कहता हूं कि दिसम्बर में हमारे पूर्वी अंचल और पहाड़ी क्षेत्र से बेरोजगारी की समस्या को हल करने के सिलसिले में एक सम्मेलन

[श्री शम्भू नाथ चौधरी---]

माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था और उस सम्मेलन द्वारा सारे प्रदेश की जनता का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना था ।

इस पूरक बजट में कृषि स्नातक, इंजीनियर्स व प्रशिक्षित शिल्पकारों को मदद देने के लिये व उनको सेवा में रखने के लिये प्राविधान किया गया है । हम बेरोजगारों को काम देंगे, ऐसा नहीं है कि जिस तरह से इंदिरा जी ने छोटी कार बनाने का कारखाना अपने लड़के को दे दिया, उस तरह से यहां भी करेंगे । हमारे मुख्य मंत्री के सामने प्रदेश की ८ करोड़ जनता का सवाल है । उनके लिये यह आवश्यक है कि वे प्रदेश की बेकार व गरीब जनता के लड़कों के लिये कोई रोजगार की व्यवस्था करें । इसलिये कृषि के क्षेत्र में रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने के लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह व्यवस्था की है । आप कहते हैं कि यह खर्च बढ़ गया । आपने ही १९७ विकास खंडों को तोड़ दिया था उसके लिये रुपयेका प्राविधान कम कर दिया गया था । यह गलती आपकी थी । इस सरकार के सामने वह समस्या दूसरे प्रकार से आयी । अगर हमने उन सब लोगों को नौकरी से निकाल दिया होता तब तो अवश्य ही आपको राज्य कर्मचारियों को फुसलाने और बहकाने का मौका मिल जाता । सरकार कोई सड़क बनाने जाती है ? हमी लोग कहते हैं कि इसको इधर के बजाय उधर ले जाया जाय और उस तरह से करने में खर्च बढ़ ही जाया करता है । उसके लिये जो पैसे की मांग की जाती है वह पूरक बजट के द्वारा की जाती है । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि हमने जिस उदारता से आपके पूरक बजट को पास किया था उसी उदारता के साथ आप इस पूरक बजट को पास कर दें ।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, हमारे संरक्षण का प्रश्न है, हमारे जिले के विधायकों को कल लोग बहका कर ले गये थे । आप हमारी कठिनाई सुन लें, हमें संरक्षण दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने श्री भगवती सिंह जी को बुला लिया है । इस समय मैं आपको बीच में मौका नहीं दे सकता । जो सूचना आप देना चाहते हैं वह आप लिखकर भेज दीजिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जब यह अनुदान पास हो जाय, तब आप उनको मौका दे दीजिये ।

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शम्भूनाथ चौधरी के व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुन रहा था । उनके मन में जो व्यथा है, उसको न मैं समझ सकता हूं और न उसकी थाह ही पा सकता हूं और न आप ही पा सकते हैं । वे मध्यावधि चुनाव के थपेड़ों से आहत हुए हैं । उनके हृदय में जो दर्द है, जो उनको परेशानी है, हमारे और आपके लाख चाहने पर भी उनको कोई संतोष नहीं हो सकता । उनको संतोष तो तब होता है जब वे मुख्य मंत्री के एवं चौधरी चरण सिंह तथा अपने सहयोगी पराजित मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के बीच में बैठते हैं, उस से उनको थोड़ी सी तसल्ली होती है । उन्होंने शुरूआत तो की पूरक बजट से और दिल्ली और मध्यावधि चुनाव तक चले गये । मैं तो मध्यावधि चुनाव की चर्चा करना नहीं चाहता था । लेकिन वह कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव मेरे ऊपर थोप दिया गया । हम सब लोग राजनीति में रहते हैं और जानते हैं कि प्रिवीपर्स पर आधे वोट से हार हो जाने से मध्यावधि चुनाव का प्रश्न पैदा हुआ । और जैसे ही यह प्रस्ताव गिरा सभी विरोधी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दलों ने कहना शुरू किया कि इन्दिरा जी ने जनता का विश्वास खो दिया है इसलिये चुनाव कराया जाय । उन्होंने कहा कि हम जनता का फैसला लेंगो और चुनाव करायेंगो। लेकिन अब कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हमारे ऊपर थोप दिया गया। पहले तो वे कहते थे कि इंदिरा जी ने जनता का विश्वास खो दिया है और अब जनता द्वारा रिजेक्ट कर देने पर कहते है कि यह तो हमारे ऊपर थोप दिया गया। मैं समझता था कि शम्भूनाथ चौधरी जैसे लोग इंदिरा जी से कहेंगे कि "देवी जी, हम लोग आपकी शरण में आ गये है, क्षमा करें, हम समाजवाद का रास्ता अपनायेंगे। लेकिन उन्हें यह चीज पसन्द नहीं आई। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक ज्योतिषी कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में उनको एक खोपड़ी मिली। उनको मस्तक रेखा की जानकारी थी। उस खोपड़ी पर लिखा था "विदेश गमन ऊसर मरन ताहू पर कछु और" पंडित जी उसको घर ले आये कि देखेंगे कि ताहू पर कछु और क्या है। पंडित जी ने उसको सुरक्षित रखा। पंडितानी ने देखा कि पंडित जी क्या लाये हैं। उस खोपड़ी को देख कर वह क्रुद्ध हुई और तोड़-फोड़ कर फेंक दिया। पंडित जी ने लौट कर पूछा कि वह खोपड़ी कहां है। पंडितानी ने कहा कि हमने उसको तोड़-फोड़ कर फेंक दिया। पंडित जी ने कहा कि "ताहू पर कछु और" यही है। यही हाल इन लोगों का है। ये चुनाव हार गये, इनकी जमानतें जब्त हो गईं। लेकिन फिर भी अकड़ रहे हैं। इनको ताहू पर कछु और देखना है। इसीलिये लोग अनर्गल बात करते हैं।

अध्यक्ष जी, अनुपूरक बजट के सिलसिले में माननीय शम्भूनाथ जी ने कुछ बातें कहीं। मेरा विश्वास है कि जब कोई सप्लीमेंटरी ग्रांट पेश की जाती है तो उसका भावार्थ यह होता है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जो अनफोरसीन चीज होती है उनको सप्लीमेंटरी ग्रांट्स द्वारा पूरा किया जाता है। उदाहरण के लिये अलखनन्दा में बाढ़ आ गई या उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि कई जिलों में हो गई। उससे जो क्षति हुई उसकी पहले से कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसको मूल बजट में नहीं रखा जा सकता था। मध्यावधि चुनाव में जो व्यय हुआ उसकी भी सदन से स्वीकृति ली जाती, यह आवश्यक था। जो व्यय प्रस्तुत किया गया है उससे मालूम होता है कि उसमें ऐसी चीजें सम्मिलित नहीं की गई हैं बल्कि ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जिनका सरकार को पहले से ज्ञान था। उचित समय पर सरकार उनको नहीं लाई जो अब ला रही है।

इलाहाबाद में जो कुम्भ मेला होता है उसको सब जानते हैं कि कब होता है लेकिन हमारी सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं थी इसीलिये इस बजट के २५ पृष्ठ पर कुम्भ मेले के २८ बैड्स के अस्पताल की स्वीकृति अब ली जा रही है। मेला कभी का खत्म हो गया, अस्पताल भी चल चुका लेकिन स्वीकृति आज ली जा रही है। क्या यह उचित नहीं था कि मूल बजट में सरकार इसको लाती ?

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

यह बता दीजिये कि उस समय बजट आपने पेश किया था या इधर के लोगों ने ?

श्री भगवती सिंह विशारद--

यह सब आप अनवार साहब से पूछ लीजिये। मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय सरकार को लाना चाहिये था लेकिन नहीं लाई। अगर आप इस बजट को देखें तो एक ही बात मालूम होती है कि यह सरकार कोई मुकदमे लड़ने वाली संस्था है। कर्मचारियों से इसका मुकदमा है, ठेकेदारों से इसका मुकदमा है, जो और दूसरे तरह के भुगतान पाने वाले हैं उससे भी मुकदमा है। आप कोई ऐसी मद नहीं देखेंगे जिसमें किसी कर्मचारी से या किसी ठेकेदार से इनकी मुकदमेबाजी नहीं हुई हो और उस मुकदमेबाजी के परिणाम स्वरूप हर वर्ष इस तरह के अनुपूरक बजट लाने पड़ते हैं और उनमें इस तरह का प्राविधान करना पड़ता है। सरकार को चाहिये कि अपनी नीति बदले और कर्मचारियों के साथ जो इस तरह की ज्यादती होती है कि जहां जरा भी आंख तिरछी हुई कि फौरन उनको डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिये और एक मानवता का व्यवहार उनके साथ करना चाहिय।

[श्री भगवती सिंह विशारद---]

पृष्ठ ४३ पर आप देखने की कृपा करें। कृषि मंत्री ने कृषि और विकास पर बड़ा जोर दिया है और ९६ लाख रुपये का एक अनुदान प्रस्तुत किया है कृषि और विकास की उन्नति के लिये, मैं जब उसके ब्योरे में गया तो मालूम यह हुआ कि जो नये मंत्री और उपमंत्री बने हैं, उनके जो आवास हैं उनमें जो बगीचे लगाये जायेंगे, उन पर एक बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जायगी। इस प्रदेश के लोग जब अखबारों में इस अनुदान के बारे में पढ़ेंगे तो यही समझेंगे कि कृषि मंत्री जो कृषि और विकास की योजनाओं को आगे बढ़ायेंगे लेकिन उसमें छिपा यह है कि मंत्रियों और उप मंत्रियों के घरों में बगीचे लगाये जायंगे। अभी शम्भूनाथ जी ने कहा कि दिल्ली में ५४ मंत्री हैं। हमारे यहां गांवों में भी लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मंत्रि मंडल में ताश के पत्तों से एक मंत्री ज्यादा है। अर्थात् यहां ५३ थे। अब कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी तादाद दिन प्रति दिन बढ़ती गयी है और उनके अब घरों में बगीचे आदि लगवाने के लिये कृषि और विकास के नाम पर अनुदान लिये जा रहे हैं। इसी तरह परिवहन मंत्री जी ने भी एक ब्योरा प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात की स्वीकृति चाही है कि कानपुर की केन्द्रीय वर्कशाप में २ लाख रुपये के स्टोर्स खरीदने की इजाजत दी जाय। हमारे प्रदेश में आजकल यातायात की क्या स्थिति है, आप चाहें जहां चले जायं, एक-दो बोल्टू के लिये रोडवेज की बसें स्टेशनों पर खड़ी रहती है। इसके साथ ही कानपुर में या जहां कहीं भी वर्कशाप है वहां इतना भ्रष्टाचार है कि इस परिवहन विभाग का दिवाला ही निकलने वाला है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। परिवहन मंत्री जी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। उसके बाद भी उन्होंने २ लाख रुपये की स्वीकृति मांगी है नये स्टोर्स खरीदने के लिये। मैं चाहूंगा कि इस तरह की स्वीकृति लेने के पहले परिवहन विभाग की क्या वस्तुस्थिति है, वह हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें और जब तक वह प्रस्तुत न करें तब तक इस तरह की कोई स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये। मैं आशा करता था कि आज इस राजनीति के नये परिवेश में हमारे परिवहन मंत्री या सरकार के श्रम मंत्री रोडवेज के उन कर्मचारियों के लिये जिनकी नौकरियां स्थायी नहीं हैं, उनको स्थायी कराने की बात करते और उस सम्बन्ध में जो खर्चा बढ़ता उसकी स्वीकृति लेते तो हम बड़े गर्व के साथ उस धनराशि की स्वीकृति देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। समाज कल्याण मंत्री का जब बजट देखा तो मालूम हुआ कि दो मदों में ६००, ६०० रुपये की स्वीकृति मांगी है। जब इस बार प्रदेश के कुछ जिलों में अतिवृष्टि हुई तो उसमें हरिजन भाइयों के ही मकान सबसे ज्यादा नष्ट हुये। मैंने व्यक्तिगत तौर पर मंत्री जी को पत्र लिख कर उनसे प्रार्थना की थी कि हरिजन भाइयों के जो मकान गिरे हैं उनके बनवाने के लिये विशेष धनराशि स्वीकार करा कर उनमें वितरित करनी चाहिये। इसके साथ ही साथ उनके जो कुयें गिर गये हैं उनको सुधारने के लिये और धनराशि की स्वीकृति होनी चाहिये। लेकिन मान्यवर, इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस सरकार ने मुनासिब नहीं समझा कि हरिजनों के हजारों मकान जो प्रदेश में गिर गये हैं उनकी मरम्मत के लिये, उनको बनाने के लिये किसी तरह का अनुदान उनको प्रदान किया जाय। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह किसी न किसी तरह से हरिजन भाइयों के गिरे हुये मकानों की मरम्मत के लिये अधिक से अधिक धनराशि स्वीकार करने का कष्ट करें।

इसी संदर्भ में, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार से हमारे प्रदेश में अतिवृष्टि से हुई घर गिरी के सम्बन्ध में गृह निर्माण के लिये अनुदान आया लेकिन हमार प्रदेश की सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने मुनासिब नहीं समझा कि हमारे प्रदेश की जनता पर जो कष्ट आया है, जो परेशानी में फंस गई है उसको राहत मिलनी चाहिये। हमारी प्रदेशीय सरकार ने इस उत्तरदायित्व से अपने को बिलकुल विमुक्त रखा। मैं समझता हूं इस प्रदेश की जनता ने प्रदेश का शासन उनके हाथ में दिया है लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सब लोग अपने किसी दूसरे चक्कर में फंस गये हैं और जनता के हित में कोई भी कार्य करने की चेष्टा नहीं करते हैं और इनसे कोई आशा भी नहीं की जा सकती है कि भविष्य में ऐसा कोई

कार्य कर सकेंगे जिससे जनता को राहत मिल सके। इसी प्रकार से दूसरी मदों को देखने से पता चलता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह समझा जाय कि इस समय यह प्रदेशीय सरकार, प्रदेश की समस्याओं को हल कर सकेगी। उदाहरण के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत मंत्रियों के पद को सरकारीकरण करने के सम्बन्ध में और उनके वेतन के सम्बन्ध में जो अन्तर आता है उसको पूरा करने के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया जा रहा है। पंचायत मंत्री बराबर अपना आन्दोलन करते आ रहे हैं। हर सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करती है लेकिन आज तक किसी मंत्री ने यह घोषणा नहीं की है कि पंचायत मंत्रियों का सरकारीकरण किया जायगा और उनको सरकारी कर्मचारी माना जायगा। मैं आपके द्वारा सरकार से और खास तौर से पंचायत राज मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह उनकी कठिनाइयों को समझें और उनके जो सर्विस रूल हैं उनको संशोधित करने की कृपा करें और उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करें। जो यह नया वेतन आयोग गठित किया जा रहा है उसमें पंचायत मंत्रियों की समस्याओं को हल करने के लिये उसकी परिधि के अन्दर उनको भी रखा जाय। इसी तरह से जो अन्तरिम सहायता प्रदान की जाने वाली है, उसमें भी पंचायत मंत्रियों को सम्मिलित किया जाय।

इसी संदर्भ में, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अतिवृष्टि जो हुई थी उससे हमारे प्रदेश के जिला परिषदों के हजारों स्कूल गिर गये थे। उनकी कोई मरम्मत नहीं की गई है। जिला परिषद उनकी मरम्मत नहीं करा सकती है। न उन स्थानों में ही कोई विशिष्ट पुरुष ऐसे रहते हैं जो अपने पैसे से उन स्कूलों का निर्माण करा सकें या मरम्मत करा सकें। इस लिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिला परिषदों के जो इस तरह से स्कूल गिर गये हैं उन स्कूलों को बनाने के लिये विशेष प्रयत्न होना चाहिये। उन गिरी हुई इमारतों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में, खास तौर से चेष्टा होनी चाहिये जिससे हमारे बालक अगले सत्र में फिर से आसमान और जमीन के बीच में न बैठें बल्कि साये के नीचे बैठ सकें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी शिक्षा संस्थायें सरकार से अनुदान पाती हैं और बहुत सी नहीं पाती हैं। इस अतिवृष्टि से बहुत सी शिक्षा संस्थाओं की इमारत नष्ट हो गई है, जिनको सरकार से अनुदान नहीं मिलता है उनके भवन को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इन तमाम भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में और उनकी मरम्मत के सम्बन्ध में सरकार की ओर से अनुदान प्रदान किया जाय। इन शब्दों के साथ में जो अनुदान अनुपूरक बजट के पेश किये गये हैं उनका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जिन बातों को लेकर मैं ने सम्बन्धित विभागों के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं मंत्रिगण उनको ध्यान में रख कर उनके अनुकूल कार्य करने की कृपा करेंगे।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अस्थायी बजट पेश हो रहा है और जो यह वोट आन एकाउन्ट की मांग पेश हो रही हैं उनके बारे में जो विचार विपक्ष की जानिब से पेश हो रहे हैं और हमारे पूर्ववक्ता जो अभी बोल कर बैठे हैं उन्होंने तो शायद इन ग्रन्थों को बगैर देखे ही अपनी नुक्ताचीनी कर डाली है। उन्होंने अभी कहा कि अनुदान संख्या २१ के अन्दर ९६ लाख रुपये की मांग मंत्रियों के बंगलों की फूल–पत्तियों के लिये साज–सजावट के लिये रखी गई हैं। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस अनुदान संख्या २१ को जरा पढ़कर देखा होता तो उनकी राय बदल जाती। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है और इस तरह की आलोचना उन्होंने केवल विरोध के लिये ही की है वर्ना आजकल के हालात में जो कुछ भी इस बजट में मांगें पेश की गई हैं वे बिलकुल ठीक हैं और ठीक ही पेश की गई हैं। आज हमारा सूबा और यह मुल्क एक हंगामी दौर से गुजर रहा है, हर तरफ एक अजीब उथल–पुथल प्रदेश में और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा---]

देश में हो रही है, पता नहीं कि आज क्या माहौल है और कल क्या पेश आ जाय। पता नहीं आज कहां किस की गवर्नमेंट है और कहां कल किस की सरकार पावर में आ जाय।

जब से हमारे मुल्क के राष्ट्रपति श्री गिरि का एलेक्शन हुआ है तब से किस-किस तरह से लोगों ने और जमायतों ने अलग-अलग मसलों को पेश किया है और अब आखिर में अभी यह पार्लियामेंट का चुनाव हमारे मुल्क में हुआ। इस बजट में देरी, इसी वजह से हुई वर्ना यह चीज पहले ही हो गई होती। इसलिये अगर इस अस्थायी बजट में देरी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार और विपक्ष के दलों पर ही अधिक है क्योंकि यहां पर मजबूती, इस्तकलाल और फर्म हालात पैदा करने के लिये जितना हाथ गवर्नमेंट का होना चाहिये उतना विपक्ष का भी होना चाहिये। उन पर भी अब केन्द्र को चलाने की जिम्मेदारी आई है। इंसाफ, खेती, सिचाई, प्लानिंग, महंगाई भत्ते, पेन्शनें और बेरोजगारी आदि की मदों के लिये यह इतनी बड़ी रकम का बजट पेश किया गया है और उसको लाने की इसी लिये जरूरत हुई क्योंकि इसके बिना जनता के हितों के कामों को करने का मौका नहीं मिल सकता था और काम नहीं चल सकता था। चारों ओर से और विपक्ष से खास तौर से मांग होती है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय, अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाय, उनका वेतन चेक के द्वारा कराया जाय। लेकिन आप समझें कि इस सब का असर खजाने पर पड़ता है और इन चीजों को ध्यान में रखते हुये ही यह मांगें यहां पेश की गई हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें ६१ लाख रुपये की पार्लियामेंट के चुनाव के खर्च की मांग रखी गई है, यह खर्चा करना इस सरकार के लिये जरूरी हो गया था। अगर यह न रखी जाती तो कैसे यह खर्च पूरा हो सकता था। अगर पार्लियामेंट के चुनाव न कराये गये होते तो इस मांग की जरूरत ही न होती, यह फजूलखर्ची क्यों हुई? इसके जवाब के लिये जरा अपना अपना दिल टटोलने की जरूरत है।

इसी तरह से आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ११६ लाख रुपये की मांग उत्तराखंड के विकास के लिये रखी गई है। इसी सदन में आज से ६-८ माह कब्ल खास तौर से बहुत जोरदार मांग हुई और बड़े लम्बे चौड़े भाषण हुये, माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा ने बुन्देलखंड के लिये, पूर्वी अंचल के लिये और उत्तराखंड के लिये बड़ी-बड़ी बातें कही थीं। आज इस बजट को लाने का खास कारण ही यह है कि हमें यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऋण देना है ताकि पावर और हाउसिंग के लिये कार्य आरम्भ हो सके। इसी तरह से शिक्षा के अन्तर्गत ५६ लाख रुपये की मांग रखी गई है। इसका कारण यह है कि प्राइमरी स्कूलों से इन्टरमीडियेट कक्षाओं तक के टीचर्स के लिये वेतन बढ़ाने और उनको अधिक महंगाई भत्ता देने की बात रखी गई है। यह मांग भी अपनी जगह पर बिलकुल जस्टीफाइड है और इस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक संस्थाओं से जो यू० पी० गवर्नमेंट ऋण लेती है उसके सूद की दर में वृद्धि और गंगा कैनाल की सफाई के लिये १५६ करोड़ रुपये की मांग रखी गई है। सिंचाई योजनाओं को चलाने के लिये भी अतिरिक्त धन की जरूरत है। इन हालात में जो मांगें वित्त मंत्री जी ने पेश की हैं वह दुरुस्त और जायज हैं और उनको चैलेंज करने की कोई जरूरत पेश नहीं आ सकती। जहां तक ट्रांसपोर्ट के अन्तर्गत ३१४ लाख रूपये की मांग रखी गयी है, इसके द्वारा सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर को एक नया जीवन दान करना है क्योंकि वह पिछड़ी हुई हालत में है और उसमें नया साज-सामान ट्रांसपोर्ट विभाग के लिये जनता की सुविधाओं के लिये मोहइया करना है। यह भी अपनी जगह पर बिलकुल ही जायज मांग है।

मिस्लेनियस कामों के लिये इस बजट में ३१ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। दूसरे जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके और उनको मकान बनाने के लिये पैसा देकर उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। सरकार ने इसके लिये इस सप्लीमेंट्री बजट में २ लाख ३१ हजार रुपया की मांग रखी है ताकि यह काम भी आरम्भ हो सके।

माननीय, एक यमुना स्कीम है उसके लिये सरकार ने २ लाख २१ हजार रुपये का प्राविधान किया है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह चाहती है कि इसे पूरा कर दें लेकिन उस स्कीम को सर्वे की जिम्मेदारी यू० पी० सरकार की है। अगर यह न कराया गया तो वह स्कीम पिछड़ जायगी। किस प्रकार से आज हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट सौतेला व्यवहार कर रही है। यह कहना कि इस प्रदेश ने हमें ३ प्रधान मंत्री दिये हैं लेकिन पैसा देने के लिये मामले में वे हमारी ओर से पीठ मोड़ लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को केवल ५६ करोड़ दिया गया जब कि हरियाणा को जो कि इस प्रदेश का १२ वां या १३ वां हिस्सा भी नहीं है, ७० करोड़ दे दिया गया है। मैसूर और महाराष्ट्र को ७७–७७ करोड़ रुपया दिया गया है। अगर हम इस स्कीम को अधूरी रखेंगे तो वे और लटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिये इस मांग का रखना भी आवश्यक और जायज है।

पूर्वी पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आये हैं क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको बसाया जाय, उनके लिये मकान बनाये जायं, उनके लिये नौकरी का प्रबन्ध न किया जाय। जिनके लिये यहां पर रोज दुहाई दी जाती थी अगर इन रिफ्यूजियों के लिये कुछ रुपये का प्राविधान कर दिया जाता है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं समझता हूं कि फार दि सेक आफ अपोजीशन, विरोध करने से कोई फायदा नहीं होता है। अभी हमारे भाई, मिश्रा जी यहां पर बोल रहे थे लेकिन,

जुनू का नाम खिरद रख दिया खिरद का, जुनू,
जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे।

आपके हाथ में पावर है। आप अच्छे को बुरा कर सकते हैं और बुरे को अच्छा। ४ या ६ महीने बाद जनता फैसला देगी और आपको अन्दाज हो जायगा कि जिन नारों को देकर यह सब किया गया है, उसमें क्या असलियत है—

हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन,
दिल को बहलाने को गालिब ये खयाल अच्छा है।

जब यहां पर सरकार आपकी शिरकत में बनी थी तो ३० एकड़ की लैण्ड सीलिंग के बारे में कहा गया था तो हमारे माननीय रघुराज जी के लीडर व २८ आदमियों के कारण वह पोस्टपोन करना पड़ा। जब यह हालत है तो आपसे क्या आशा की जा सकती है? जब अर्बन सीलिंग की बात लेंगे और कारखानों को लेने की बात लेंगे तो आप स्टैन्ड नहीं कर पायेंगे। महाराष्ट्र के वजीरे-आला के बयान को देखें जो उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव जीतने के बाद दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग लैण्ड सीलिंग की बात करते है वे बिलकुल बेवकूफी की बात करते हैं। जो काश्तकार होता है, वह उस सूरत में डेवलप नहीं करता है, उसमें ट्यूबवेल नहीं लगाता है। वह उस सूबे के मंत्री का कहना है जहां कि आपकी सरकार है। जब अभी ऐसे से चीजें निकलने लगीं, ये तमाम चीजें हमारे सामने आने लगीं तब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम कहते हैं कि जिन नारों को लेकर आपने इलेक्शन जीता है, भगवान, आपमें सामर्थ्य पैदा करे कि आप उन्हें पूरा करें। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन यह बात मुझे मालूम नहीं पड़ती। यह बात इसलिये नहीं मुझे मालूम पड़ती कि आप एकदम जल्दी में हैं। आपको मालूम है कि इन छः महीनों में जनता का भ्रम दूर होने वाला है। आप इस मध्यावधि चुनाव के सिलसिले में जल्दी में हैं।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

अगर तूफां में किश्ती है तो खे लाना आता है,
अगर किश्ती में तूफां है तो बदल जाती है तदबीरें।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

फिर मेरा भी शेर सुन लीजिए ।

"हवाओं से मुसकाने की तो मेरी फितरत है।
मुझे नाकामयाबियों में अश्क बरसाने नहीं आते ।"

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन है या मुशायरा हो रहा है ।

श्री चन्द्र भान शर्मा---

यह जो बजट चल रहा है इस बजट के अन्दर हमारी सारी मांगें ऐसी हैं जो जस्टिफाई करती हैं । मान्यवर, ९६ पेज पर जो अनुदान मांगा गया है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें एक करोड़ के लिये प्राविधान किया गया है । इसके अन्दर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में पांच पावर स्कीम्स बनाई जा रही हैं और उन पावर स्कीम्स के लिये १२ लाख ७ हजार रुपये इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कर्जे के देने हैं । आपको कर्ज देना पड़ेगा, तभी वे काम करेंगे । मैं यह कहूंगा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कर्मचारी हैं हम उन पर एतमाद नहीं करते हैं । हमें उनके काम करने में यकीन नहीं है । सिवाय इसके कि वे बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद पैसा बनाने की उम्मीद करते हैं । आप अपने कामों को करावें । अगर वे इस योग्य नहीं हैं तो उनके साथ सख्ती से बर्ताव करें । रिटायर्ड आदमियों को रखने की जरूरत नहीं है ।

अब मुझे पुलिस बजट के बारे में कहना है । हमारे आई० जी० अच्छे साबित नहीं हुए । इनकी वजह से बहुत से लोगों को बेरोजगार होना पड़ा । २५० सब इन्सपैक्टर्स निकाल दिये गये । लिहाजा वित्त मंत्री को ध्यान रखना चाहिये । जितनी मांगें हमारे सामने पेश हुई हैं ये बिलकुल ठीक हैं । बजट अच्छा है । इसको बगैर किसी डिवीजन के मंजूर कर लेना चाहिये ।

इसके अलावा मुझे एक बात और निवेदन करनी है कि मैं आज अध्यक्ष जी के पास गया था । उन्होंने उसका नोटिस लेने से इन्कार कर दिया । लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस पर प्रकाश डाल सकता हूं । अब जब मुझे बोलने का मौका मिल गया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पर कुछ कहूं । मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मन्त्री से कहना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में शामली एक कस्बा है । वहां के सफाई कर्मचारियों ने १७ तारीख से हड़ताल कर रखी है । शहर में महामारी का खतरा है । वहां की अथारिटीज वहां के कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है । उन्हें तंग कर रही है । यहां तक खबर आई है कि वहां पर उनको मारने और पीटने की धमकी दी जा रही है । मिनिस्टर साहब से यह निवेदन है कि उन कर्मचारियों को सुविधा इस काम में देनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि अपोजीशन इस बजट को मान लेगा और इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा ।

*श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत है, इसमें कम से कम कुछ मांगें इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण हैं कि वित्त मंत्री जी को, जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, हमको यह बताना चाहिये था कि यह रकमें अनुपूरक बजट में क्यों लाई जा रही हैं । पूरा बजट जब पास हुआ था उस वक्त इनको लाना चाहिये था या अब जो बजट आने वाला है उसमें रखना चाहिए था। विशेष तौर से सामान्य प्रशासन आयुक्त और समान्य प्रशासन के लिये इसमें १ करोड़ ७० लाख की धनराशि परिवहन के लिये, ३ करोड़ की धनराशि, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्यों के लिये १ करोड़ ५२ लाख की धनराशि, और भी इसी तरह की कई मदें हैं । मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर सप्लीमेन्टरी बजट का उद्देश्य क्या है ? क्या सप्लीमेंटरी बजट का यह उद्देश्य है कि सामान्य प्रशासन के लिए भी जो धन की आवश्यकता है, उसे हम सप्लीमेन्टरी में लाएं ? सप्लीमेंटरी बजट में वही आवश्यकताएं आनी चाहिये जिनको हम मूल बजट बनाते समय नहीं देख सकते या किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण जिस व्यय की आवश्यकता हुई हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे अत्यन्त खेद है, वित्त मंत्री जी कई वर्ष तक एस्टीमेट्स कमेटी के मेरे साथ सदस्य रह चुके हैं और हमने बराबर इस बात पर जोर दिया था कि लेजिस्लेटिव फायनेंशियल कंट्रोल, डेमोक्रेसी जिस धुरी पर घूमती है, इस हाउस की जो स्वीकृति पैसे के सम्बन्ध में हम एक्जीक्यूटिव को देते हैं उसका एक्जीक्यूटिव किस तरह से उपयोग करती है, यह नियंत्रण इस सदन का होना चाहिए। श्रीमन्, यदि आज देखें तो डैमोक्रेसी में संघर्ष ही इस बारे में रहा है कि हम वित्तीय नियंत्रण जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में दे सकें। परन्तु जिस तरह से बजट बनाया जाता है और जिस तरह से अनुपूरक बजट हमारे सामने आते हैं यह सारा नीगेशन आफ डैमोक्रेसी है। जनता के सारे नियंत्रण का, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिनका मूल काम यह है कि वह देखें कि जनता पर जो टैक्स लगाया जाता है, जो जनता से पैसा लिया जाता है, उसका उचित उपयोग होता है या नहीं, यह उसका नीगेशन है।

श्रीमन्, मैंने पहले भी एक बार कहा था, मूल बजट में एक साल में सिचाई में १० करोड़ रुपए की मांग रखी गयी। मार्च के महीने में ५ करोड़ रुपया अनुपूरक बजट में मांगा गया और उसके बाद पी० ए० सी० कमेटी में जो मूल खर्च हुआ २५ करोड़ रुपया और १० करोड़ रुपयों के लिये यह कहा गया कि इसको रेगुलराइज करना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा फाइनेन्शियल कन्ट्रोल है। इस प्रकार से जनता का फाइनेन्शियल कन्ट्रोल किस प्रकार से हो सकता है। न तो मंत्री जी को पता है कि उनके विभाग में कितना पैसा किस मद में दिया गया है और कितना पैसा खर्च हुआ है। मंत्री जी को इस बात का कोई भी पता नहीं है और यही नहीं बल्कि विभाग को भी अन्तिम समय में साल के खत्म होने पर जब कि सारा खर्च हो जाता है अथवा नहीं होता तभी पूरी स्थिति का ज्ञान हो पाता है और उससे पहले उनको परिस्थितियों का ज्ञान नहीं हो पाता है।

यदि इस प्रदेश में डेमोक्रेसी को लाना है तो सबसे पहले हमको अपने वित्तीय प्राविधानों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी का मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है और कितने ही वर्षों तक वह हमारे साथ रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि उनको शिक्षा मंत्री होना चाहिए और वित्त मंत्री नहीं। जो व्यक्ति वित्तीय और आर्थिक समस्यायों को समझ ही नहीं सकता है उसको वित्त मंत्री बना देना यही सिद्ध करता है कि वह अपनी कार्यक्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकेगा। साथ ही वह अपने विभाग से उसका पूरा काम भी नहीं ले सकता है। एक्जीक्यूटिव सदा सिर पर सवार रहेगी। मैं वित्त विभाग को ही नहीं कहता बल्कि मंत्रि परिषद् भी अन्त तक किसी निश्चित वस्तु का निष्कर्ष नहीं निकाल पाती है क्योंकि मंत्रि मंडल यह नहीं जानता है कि कौन सी योजना कहां पर रखना है, कहां पर फलां पैसे को रखना है। वह तो जल्दी-जल्दी वित्त विभाग को मदें भेजती जाती है। ऐसा करने से एक आर्थिक क्यास सारे प्रदेश में फैल जाता है और हम अपने आर्थिक साधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। श्रीमन, मैं यह बराबर सुनता हूं कि किसी अमुक कार्य के लिये कोई योजना बनी और धन का अभाव होने पर तुरन्त ही भिक्षा का पात्र लेकर हम केन्द्र सरकार के पास पहुंच जाते हैं कि हमको १ अरब या डेढ़ अरब रुपये इसके लिये दे दो। केन्द्रीय सरकार की भी इसके लिये एक व्यवस्था है, नियम है। आप अपने साधनों का उपयोग करें और अपने साधनों से धन इकट्ठा करें और उसके उपरान्त केन्द्र सरकार के पास जायें और कहें कि वह सहायता करे। इस प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। जहां तक कि मैं समझता हूं केन्द्र पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को मदद करने के लिये तैयार है परन्तु प्रदेश की जो हमारी मशीनरी है, जो मंत्रिगण हैं जिनके हाथ में सत्ता है और जो हर हालत में सत्ता को पकड़े रहना चाहते है और जिसके लिये वे पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिनको जनता ने बराबर रिजेक्ट कर दिया है और फिर भी वे उसको पकड़े बैठे हैं, वह स्वयं ऐसा कार्य नहीं करते जिससे वह केन्द्र की सहायता प्राप्त कर सकें। जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है और इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। श्रीमन, मेरा यह अनुमान है कि इस प्रदेश में कम से कम २०० करोड़ रुपयों की ऐसी सम्पत्ति है, वह चाहे बिजली विभाग में हो, सिंचाई विभाग में हो या कहीं हो, जो बेकार पड़ी है और उसका कोई

[श्री देवकीनन्दन विभव---]

लाभ हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार की जो मशीनरी पड़ी है जिसकी आपको स्वयं खबर नहीं है कि वह कहां पर है आप उसको देखें कि उसका क्या हो रहा है। आपके पास यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट है। आप यह देखें कि जिसको आप पैसा देते हैं उसका कितना पर्सेन्टेज यूटीलाइज हो पाया है। आज १०, १० वर्ष हो गये हैं और आपके पास यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं आया है।

श्रीमन्, आज हमें एक वित्तीय व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है। हमें देखना है कि हमारे बजट बनाने की क्या पद्धति होनी चाहिए। हमारे अनुमान किस तरह से होने चाहिए। हम जो टैक्स के रूप में जनता का रुपया लेते हैं हम उसका किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, यह हमें देखना है आज बजट बनाने में होता क्या है कि उसका परिणाम वर्ष के अन्त में हमें मालूम होता है जब हम देखते हैं कि डेफिसिट बजट सरप्लस हो गया। इसी श्वेत-पत्र में यह दिखाया गया है कि ३८९ करोड़ रुपये की प्राप्ति के अनुमान किये थे लेकिन प्राप्ति हुई ४३५ करोड़ और खर्च का अनुमान था ४३० करोड़ लेकिन खर्च हुआ ४०६ करोड़। आप कहते हैं कि हमने बचत की। ऐसा मालूम होता है कि हमारी जो सारी मशीनरी है, वह बड़ी सजग है। उसने एक-एक पैसा बचाकर इतने करोड़ रुपये की बचत की। मैं कहना चाहता हूं कि यह बचत नहीं है बड़ी खतरे की चीज है। आपने एक योजना के लिए कुछ रुपये की स्वीकृति विधान मंडल से ली। लेकिन किसी योजना को आपको चलाना है तो होता यह है कि आप पहले कर्मचारियों की फौज रख देते हैं। तीन महीने बाद मालूम होता है कि अभी तो जमीन ही नहीं ली। लेकिन कर्मचारी जो आपने रख लिये वे बैठे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन को तो आपने खर्चे में डाल दिया और जो काम होना था वह हुआ नहीं और उस पैसे को बचत दिखला दिया। यह बचत नहीं बल्कि अपव्यय है जो कि उस योजना को संचालित न करके आपने बचत की। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश को ऊपर उठाना है तो जो हमारी बजट बनाने की पद्धति है उस पर विचार करना पड़ेगा। इस में केवल हमारे वित्त विभाग का ही दोष नहीं है बल्कि मंत्रिमंडल का भी दोष है जो कि योजनाओं को सुपरवाइज करता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो बजट का समय है उसको भी बदलना पड़ेगा। बहुत से यह करते हैं कि बजट स्क्रुटनी के पहले ही इंतेपाल कर लेते हैं और फिर स्क्रूटनी शुरू होती है। लेकिन ऐसे भी केसेज हैं जिनमें स्क्रुटनी के बाद ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन वर्ष के अन्त में पहुंचती है और फिर डिपार्टमेंट उस पैसे को फेंकने की कोशिश करता है। इसलिये वित्त मंत्री महोदय को बजट बनाने के समय को, ऐस्टीमेटस बनाने के समय को देखना होगा। या तो एस्टीमेट कमेटी को काम सुपुर्द करना चाहिए कि वह स्क्रूटीनाइज करे या फाइनेन्स कमेटी को काम सुपुर्द करें जो कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव चैक रखे। मैं समझता हूं कि इस अनुपूरक बजट के बाद पी० ए० सी० में यदि कोई प्रस्ताव रेगुलराइजेशन के लिये रखते हैं या मांग-पत्र पेश किये जाते हैं तो उनकी आवश्यकता नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि इस बजट को हमको अपोज करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब किसी को बोलना नहीं है, मालूम ऐसा पड़ रहा है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस अनुपूरक अनुदान के द्वारा लगभग साढ़े ३३ करोड़ रुपये की मांग यह सरकार सदन से कर रही है। मान्यवर, अनुपूरक अनुदान में वही रकम आती है जिसकी व्यवस्था वार्षिक आय-व्ययक में नहीं होती है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर धन खर्च करना पड़ता है। इसके द्वारा साढ़े तैंतीस करोड़ रुपया यह सरकार सदन से मांग रही है। मैं इसका विरोध इस आधार पर करता हूं कि इस साढ़े ३३ करोड़ रुपये में से दस-पांच करोड़ रुपया भी इस सरकार ने हमारे प्रदेश के पिछड़े हुए अंचल के लिये, चाहे पूर्वी जिले हों, चाहे बुन्देलखंड का इला का

हो या चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, खर्च करने की व्यवस्था नहीं की है। अभी इधर के माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर डालने की कोशिश की। जब वर्तमान मुख्य मंत्री जी आए तो उन्होंने एक स्टन्ट दिया कि पूर्वी जिलों के लिये, बुन्देलखंड के जिलों के लिये और पर्वतीय जिलों के लिये, जो कि पिछड़े हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं ताकि उनका शीघ्र विकास हो सके। यदि मुख्य मन्त्री जी ने इन अंचलों के विकास के लिये १०,२०,५० करोड़ रुपया खर्च किया होता और उस धनराशि की इस अनुपूरक अनुदान में मांग करते तो हम उस रुपये को देने के लिये तैयार हो जाते। वे ऐसा न करके केन्द्रीय सरकार पर दोष देना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस प्रदेश के पिछड़ेपन के लिये दोषी है। इस प्रदेश के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी आप केन्द्रीय सरकार पर छोड़ नहीं सकते हैं। अगर उनकी जिम्मेदारी है तो हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी श्री चन्द्र भानु गुप्त पर भी है, चौधरी चरण सिंह पर भी है, श्रीमती सुचेता कृपालानी पर भी है और माननीय श्री टी० एन० सिंह पर भी है, इस पिछड़ेपन की जिम्मेदारी उन सभी पर है जिनकी कि सरकारें यहां पर रहीं हैं। केवल दोषारोपण करने से और यह कहने से कि केन्द्रीय सरकार ने चूंकि हमको रुपया नहीं दिया है इसलिये उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, काम नहीं चलेगा। अगर ये लोग इन पिछड़े हुए इलाकों को विकसित करना चाहते हैं तो क्यों नहीं उन्होंने योजना बनाई और क्यो योजनाओं पर रुपया खर्च नहीं किया? यदि उन योजनाओं पर रुपया खर्च करके इस अनुदान में रुपया मांगते तो बात और थी।

इस अनुपूरक अनुदान में जो मांगें हैं उनमें से एक शिक्षा विभाग से संबंधित है। स्मृति-पत्र के पृष्ठ २५ पर शिक्षा मन्त्री जी ने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम के संबंध में व्यवस्था की है। इसमें उन्होंने प्रधानाध्यापक का वेतन रु० ८०-१४० रखा है जबकि प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों का वेतन रु० ८०-१२५ रखा है। तो प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के वेतन-क्रम में कुछ न कुछ अन्तर रहता है। आपने इनके वेतन बढ़ाये हैं तो प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के वेतन में कुछ अन्तर जरूर होना चाहिये। इसी अनुपूरक बजट में अनुसूचित और पिछड़ी हुई जाति के लिये ३ करोड़ ६० लाख की मांग रखी गयी है। इसमें अनुसूचित जन जाति के लिये कुछ कार्यों के लिये तो मांग की गयी है किन्तु मैं सरकार का ध्यान मुसहर जाति की ओर दिलाना चाहता हूं हमारे उत्तराखंड के कुछ जिलों में इन अनुसूचित जन जाति के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। प्रतापगढ़ जौनपुर, बनारस आदि जिलों में मुसहर लोग हैं। इनकी दशा दूसरी जनजाति वालों से अच्छी नही है। इन मुसहर जाति वालों का इन २२-२३ वर्षों में कोई सुधार नहीं हुआ है। वे अधनंगे रहते हैं। सरकार को अनुसूचित जन जाति में, मुसहर जाति को भी शामिल करना चाहिये और इनकी दशा सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिये। माननीय रामसागर जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। मैं उनसे एक और निवेदन करूंगा। जौनपुर जिले में हरिजन विभाग ने सौ मशीनें सिलाई की हरिजनों को देने के लिये स्वीकृत की हैं। किन्तु वहां की नगरपालिका, जो जनसंघ की है, प्रति मशीन पर हरिजनों से १८ रुपये टैक्स के ले रही है। एक ओर सरकार उनको मुफ्त अनुदान दे रही है, दूसरी ओर वहां की नगरपालिका उनसे टैक्स ले रही है। सरकार को हरिजनों को वह मशीनें बिना टैक्स, दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

मान्यवर, इसी अनुपूरक बजट में बहुत सी सड़कों के लिये मांग रखी गयी है। यह सड़कें जो बनायी जाती हैं अभी तक उनका कोई उचित आधार नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका कोई आधार सरकार को नियत करना चाहिये जैसे कि जनसंख्या या पिछड़ेपन को आधार बनाकर सड़कें बनायी जायं। बिना उचित आधार के होता क्या है कि पहुंच वाले लोगों के यहां ही सड़कें बन जाती हैं और जहां नितान्त आवश्यकता होती है, वहां सड़कें नहीं बन पाती।

अंत में मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अगर सरकार ने अपनी मांग रखी होती तो उसे स्वीकार करने में हमें बड़ी खुशी

[श्री माता प्रसाद]

होती । ५० करोड़ रुपया भी इस ओर अगर खर्च कर दिया होता तो हमें उसे स्वीकार करने में आपत्ति न होती । किन्तु सरकार ने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

श्री अध्यक्ष जी, इस प्रकार के बजट की मंशा यह है कि सरकार इस माननीय सदन में ऐसी नीति का निर्माण करे जिसके द्वारा देश और प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए । इस प्रदेश में एक वर्ग दूसरे वर्ग की कमाई पर निर्भर न रहें, हम ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिससे दलित वर्ग का कल्याण हो और उन्हीं की आकाक्षांओं की पूर्ति के लिये यहां पर बजट के रूप में हम पैसा स्वीकृत करते हैं । इसलिये आवश्यक है कि जब हम इन राशियों को यहां से पास करें तो हम इस बात पर विचार करें कि जो धनराशि हम यहां से पास करते हैं वह किसी वर्ग विशेष के विकास पर खर्च होती है या पूरे समाज के विकास पर खर्च होती है । यह हमें भली भांति देखना चाहिये । यह धनराशि साधनहीन, निर्धन और पिछड़े वर्ग के लोगों पर खर्च होनी चाहिये । लेकिन जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं, पिछला अनुभव हमें बताता है कि जितनी धनराशि उनको दी गई है, उतनी ही देश में भुखमरी और बेकारी फैली है । जितनी योजनायें बनाई गईं और उनकी पूर्ति के लिये जितना अधिक पैसा दिया गया, उतनी ही प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती गई है और प्रदेश का पिछड़ापन बढ़ता गया है । यहां पर जो वाद-विवाद चल रहा है, उसमें माननीय सदस्य एक दूसरे के पक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं प्रदेश के पिछड़ेपन के लिये, लेकिन इस प्रदेश में पिछड़ापन लाने का, भुखमरी लाने का और बेकारी लाने का जिम्मेदार कौन है, आज यहां पर इसका फैसला नहीं हो पाता है । इसका कारण यह है कि इस सदन द्वारा जितनी भी रकम पास की गई, जितनी भी योजनायें बनाई गईं, वह प्रदेश के उन्नत वर्ग के लिये बनाई गई, उनके लिये बनाई गईं, जो यहां के साधन सम्पन्न वर्ग हैं । जो आज प्रदेश में जमीनों के मालिक हैं, जो देश के सारे उत्पत्ति के साधनों को लेकर बैठे हैं उन्हीं के लिये सारी योजनायें बनी हैं और साधन विहीन वर्ग के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

आप एक विषय लीजिए । कृषि को लीजिए । बड़ा शोर मचाया गया कि कृषि का हमारे प्रदेश में विकास नहीं हो पा रहा है, गल्ला दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है । इसके हेतु खेती के विकास में जो भी धनराशि खर्च की गई, इससे उन्हीं लोगों का फायदा हुआ जो जमीनों के मालिक हैं । इस संबंध में यह कहा गया कि देश के अन्दर गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये खाद जरूरी है, सिंचाई जरूरी है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि खाद के सस्ते होने का लाभ जमीन के मालिकों को ही मिलेगा और वह व्यक्ति क्या लाभ पा सकता है, जिसके पास कोई जमीन ही नहीं है ? पानी के बारे में मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि समाज का वह हिस्सा, जिसके पास कोई साधन नहीं है, क्या वह केवल पानी पीकर जिंदा रहेगा ? इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है । हमारे समाज की जो रीढ़ है, पिछड़ा और हरिजन समाज है, उसके विकास के लिए आज तक कोई समुचित ध्यान नहीं दिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विकास खण्ड खोले गये हैं उनके माध्यम से सरकार पैसा खर्च करती है लेकिन विकास खंडों की ऐसी हालत है कि जो भी कर्ज दिए जाते हैं उनसे वही लाभ पाता है जो सधन सम्पन्न होता है । वही कर्जे की शर्तें पूरा कर पाता है, जिसके पास हैसियत होती है । जो एक दो बीघे का काश्तकार है वह शर्तें नहीं पूरी कर पाता है इसलिए जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं वह नहीं ले पाता है । उनका वही वर्ग उपभोग करता है जो समाज के अन्दर हैसियत रखने वाला है । बेकारी के नाम पर, साधन विहीनों को मदद देने के नाम पर, भुखमरी दूर करने के नाम पर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े उद्योग खोले गये और जो देश के बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, प्रदेश के बड़े-बड़े उद्योग चलाने वाले हैं, यहां से जो भी पैसा मंजूर किया जाता है उसका अधिक से अधिक हिस्सा उद्योग धन्धे के नाम पर ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि हजारों-लाखों रुपया उस उद्योग धन्धे से कमाते हैं। जब वह मजदूरों से अधिक उत्पादन करवा लेते है, तो रोजाना तालाबन्दी की घटनाएं होती हैं और जो उसमें एक दो लाख, दस पांच हजार, मजदूर होते हैं वह भूखों मरने लगते हैं। लेकिन यह सरकार जो बेकारी को दूर करने के नाम पर बड़े बड़े उद्योगों में पैसा लगाती है जब प्रदेश का मजदूर भूखों मरने लगता है तो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती। यहां रोजाना सवाल-जवाब होते हैं। कल सवाल आया था। फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूर पांच-पांच साल से बेकार पड़े हैं, उनके खाने-पीने का कोई ठिकाना नहीं है, काम-धन्धे का कोई ठिकाना नहीं है। आज तक जो भी यहां काम किया गया, जो भी योजना चलाई गई वह केवल एक हिस्से के लिए जो आगे बढ़ रहा है। जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको दबाने के लिए किया गया।

सुरक्षा के नाम पर पुलिस पर जो खर्च किया जाता है पुलिस उसी हिस्से की हिफाजत करती है जो मजबूत होता है। जो कमजोर हिस्सा है जिसको हिफाजत की जरूरत है वह पुलिस के डण्डे से पीटा जाता है। सुल्तानपुर की घटना की चर्चा पहले भी हो चुकी है। वहां के मजदूरों ने मजदूरी मांगी। वहां के हरिजनों की बस्ती को घेर कर जला दिया गया। उस समय माननीय मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह थे। उनसे कहा गया केवल मजदूरी के नाम पर जो आदमी रात दिन काम करता है, वह मजदूरी मांगने का हक नहीं रखता, वह अपनी मेहनत का प्रतिफल मांगने का हक नहीं रखता, तो ऐसे समाज में ऐसे लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से जो आज का बजट प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करता हूं क्योंकि आज तक पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उसका इस्तेमाल केवल उन्हीं लोगों के लिए हुआ है जिन को जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूं कि अनुपूरक अनुदानों के विषय में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि मुझे लेखानुदान या अनुपूरक अनुदान पेश करने का अधिकार नहीं है क्योंकि पिछली लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में उनके दल को बहुमत मिल गया। मुझे यह बात जान कर बहुत आश्चर्य हुआ और खेद भी हुआ क्योंकि यहां जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वह भी जनता के द्वारा इस सदन में आने के लिए चुने गए हैं और जिस सरकार का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं वह इस सदन के बहुमत के सदस्यों से बनी हुई है। यह प्रणाली लोकतांत्रिक है। लेकिन अलोकतांत्रिक क्या है? अलोकतांत्रिक यह है कि आज जो चेष्टाएं की जा रही हैं प्रतिनिधियों को, सदस्यों को लालच देकर एक दल से दूसरे दल में लाने की और इस प्रकार अपने अल्पमत को बहुमत में बदलना. यह है अनैतिकता और अलोकतांत्रिक कला।

श्री कृष्ण कान्त---

आप नैतिकता का सबक सदन को पढ़ा रहे हैं?

श्री कैलाश प्रकाश---

हां, पढ़ा सकता हूं क्योंकि उधर के सदस्यों ने यह बात कही है कि मुझको अधिकार नहीं लेखानुदान पेश करने का। मुझे यहा की जानकारी अच्छी तरह से है कि वे लोग जो कल यह बात कहा करते थे कि दल बदलना ठीक नहीं है, जो इसके लिए कानून बनाना चाहते थे, जिन्होंने अपने दल ही ओर से दल बदलने वालों को टिकट नहीं दिए थे, आज वह स्वयं चेष्टा कर रहे हैं कि सदस्यगण दल बदलें। यह है अलोकतांत्रिक और प्रजातंत्र की बुनियादों को खोखला करना। आज इस सदन का बहुमत इस सरकार को चाहता है तो वह सरकार बजट भी पेश कर सकती है और अनुपूरक अनुदान भी पेश कर सकती है।

[श्री कैलाश प्रकाश]

आज दो चीजें उपस्थित हैं। एक अनुपूरक अनुदान और दूसरे लेखानुदान। इस समय विचारणीय विषय अनुपूरक अनुदान का है। कुछ माननीय सदस्यों ने लेखानुदान की भी चर्चा की। क्योंकि विषय केवल अनुपूरक अनुदान का है इसलिए मैं अनुपूरक अनुदान पर ही अपने को सीमित रखूंगा। अनुपूरक अनुदान उपस्थित करना अति आवश्यक है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी गुजरती हैं जिनकी व्यवस्था करना आवश्यक होता है। अन्य लोकतांत्रिक देशों में जहां प्रजातांत्रिक प्रणाली से कार्य होता है, वहां भी इस तरह की प्रथा है। हमारे संविधान ने इस आवश्यकता को महसूस करते हुए इस बात की आज्ञा दी है। माननीय सदस्य देखेंगे कि जो अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है उसमें सामान्यतः ३ तरह की मदें हैं। एक वे हैं जिनको इस माननीय सदन ने स्वीकृत किया था लेकिन कार्य करने पर जब यह अनुभव हुआ कि इसमें अधिक धन की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए उनको रखा गया है। कुछ ऐसी मदें शामिल की गई हैं जो इस तरह के व्यय से संबंधित हैं। दूसरी वे मदें हैं जो सांकेतिक मदें कही जा सकती हैं जिनका मतलब यह है कि एक कार्य के लिए कुछ धन की व्यवस्था की गई लेकिन कार्य करते समय यह आवश्यक समझा गया कि इस धन को किसी दूसरी योजना में लगा दिया जाय। धन उपलब्ध रहता है लेकिन चूंकि माननीय सदन की स्वीकृति इस बात के लिए नहीं होती कि वह कार्य किया जाय इसलिए सांकेतिक स्वीकृति, कुछ धनराशि की, उस कार्य को लेने के लिए रख दी जाती है १०० रु० अथवा २०० रु०, जिसका अर्थ यह है कि धन की आवश्यकता तो नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि इस माननीय सदन की स्वीकृति उपलब्ध रहे उस काम के लिए जो काम इस रूप में लाया जा रहा हो।

श्रीमन, तीसरी चीज जो अनुपूरक अनुदान में सम्मिलित करनी होती है वे कुछ आकस्मिक चीजें होती हैं जिनका कि करना आवश्यक हो जाता है। मैं माननीय सदस्यों के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि यदि अलकनन्दा में बाढ़ आ जाय अथवा गंगा की नहर पट जाय तो उसमें जो खर्च होगा उसको तो करना ही पड़ेगा। प्रारंभ में आवश्यकता महसूस न हुई हो किन्तु बाद में बहुत जरूरी प्रतीत हो तो उसके ऊपर हमको खर्च करना ही पड़ेगा। जब कोई कार्य शुरू हो जाता है तो उसको पूरा भी करना पड़ता ही है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे इंजीनियर्स बेकार पड़े हुए हैं। यदि कोई योजना उनको काम देने के लिए बन जाय तो उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करनी ही होगी या बाढ़ आ जाय तो उसमें सहायता करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था हमें करनी ही होगी। इस तरीके की चीजें अनुपूरक अनुदान में सम्मिलित की जाती हैं जो कि आवश्यक होती हैं, अनिवार्य होती हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार भी करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि जो माननीय सदस्य अभी खड़े हुए थे उन्होंने आडिट रिपोर्ट के बारे में भी कहा था। श्रीमन्, आडिट प्रायः प्रतिवर्ष होता है और उसकी प्रणाली यह है कि जो आडिट रिपोर्ट आती है वह इस माननीय सदन की लोक लेखा समिति के सामने जाती है। लोक लेखा समिति, जिनकी आवश्यकता होती है, संबंधित अधिकारियों को भी बुलाकर उनका साक्ष्य लेकर इस बात का फैसला करती है कि उसमें कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। उसके बाद वह समिति अपनी रिपोर्ट में उस संबंध में संस्तुति देती है कि यह कार्य इस तरीके से होना चाहिए था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट आई है उन पर मंत्रिपरिषद् ने निर्णय लिया है कि उन पर अति शीघ्र विचार किया जाय और उसके लिये उन्होंने एक उप-समिति भी बनाई है जिसको यह काम सौंपा गया है कि जो लोक लेखा समिति की संस्तुतियां हैं, उन पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जाय।

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भी उठाया कि जिन सड़कों के बनाने के लिए प्राविधान किया गया था वे सड़कें अभी नहीं बनी हैं। श्रीमन्, ऐसी कितनी ही सड़कें इस प्रदेश में हैं ... (व्यवधान)

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी ने शायद सुना नहीं ...

श्री कैलाश प्रकाश—

मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप मेरी बात सुन लें। आप सुन लें तब आपकी समझ में आ जायगा। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस बात को सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जब कोई सड़क स्वीकार कर ली जाती है तो उसको पूरा करने में कोई प्रक्रिया अवश्य करनी पड़ती है। पहली प्रक्रिया तो सर्वे की होती है। सर्वे के बाद दूसरी प्रक्रिया भूमि को उपलब्ध करने की होती है और तीसरी प्रक्रिया मामूली तरीके से चलती है। श्रीमन्, मैं मानता हूं कि स्वीकार हो जाने के पश्चात् इस प्रक्रिया में देर अवश्य लगती है और इसीलिए हो सकता है कि माननीय सदस्य को यह ज्ञात हुआ हो कि फलां सड़क स्वीकार हो गई है और उस पर अभी कंकड़-पत्थर नहीं बिछे हैं। यह समझना ठीक नहीं है कि जब कोई चीज स्वीकार हो जाती है तो उसका कार्य शुरू नहीं हो गया है। जो कार्य स्वीकार हो जाता है वह चालू हो जाता है।

श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर यह भी कहा, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने इसके अध्ययन के पश्चात् ही यह बात कही होगी कि जब बजट स्वीकार हो जाता है तो उसके धन की स्वीकृति काफी देर से दी जाती है और इसलिये खर्चे का भार करीब-करीब दो-तीन महीनों में पड़ जाता है। सही बात है। मैं भी इस बात का आलोचक रहा हूं। किन्तु इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस आलोचना का ध्यान रखते हुए पिछले दो तीन साल से इस बात का पूरा प्रयास और चेष्टा की जा रही है कि बहुत कुछ व्यय जो केवल मार्च के महीने में हुआ करता था, वह केवल एक मास में न होकर सामान्य रूप में हो, यह चेष्टा की जा रही है और मैं इस बात को उचित भी समझता हूं कि जो कार्य हो उसके करने में पूरे साल का समय मिलना चाहिए और वित्त विभाग इस बात में प्रयास कर रहा है कि वह स्वीकृति जो दी जाती हैं, जिसे ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति कहते हैं, वह शीघ्र से शीघ्र दी जाया करे।

श्रीमन्, यहां एक चर्चा और आई और शायद यह बात सदस्यों को बुरी भी लगी कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन का एक कारण इंदिरा सरकार की हमारे प्रति उदासीनता है। श्रीमन, मैं राजनीतिक दृष्टि से इस बात को नहीं कह रहा हूं, जबकि कहा जा सकता है कि इधर जो सरकार बनी हुई है उनका दल, राजनीतिक दल, केन्द्र में जो सरकार है, उनसे भिन्न है, किन्तु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल की सरकार थी तब भी इस प्रदेश के प्रतिनिधियों ने इस बात की आलोचना की है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब यहां राष्ट्रपति शासन था और यहां के राज्यपाल महोदय को राष्ट्रीय विकास परिषद् में जाने का अवसर मिला और उत्तर प्रदेश का मामला वहां रखा गया तब उन्होंने जो स्थिति बताई थी वह भी स्पष्ट करती है। यदि हम यह देखें कि प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें क्या सहायता केंद्र से प्रति व्यक्ति मिली है और प्रत्येक योजना में हमने कितनी पूंजी लगाई है तो उससे स्पष्ट हो जायगा कि केंद्रीय सरकार से हमको वह सहायता नहीं मिली जो अन्य प्रदेशों को मिली। मैं स्वीकार करता हूं कि प्रदेशीय सरकार का भी उत्तरदायित्व है और उससे यह सरकार भागना नहीं चाहती, किन्तु अगर संविधान का अध्ययन किया जाय तो उससे स्पष्ट होगा कि केंद्र को ही बहुत अधिकार है। इसीलिए संविधान में यह चीज रखी गई है कि केंद्र से प्रदेश को सहायता मिला करेगी। मैं पूरे ब्योरे में नहीं जाता, केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसको गंभीरता के साथ अध्ययन करें।

केंद्र की ओर से दो तरीके से सहायता मिलती है। एक तो संविधान में इस बात को अनिवार्य कर दिया है कि जो कुछ आमदनी किन्हीं मदों से होती है उसको वह प्रदेश में बांट दे, उसमें बहुत कुछ अधिकार सरकार को नहीं है। कमीशन बनता है और वह विवरण भी संस्तुति है। संविधान में लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि कुछ बड़े बड़े टैक्सेज हैं जो

[श्री कैलाश प्रकाश]

केंद्रीय सरकार ही लगा सकती है, जैसे इन्कम टैक्स, एक्साइज टैक्स। देश में जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बढ़ती है उसी पैमाने पर करों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इस धन का बटवारा केंद्र की ओर से प्रदेशों को मिलता है, बजट में जिसके आंकड़े पेश किए गए हैं लेखानुदान के संबंध में, यह भी एक बहुत बड़ी मद आय की होती है।

तीसरी चीज यह है कि जिन प्रदेशों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिन प्रदेशों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जो प्रदेश पिछड़े होते हैं उनको विशेष रूप से सहायता दी जाती है। हमने यह बार-बार पूछा है कि आप पिछड़ा किस को कहते हैं? आखिर कोई न कोई नाम होने चाहिए जिनके अनुसार प्रदेश को इस बात के लिए नियत किया जाय कि यह प्रदेश पिछड़ा है और विशेष सहायता का अधिकारी है। यदि आय को देखा जाय तो दुर्भाग्य से, जो हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है बल्कि लज्जा की ही बात है, हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। उस को आधार माना जाय या यहां के जीवन स्तर को देखा जाय या यहां की समस्याओं के हिसाब से देखा जाय या यहां पूर्वी, पर्वतीय और बुन्देलखण्ड के हिसाब से देखा जाय जो पिछड़े हुए हैं, तो हम विशेष सहायता के अधिकारी हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार से विशेष सहायता का अधिकार हमें नहीं मिला है। वह उसके अधिकारी जम्मू व काश्मीर को मानते हैं, असम को अधिकारी मानते हैं, कभी-कभी उड़ीसा को भी अधिकारी मानते हैं लेकिन वह हमें विशेष सहायता के अधिकारी नहीं मानते हैं। यह हमारे केवल कहने मात्र की बात नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। आज आप इसे राजनीति की बात समझ सकते हैं लेकिन इसके पूर्व भी हम इस बात को कहते चले आए हैं। माननीय सदस्य चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, या चाहे इधर से जाकर उधर बैठ गये हों या उधर से आकर इधर बैठ गये हों, अपने प्रदेश का विकास हर एक के लिए आवश्यक है। अपने प्रदेश के जीवन स्तर को उठाने के लिए आवश्यक है कि दूसरों प्रदेशों के विकास के लिए अगर कोई विशेष सहायता मिलती है तो वह विशेष सहायता हमें भी मिलनी चाहिए। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि केंद्रीय सरकार ने जितने उद्योग व कारखाने लगाये हैं और जिसमें करोड़ों रुपये लगते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में कितने लगे हैं या उद्योग कितने लगे हैं। सारे देश में जो बहुत सी योजनाएं चली हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में कितनी चली हैं ये आपको सब आंकड़े स्पष्ट कर देंगे। भावनाओं से मैं काम नहीं ले रहा हूं। जो आर्थिक नीति है, जो आर्थिक आंकड़े हैं वे इस बात को स्पष्ट करते हैं और अगर मैं इस बात को कहूं कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण यही है कि केंद्रीय सरकार से हमें वह समुचित सहायता जिसके कि हम अधिकारी थे, नहीं मिली तो अनुचित न होगा। माननीय सदस्यों को कुछ बुरा लगा है इसलिए मुझे इस बात को कहने की आवश्यकता हुई।

यहां पर विशेष रूप से कुछ बातें कही गयी हैं। माननीय रघुनाथ सिंह जी ने एक बात कही कि कानपुर में परिवहन विभाग का एक केंद्रीय वर्कशाप है जहां २५ हजार रुपये रोजाना की हानि हो रही है। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में यह बहुत खराब बात है और मैं विनय के साथ उनसे निवेदन करता हूं कि जो तथ्य इस सिलसिले में उनकी जानकारी में हों उनसे वे अवगत करावें ताकि हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि इससे कितनी हानि हो रही है और उस हानि को बचाने की चेष्टा की जा सके। तथा जरूरी हो तो इसके लिये पूरी जांच पड़ताल की जा सके। मेरे पास समय कम है। (व्यवधान)

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मैंने दो प्वाइंट पूछे थे। तो मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि....

श्री कैलाश प्रकाश---

जब मैं अभी बोल रहा हूं तो व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ? उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है और अभी मैं बोल रहा हूं । जिस तरह से आपको बोलने का अधिकार है उसी तरह से मुझे जवाब देने का भी अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर माननीय सदस्य कोई सूचना चाहते हैं तो इसके लिए मैं उनको बाद में समय दे सकता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अपनी बजट स्पीच में जिन बातों को मैंने उठाया है उसका उत्तर उधर से आना चाहिए । हमने कहा पूरब और वहां से आवे पश्चिम, और समय को पूरा कर दिया जाय कि बजट स्पीच पूरी हो गई, तो यह कहां तक उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है । जिस तरह से आपके कहने का अधिकार अक्षुण्ण है उसी तरह से उनको उत्तर देने का भी संपूर्ण अधिकार है ।

श्री रघनाथ सिंह (जिला कानपुर)---

श्रीमन, उत्तर देने का कुछ तारतम्य तो होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने अपनी बात कह ली, अब उनको अपनी बात कहने दीजिए, उनको अपनी तरह से उत्तर देने का अधिकार है ।

श्री कैलाश प्रकाश---

कहा गया कि बिजली कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली कर्माचारियों के विषय में केन्द्रीय सरकार की ओर से एक वेज बोर्ड की स्थापना हुई थी । प्रदेशीय सरकार ने उसकी संस्तुतियों पर विचार करके जो स्वीकार है, उसको गजट में भी प्रकाशित कर दिया है । उन संस्तुतियों को न केवल स्वीकार ही कर लिया गया है बल्कि १ अप्रैल, ६९ से उनको लागू करने का भी निर्णय ले लिया है ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरे पास यह बजट की प्रति है .....

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं, इसलिये आप स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते । बजट की प्रति तो सब के पास है, इस तरह से सभी खड़े हो जायंगे । मैं आपको इजाजत नहीं देता । आप बोल चुके हैं, इधर से उनको उत्तर देने दीजिये ।

श्री चेतराय गंगवार---

मैं नहीं बोला हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी ओर से लोग बोल चुके हैं ।

श्री कैलाश प्रकाश---

सरकारी कर्मचारियों के बारे में यहां चर्चा की गयी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप यह अव्यवस्था क्यों पैदा कर रहे हैं ? आप बैठ जायं ।

श्री चेतराम गंगवार---

आप नाराज क्यों हो रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता । आप कृपा करके आसन ग्रहण करें । स्पष्टीकरण की बात यह है कि बोलने वाले माननीय सदस्य बैठ जायं, तब स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है । लेकिन वह खड़े हैं, इसलिये मैं किसी स्पष्टीकरण मांगने की आपको इजाजत नहीं दे सकता ।

(इस समय ३ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री कैलाश प्रकाश---

सरकारी कर्मचारियों के बारे में चर्चा की गयी ।

श्री चेतराम गंगवार---

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं, वे बैठ नहीं रहे हैं । अब साढ़े तीन बज गये हैं, आप बैठ जायं ।

१६७०-७१ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २---भू-राजस्व

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीपनारायण मणि)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २---भू-राजस्व के अन्तर्गत ४५,१४,८०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २---भू-राजस्व के अन्तर्गत ४५,१४,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३---राज्य आबकारी

श्रम मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)---

श्रीमन, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३---राज्य आबकारी के अन्तर्गत १०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३---राज्य आबकारी के अन्तर्गत १०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६--स्टाम्प

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६--स्टाम्प के अन्तर्गत ५६,५०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६--स्टाम्प के अन्तर्गत ५६,५०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८--राज्य विधान मण्डल

विद्युत उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८--राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ४९,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८--राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ४९,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९--निर्वाचन

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९--निर्वाचन के अन्तर्गत ९०,६६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९--निर्वाचन के अन्तर्गत ९०,६६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन

श्री रामधारी शास्त्री--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ७,०३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ७,०३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,७८,८६,६०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,७८,८६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २०,८६,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २०,८६,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४—कारागार

सूचना मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द)—

श्रीमन्, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं, कि अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत १७,५६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—कारागार के अन्तर्गत १७,५६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—पुलिस

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत १२,४६,२०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत १२,४६,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १६७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

खाद्य मंत्री [श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)]––

जनाबवाला, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १६––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १७––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम ऐजाज रसूल)––

जनाबवाला, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १७––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत ६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत ६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८––शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्रीपति मिश्र)––

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८––शिक्षा के अन्तर्गत ५३,६४,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८––शिक्षा के अन्तर्गत ५३,६४,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १९––चिकित्सा

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्त राम जायसवाल)––

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९––चिकित्सा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९––चिकित्सा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि राज्य मंत्री (श्री कृष्णस्वरूप)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ९६,९२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ९६,९२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन

पशुपालन मंत्री (श्री बिशन लाल)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४—सहकारिता

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मोतीलाल देहलवी)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत २३,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत २३,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५—उद्योग—

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत २०,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत २०,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन

श्रम मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत १,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत १,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियां

समाज कल्याण मंत्री (श्री रामसागर)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९–अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सागर)—

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत १००रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,५२,८५,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,५२,८५,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०—७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०—७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०—७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ९,८९,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ९,८९,७०० रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—परिवहन

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत ३,१४,५७,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत ३,१४,५७,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

वित्त राज्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

श्रीमन्, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ४१,८५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ४१,८५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२—वन

वन मंत्री (श्री राम किंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—वन के अन्तर्गत ६२,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—वन के अन्तर्गत ६२,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय

वन मंत्री (श्री राम किंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ३०,२०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ३०,२०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,१६,०६,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,१६,०६,९००रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ क लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ४९—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या ४९—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १४,८९,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १४,८९,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०—सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५,१६,५०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी-परिव्यय के अन्तर्गत ५,१६,५०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यो पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ५,५०० रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १४,५३,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १४,५३,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त राज्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कैलाश प्रकाश––

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(सदन में विनियोग विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

श्री कैलाश प्रकश––

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग १९७०–७१ का अनुपूरक विधेयक, १९७१

३१ मार्च, १९७१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है––

१––यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) अधिनियम, १९७१ कहलाएगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

२––ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९७१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तंभ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ३३,४०,५४,४०० रु० (तैंतीस करोड़, चालीस लाख, चौवन हजार, चार सौ रुपये) होता है, अधिक न हो। उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९७०-७१ के लिए ३३,४०,५४,४०० रुपयों का दिया जाना।

३––इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९७१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं। विनियोग

अनुसूची

(धाराएं २ व ३ देखें)

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशि से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
२	भू-राजस्व	४५,१४,८००	..	४५,१४,८००
३	राज्य आबकारी	१०,०००	..	१०,०००
६	स्टांम्प	५६,५००	..	५६,५००
८	राज्य विधान मण्डल	४९,६००	५५,०००	१,०४,६००
९	निर्वाचन ..	९०,६६,६००	..	९०,६६,६००
१०	सामान्य प्रशासन	७,०३,१००	४,८४,०००	११,८७,१००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	१,७८,८९,९००	..	१,७८,८९,९००
१३	न्याय प्रशासन	२०,८६,२००	४०,९००	२१,२७,१००
१४	कारागार	१७,५६,०००	..	१७,५६,०००
१५	पुलिस	१२,४९,२००	२३,५००	१२,७२,७००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ।	१००	..	१००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ।	६,५००	..	६,५००
१८	शिक्षा	५३,६४,८००	६,५००	५३,७१,३००
१९	चिकित्सा	३००	..	३००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य	३००	..	३००
२१	कृषि संबंधी विकास	९६,९२,७००	४,६००	९६,९७,३००
२३	पशुपालन तथा मत्स्यपालन	१००	..	१००
२४	सहकारिता	२३,३००	..	२३,३००
२५	उद्योग	५००	..	५००
२६	नियोजन और समन्वय	२०,००,२००	१२,१००	२०,१२,३००
२७	श्रम और सेवायोजन	१,५०,०००	..	१,५०,०००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	६००	..	६००
३०	समाज कल्याण	१००	..	१००

१	२	३		
अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
३१	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	१,५२,८५,७००	..	१,५२,८५,७००
३२	सिंचाई अधिष्ठान	२००	३,३००	३,५००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं	८००	१०,०००	१०,८००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	१००	..	१००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान	९,८९,७००	..	९,८९,७००
३७	परिवहन	३,१४,५७,२००	..	३,१४,५७,२००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें	४१,८५,०००	..	४१,८५,०००
४२	वन	६२,१००	..	६२,१००
४३	प्रकीर्ण व्यय	३०,२०,६००	..	३०,२०,६००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	२,१६,०६,९००	..	२,१६,०६,९००
४९	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	१४,८९,००,०००	..	१४,८९,००,०००
५०	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	५,१६,५०,४००	..	५,१६,५०,४००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	५,५००	..	५,५००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	१४,५३,७००	१,३२,८००	१५,८६,५००
५३	पेंशनों का राशिमूल्य	..	४१,८००	४१,८००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	६००	..	६००
	योग	३३,३२,३९,९००	८,१४,५००	३३,४०,५४,४००

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई संशोधन नहीं है। इसलिए प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, १ अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९७१–७२ के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

श्रीमन, दिनांक २२ मार्च, १९७१ को प्रस्तुत निम्न लिखित प्रस्ताव पर विचार किया जाय—

"३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों में, "१९७१–७२ में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान" के विवरण में जो २२ मार्च, १९७१ को सदन में प्रस्तुत किया गया, पृष्ठ १—३ पर दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो २,२५,५७,२२,००० रुपय से अधिक न हो ।"

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव रक्खा उन्होंने यह कहा कि वित्त मंत्री ने २२ मार्च को यह प्रस्ताव विचार के लिये प्रस्तुत किया था। श्रीमन्, मेरे पास २२ मार्च, का एजेंडा है और कार्यवृत्त में भी है कि कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रक्खा गया है। श्रीमन्, आप एजेंडा और कार्यवृत्त देखें इसलिये इस पर विचार नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष—

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के एक भाग के लिए लेखानुदान को प्रस्तुत किया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

लेखानुदान तो प्रस्तुत किया लेकिन जो उसके संबंध में प्रस्ताव रखना चाहिए था वह नहीं पेश किया । लेखानुदान पर प्रस्ताव पेश करना वह भूल गए । उस दिन की कार्यवाही आप देख लें, कार्यवृत्त देख लें, लेखानुदान तो जरूर प्रस्तुत किया लेकिन जिस प्रस्ताव का इसमें उल्लेख है वह नहीं पेश किया गया । एजेंडा में या कार्यवृत में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है । इस समय पहली बार यह आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

(वित्त मंत्री जी से) यहां संशोधन आपको करना पड़ेगा। आपने लेखानुदान पेश किया लेकिन प्रस्ताव नहीं पेश किया था ।

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, पृष्ठ १ पर लेखानुदान मैंने प्रस्तुत कर दिया....

श्री अध्यक्ष—

टिप्पणी में आपने दिया है ।

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, मैंने कहा कि मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले...

श्री अध्यक्ष—

यह तो ठीक है, लेकिन प्रस्ताव आज हो रहा है, उस रोज प्रस्ताव नहीं रखा गया था ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

वित्त मंत्री जी बेचारे घबड़ाए हुए हैं । मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें माफ कर दिया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह तो ठीक है कि हम इसे पास करना चाहते हैं लेकिन वित्त मंत्री जी उसे ढंग से दुबारा पढ़ तो दें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव तो आज उपस्थित किया विचार के लिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आप क्यों तकलीफ करते हैं । उन्हीं से पढ़वा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी गलतियों को करेक्ट कर सकता हूं, चाहे इधर की हों, चाहे उधर की हों । वित्त मंत्री जी ! आप पढ़िए ।

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों में "१९७१–७२ में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान" के विवरण में, जो २२ मार्च, १९७१ को सदन में प्रस्तुत किया गया, पृष्ठ १—३ पर दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो २,२५,५७,२२,००० रुपये से अधिक न हो ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों में "१९७१–७२ में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान" के विवरण में, जो २२ मार्च, १९७१ को सदन में प्रस्तुत किया गया, पृष्ठ १—३ पर दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो २,२५,५७,२२,००० रुपये से अधिक न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्त प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१

वित्त मंत्री (श्री काश प्रकाश)—

माननीय अक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है । उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दीजाय ।

(प्रश्न उपस्थि किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कैलाश प्रकाश—

अध्यक्ष महोद, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापि करता हूं ।

(कुछ ठहर क)

अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उार प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, ३, १ प्रस्तावना, शीर्षक तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक १९७१

१ अप्रैल, १९७१ को प्रारभ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

अतएव, भारतीय गणतन्त्र केबाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में वर्ष १९७१—७२ के लिये २,९८,८३,९९,००० रु० का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो १ अप्रैल, १९७१ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सबका कुल योग २,९८,८३,९९,००० रु० (दो अरब अट्ठानबे करोड़ तिरासी लाख निन्यानबे हजार) होता है, अधिक न हो ।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन्जन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशि का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्तवर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं। विनियोग

अनुसूची

(धाराएं २ व ३ देखें)

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशि से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	बृहत् जोत कर ..	१,३७,०००	१०००	१,३८,०००
२	भू-राजस्व ..	४,५७,७२,०००	,०००	४,५७,७८,०००
३	राज्य आबकारी ..	२०,३०,०००	,०००	२०,३१,०००
४	बिक्री-कर ..	४५,०४,०००	२,०००	४५,०६,०००
५	अन्य कर और शुल्क ..	८,०६,०००	१,०००	८,०७,०००
६	स्टाम्प	७,१७,०००	१,०००	७,१८,०००
७	निबन्धन ..	१२,९५,०००	१,०००	१२,९६,०००
८	राज्य विधान मंडल ..	२४,५०,०००	२८,०००	२४,७८,०००
९	निर्वाचन ..	३६,६०,०००	..	३६,६०,०००
१०	सामान्य प्रशासन ..	१,२७,७०,०००	,१६,०००	१,३४,८६,०००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	४,५६,६०,०००	५,०००	४,५६,६५,०००
१२	गांव सभायें और पंचायतें	९२,४४,०००	१,०००	९२,४५,०००
१३	न्याय प्रशासन ..	१,२२,०८,०००	२२,८६,०००	१,४४,९४,०००
१४	कारागार ..	१,१६,४९,०००	१,०००	१,१६,५०,०००
१५	पुलिस ..	९,५७,२७,०००	२,०००	९,५७,२९,०००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	५१,१३,०००	२३,०००	५१,३६,०००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	११,३०,०००	१,०००	११,३१,०००
१८	शिक्षा ..	३०,०५,७२,०००	१,०००	३०,०५,७३,०००
१९	चिकित्सा ..	५,५१,२०,०००	४,०००	५,५१,२४,०००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	६,०९,४०,०००	१,०००	६,०९,४१,०००
२१	कृषि सम्बन्धी विकास ..	६,५१,०३,०००	३४,०००	६,५१,३७,०००
२२	उपनिवेशन ..	१३,०००	१,०००	१४,०००
२३	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	२,२४,७९,०००	१,०००	२,२४,८०,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२४	सहकारिता ..	९३,१८,०००	१,०००	९३,१९,०००
२५	उद्योग	५,७३,०९,०००	३,०००	५,७३,१२,०००
२६	नियोजन और सम्वय ..	५,२१,७०,०००	२,०००	५,२१,७२,०००
२७	श्रम और सेवायोजन ..	१,४५,२१,०००	३,०००	१,४५,२४,०००
२८	सूचना निदेशालय ..	१२,७१,०००	१,०००	१२,७२,०००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	२,१५,४२,०००	१,०००	२,१५,४३,०००
३०	समाज कल्याण ..	२१,१३,०००	१,०००	२१,१४,०००
३१	राजस्व से किये जानेवाले सिंचाई निर्माण कार्य	११,६३,४८,०००	१,०००	११,६३,४९,०००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	४,३७,३१,०००	१,०००	४,३७,३२,०००
३३	सार्वजनकि निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	५,५१,७३,०००	१,११,०००	५,५२,८४,०००
३४	संचार साधनों का सुधार	३०,३१,०००	..	३०,३१,०००
३५	सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान ।	२,०६,९३,०००	२,०००	२,०६,९५,०००
३६	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान	७०,२३,०००	..	७०,२३,०००
३७	परिवहन ..	१३,५६,७८,०००	५२,०००	१३,५७,३०,०००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	१,००,०२,०००	३३,३४,०००	१,३३,३६,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें	१,७०,२७,०००	७६,०००	१,७१,०३,०००
४०	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	११,९२,०००	..	११,९२,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण	९८,४०,०००	..	९८,४०,०००
४२	वन	१,८९,१४,०००	१३,०००	२,८९,२७,०००
४३	प्रकीर्ण व्यय ..	३,८५,८९,०००	२,०००	३,८६,००,०००
४४	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन	७८,२४,०००	१,०००	७८,२५,०००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ।	..	१६,२२,६६,०००	१६,२२,६६,०००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	५६,३३,७९,०००	५६,३३,७९,०००
४६	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	४,५३,०५,०००	१,०००	४,५३,०६,०००
४७	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	३,४४,९०,०००	१,०१,०००	३,४५,९१,०००
४८	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	८,१९,३३,०००	..	८,१९,३३,०००
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	११,२२,०७,०००	३,०००	११,२२,१०,०००
५०	सार्वजनकि निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	८,९९,८२,०००	१,००,०००	९,००,८२,०००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	१,४३,३३,०००	९०,०००	१,४४,२३,०००
५२	पेंशनों का राशिमूल्य	२,४७,०००	१३,०००	२,६०,०००
५३	राज्य व्यापार की योजनाएं	११,९३,४८,०००	१,०००	११,९३,४९,०००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	३४,५४,६०,०००	..	३४,५४,६०,०००
	योग	.. २,२५,५७,२२,०००	७३,२६,७७,०००	२,९८,८३,९९,०००

श्री अध्यक्ष—

चूंकि इस पर कोई संशोधन नहीं है। इस कारण प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ के खंड २, ३, १, प्रस्तावना, शीर्षक तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाश प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधयक, १९७१ पारित किया जाय।

*भारित विनियोग।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज मेरे पास नियम ५६ में १ तथा नियम ५१ में ४, ५ प्रस्ताव आये हैं । मैंने कल भी कह दिया था और यह निर्णय किया था कि जिस वक्त यहां पर राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर आम चर्चा चल रही है, आप उन सभी चीजों का उसमें जिक्र कर सकते हैं । साथ ही साथ अनुपूरक अनुदान के बारे में भी जनरल डिस्कशन हो रहा है, उसमें भी आप उन सभी बातों को ला सकते हैं और इसको अलग से देने की जरूरत नहीं है । कल यह निर्णय दिया था । अलग से इस प्रकार के प्रश्न ऐसी स्थिति में उठाये नहीं जा सकते हैं यह मेरा कल भी निर्णय था और आज भी है ।

अब हम कल ११ बजे दिन तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२४ मार्च, १९७१ ।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४७ पर)

नीलाम–सूची प्लाट्स कृषि फार्म, जूनियर हाई स्कूल, कासगंज, एटा

क्रम-सं०	प्लाट नं०	नाम खरीदार	मतालवा नीलाम	तारीख नीलाम	जरेचाहरम	रसीद नं० मय दिनांक	शेष धन	रसीद नं० मय दिनांक	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	४१	श्री ख्याली राम ..	२,७००–००	७–६–६५	६७५–००	२२४५/१४ ७–६–६५	२,०२५–००	२/२६–१–६६	
२	४३	होतीलाल ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/१४ ७–६–६५	९७५–००	२८/१–१–६६	
३	४२	शंकर लाल ..	१,६००–००	,,	४००–००	२२४५/१२ ७–६–६५	१,२००–००	१३/२८–१२–६५	
४	५१	,, ..	२,७००–००	,,	६७५–००	२२४५/०९ ७–६–६५	२,०२५–००	,,	
५	५२	,, ,, ..	१,६५०–००	,,	४२५–००	२२४५/०८ ७–६–६५	१,२२५–००	,,	
६	३७	,, राम प्रकाश ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/११ ७–६–६५	९७५–००	११/३०–८–६९	
७	४५	,, जगदीश प्रसाद ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/१० ७–६–६५	९७५–००	३५/२२–१२–६५	
८	५५	,, ,, ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/०५, ७–६–६५	९७५–००	३५/२२–१२–६५	
९	२३(+)	,, जगदीश प्रसाद वास्ते डा० जय प्रकाश	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/५८ ५–७–६५	९७५–००	३६/२२–१२–६५	

सं०	प्लाट	नाम खरीदार	मतालवा नीलाम	तारीख नीलाम	जरेचाहरम	रसीद नं० मय दिनांक	शेष धन	रसीद नं० मय दिनांक	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०	५३	श्री शान्ती स्वरूप ..	१,३००–००	७–६–६५	३२५–००	२२४५/०७ ७–६–६५	९७५–००	४४/२७–१–६६	
११	५४	,, ,, ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/०६ ७–६९–६५	९७५–००	४१/२७–१–६६	
१२	४४	,, मोतीराम ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/०४ ७–६–६५ में	९७५–००	३६/२७–१–६६	
१३	३८	,, ,, ..	१,४००–००	१४–६–६५	३५०–००	२२४५/३२ १४–६–६५	१,०५०–००	,, ,,	
१४	१	,, ,,	२,७००–००	५–७–६५	६७५–००	२२४५/५४ ५–७–६५	२,०२५–००	१६१/२७–१––६६	
१५	३४	,, होतीलाल ..	१,६२५–००	७–६–६५	४००–००	२२४५/१६ ७–६–६५	१,२२५–००	४५/२८–१२–६५	
१६	३६	,, सरदार सिंह ..	१,३००–००	,,	३००–००	२२४५/१५ ७–६–६५	१,०००–००	४/२६–२–६६	
१७	२८	,, सूबेदार सिंह ..	१,३००–००	१४–६–६५	३००–००	२२४५/१९ १४–६–६५	१,०००–००	६२/३१–१–६६	
१८	२९	,, हरिओम शर्मा वास्ते श्री अवधेशचन्द्र	१,४२५–००	,,	३७५–००	२२४५/३० १४–६–६५	१,०५०–००	३९/२२–१–६६	
१९	३०	,, हरिओम शर्मा ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/३१ १४–६–६५	९७५–००	,, ,,	
२०	३५	,, बनवारी लाल ..	१,४००–००	,,	३५०–००	२२४५/२५ १४–६–६५	१,०५०–००	२९०५/७४–२९–१२–६५	

२१	२१	,, रामकुमार	..	१,४००–००	,,	३२५–००	२२४५/२१ १४–६–६५	१,०७५–००	२४/२८–१–६६
२२	२२	,, ,,	..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/२० १४–६–६५	६७५–००	२३/ ,,
२३	१६+	श्री सुरेशचन्द्र	..	१,४००–००	१४–६–६५	३५०–००	२२४५/२७ १४–६–६५	१,०५०–००	११२/२७–१–६६
२४	२०+	,, ,,		१,४००–००	,,	३५०–००	२२४५/२६ १४–६–६५	१,०५०–००	,,
२५	१३	श्री सतीशचन्द्र	..	१,४००–००	१४–६–६५	३२५–००	२२४५/२२ १४–६–६५	१,०७५–००	१११/२७–१–६६
२६	१४	,, ,,	..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/२३ १४–६–६५	६७५–००	,, ,,
२७	५	,, किशनपाल सिंह		१,४००–००	,,	३५०–००	२२४५/२४ १४–६–६५	१,०५०–००	६/२६–३–६६
२८	३	,, सतीशचन्द्र	..	१,४००–००	,,	३५०–००	२२४५/२६ १४–६–६५	१,०५०–००	२५/२८–१–६६
२९	४	,, ,,	..	१,४००–००	,,	३५०–००	२२४५/२८ १४–६–६५	१,०५०–००	,, ,,
३०	११(+)	,, विश्म्भरदयाल	..	१,४००–००	,,	३५०–००	२२४५/३३ १४–६–६५	१,०५०–००	३८/२७–१–६६
३१	१२(+)	,, ,,	..	१,४००–००	,,	३५०–००	२२४५/३४ १४–६–६५	१,०५०–००	,, ,,
३२	६	,, बाल किशन	..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/३५ १४–६–६५	६७५–००	४६/२४–१२–६५
३३	७	,, ,,	..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/३६ १४–६–६५	६७५–००	,, ,,
३४	१७	श्री नेतराम सिंह	..	२,७००–००	२८–६–६५	६७५–००	२२४५/४४ २८–६–६५	२,०२५–००	२६०५/४५ २६–१२–६५

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३५	१८	,, ,, ..	१,८००–००	,,	४५०–००	२२४५/४५ २८–६–६५	१,३५०–००	,, ,,	
३६	२७	,, नन्दकिशोर ..	१,४००–००	,,	३५०–००	२२४५/४३ २८–६–६५	१,०५०–००	३६/२८–१२ –६५	
३७	२५	,, धर्मजीत ..	२,७००–००	,,	६७५–००	२२४५/४६ २८–६–६५	२,०२५–००	२६०५/७६ २६–१२–६५	
३८	२६	,, ,, ..	१,७००–००	,,	४२५–००	२२४५/४७ २८–६–६५	१,२७५–००	,, ,,	
३९	५६	,, बाबू सिंह ..	१,३००–००	५–७–६५	३२५–००	२२४५/४९ ५–७–६५	९७५–००	१०/२७–१२ –६५	
४०	३९	,, कृष्ण गोपाल ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/५० ५–७–६५	९७५–००	१६/१६–१२– ६५	
४१	४०	,, ,, ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/५१ ५–७–६५	९७५–००	,, ,,	
४२	३१	,, प्यारेलाल ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/५२ ५–७–६५	९७५–००	३५/१६–१२– ६५	
४३	३२	,, ,, ..	१,३००–००	,,	३२५–००	२२४५/५३ ५–७–६५	९७५–००	,, ,,	
४४	९	,, राजेन्द्र प्रसाद ..	२,७००–००	,,	६७५–००	२२४५/५६ ५–७–६५	२,०२५–००	१५९/२७–१– ६६	
४५	१०	,, ,, ..	१,८००–००	,,	४५०–००	२२४५/५७ ५–७–६५	१,३५०–००	,,	
४६	२	,, चिरंजीलाल ..	१,८००–००	,,	४५०–००	२२४५/५५ ५–७–६५	१,३५०–००	१६०/२९–१– ६६	

नोट :—(+) इन व्यक्तियों के दावों पर न्यायालय से निर्णय दिया है कि इन्हें तुरन्त कब्जा दिया जाये अथवा रुपया वापिस किया जाये ।

नत्थी "ख"

(देखिये तां० प्र० सं० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

मांग	स्थित
१—राज्य कोषागार से वेतन वितरण किया जाय।	१—ऐसा करना सम्भव नहीं है।
२—बी० टी० सी० एवं जे० टी० सी० शिक्षकों को सी० टी० वेतन-क्रम प्रदान किया जाय।	२—हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट पास बी०टी० सी० अध्यापकों को जे० टी० सी० का पुनरीक्षित वेतन-क्रम दे दिया गया है। जे० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को पुनरीक्षित सी० टी० वेतन-मान देने का प्रश्न विचाराधीन है।
३—महंगाई भत्ते में समानता दी जाय।	३—शासन ने यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया है।
४—कोठारी आयोग द्वारा संस्तुत वेतन-मान क्रियान्वित किये जायें।	४—ऐसा करना सम्भव नहीं है।
५—माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय।	५—ऐसा करना सम्भव नहीं है।
६—संगीत, क्राफ्ट, कला, व्यायाम, आशुलिपि एवं टंकण, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान आदि विषयों के अध्यापकों तथा विज्ञान के प्रदर्शकों के वेतन-मानों में संशोधन किया जाय।	६—आदेश कर दिये गये हैं कि उन अध्यापकों को प्रवक्ता वेतन-क्रम दिया जाय जो उसी विषय के उत्तरस्नातक हों जिसे वह इन्टर कक्षाओं को पढ़ाते हैं। अन्य अध्यापकों को एल० टी० वेतन-क्रम दिया जायगा। विज्ञान प्रदर्शकों के विषयों में विचार किया जा रहा है। आशुलिपि तथा टंकण के अध्यापकों का प्रश्न भी विचाराधीन है।

नत्थी "ग"

(देखिये पीछे पृष्ठ १५५ पर)

प्रश्न	उत्तर
७—क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १-१-७० के बाद प्रादेशिक सरकार की तरफ से चीनी मिलों में कोई रिसीवर नियुक्त किये गये और कौन-कौन लोग नियुक्त हुये। उनकी नियुक्ति के बाद कितना-कितना रुपया फैक्ट्री ने किसानों का और सरकार का अदा किया ?	की तरफ से चीनी मिलों में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किये गये। कथित रिसीवर यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा नियुक्त किये गये। संबंधित चीनी मिलों व उनमें नियुक्त किये गये रिसीवरों के नाम की सूची संलग्न तालिका 'क' में दी हुई है। रिसीवरों की नियुक्ति के बाद ३०-४-७० तक संबंधित मिलों ने बकाये का जो रुपया किसानों का व सरकार का अदा किया उसका विवरण संलग्न तालिका 'ख' के स्तम्भ ७ में दिया हुआ है।

तालिका "क"

क्रम-सं०	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम	नियुक्त किये गये रिसीवर का नाम	नियुक्ति की तिथि	मुक्त होने की तिथि
१	२	३	४	५	६
१	रामपुर ..	रजा बुलन्द शुगर मिल्स ..	सर्वश्री जी० पन्त	३–३–१९७०	२४–३–१९७०
			मान सिंह ..	२४–३–१९७०	अभी हैं ।
२	गोरखपुर ..	महावीर शुगर मिल्स सिसवा बाजार ..	आर० सी० वर्मा ..	५–३–१९७०	१०–३–१९७०
			चन्दन सिंह ..	११–३–१९७०	३–५–१९७०
			बृजेश कुमार ..	४–५–१९७०	७–५–१९७०
			हरिमाधव शरन ..	८–५–१९७०	*अभी हैं ।
३	बाराबंकी ..	दी बुढ़वल शुगर मिल, बुढ़वल ..	बी० एन० श्रीवास्तव	५–३–१९७०	९–३–१९७०
			पी० के० मिश्रा ..	९–३–१९७०	अभी हैं ।
४	मुजफ्फरनगर	सर शादीलाल शुगर मिल, मंसूरपुर ..	जी० डी० पुनेठा ..	४–३–१९७०	४–५–१९७०
५	बरेली ..	हच० आर० शुगर फैक्ट्री ..	रघुबीर सिंह ..	४–३–१९७०	९–३–१९७०
			पी० बी० घाटे ..	९–३–१९७०	अभी हैं ।*
६	फैजाबाद ..	कमलापत मोती लाल शुगर मिल, मोती नगर ..	राम कृष्ण दूबे ..	४–३–१९७०	९–३–१९७०
			महेश प्रसाद मिश्रा	९–३–१९७०	अभी हैं ।*
७	बिजनौर ..	धामपर शगर मिल धामपुर ..	मदन मोहन गुप्ता ..	४–३–१९७०	११–३–१९७०
८	सहारनपुर ..	गंगा शुगर कारपोरेशन, देवबन्द ..	डी० पी० सिंह ..	५–३–१९७०	११–३–१९७०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
९	सहारनपुर ..	लार्ड कृष्ण शुगर मिल	.. कु० एम० एस० सक्सेना	५-३-१९७०	११-३-१९७०
१०	,, ..	महालक्ष्मी शुगर फैक्ट्री, इकबालपुर	.. ओ० पी० दूबे ..	५-३-१९७०	१२-३-१९७०
११	मेरठ ..	जसवन्त शुगर मिल्स	.. हर दत्त पान्डे ..	४-३-१९७०	९-३-१९७०
			आर० एस० माथुर ..	९-३-१९७०	अभी हैं ।*
१२	बुलन्दशहर ..	पन्नीज शुगर मिल्स	.. करार हुसैन ..	३-३-१९७०	७-३-१९७०
			हरि माधव शरन ..	८-३-१९७०	६-५-१९७०
			चन्दन सिंह ..	६-५-१९७०	अभी हैं ।
१३	देवरिया ..	देवरिया शुगर मिल्स	.. के० एल० माथुर ..	४-३-१९७०	२१-३-१९७०
१४	,, ..	रामकोला शुगर मिल्स	.. बी० एम० सिंह ..	८-३-१९७०	२१-३-१९७०
१५	,, ..	श्री सीताराम शुगर कं०, बंतालपुर	.. सी० एस० गुप्ता ..	४-३-१९७०	२१-४-१९७०
			.. बी० डी० महेश्वरी	२१-४-१९७०	अभी हैं ।*
१६	,, ..	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, भटनी	.. जी० पी० अखिला ..	४-३-१९७०	९-५-१९७०
			जी० एस० तिवारी ..	९-५-१९७०	अभी हैं ।
१७	,, ..	विष्णु प्रताप शुगर मिल, खड्डा	.. रमा शंकर सिंह ..	४-३-१९७०	१०-३-१९७०
			परमात्मा सिंह ..	१०-३-१९७०	अभी हैं ।*
१८	,, ..	रामकोला (खैतान)	.. बी० एस० वर्मा ..	४-३-१९७०	८-४-१९७०
			बी० एम० सिंह ..	८-४-१९७०	अभी हैं ।*
१९	मुरादाबाद ..	अमरोहा	.. आर० एस० माथुर	२३-२-१९७०	१५-३-१९७०
			आर० के० दुबे ..	१६-३-१९७०	२६-३-१९७०
			राम निवास ..	२७-३-१९७०	अभी हैं ।*

*इन रिसीवरों को उच्च न्यायालय ने कार्य करने से रोक दिया है ।

तालिका (ख)

(लाख रुपयों में)

क्रम-सं०	मिल का नाम	दिनांक ३०-४-७० तक जो भुगतान किया गया				योग
		पुराना		वर्ष १९६९-७० का		
		गन्ना मूल्य	उपकर/क्रय-कर	गन्ना मूल्य	क्रय-कर	
१	२	३	४	५	६	७
१	इकबालपुर	०.४४	५.६३	६८.३७	३.६०	७८.०४
२	सहारनपुर	१.०९	६.२४	४६.२१	४.०९	५७.६३
३	देवबन्द	०.०९	११.०५	८८.२५	३.६३	१०३.०२
४	मन्सूरपुर	०.०१	७.९७	७७.२६	५.०७	९०.३१
५	जसवन्त (मेरठ)	१.९४	४.३२	१३.६९	..	१९.९५
६	पन्नीजी (बुलन्दशहर)	..	..	२९.३९	..	२९.३९
७	धामपुर	२.४३	..	८४.८१	३.२४	९०.४८
८	बरेली	..	०.५०	३७.१६	..	३७.६६
९	मसोधा	२.१५	..	३२.९४	..	३५.०९
१०	सिसवा बाजार	०.०७	०.२४	२५.७४	..	२६.०५

१	२	३	४	५	६	७
११	बैतालपुर	..	..	२८.८३	..	२८.८३
१२	देवरिया	०.०१	..	२१.६६	१.११	२३.११
१३	खड्डा	१.३८	..	१३.३६	०.४०	१५.१४
१४	रामकोला	१.०६	६.०५	८०.७१	२.१४	८६.६६
१५	रामकोला (खेतान)	०.६१	..	१७.२८	..	१८.१६
१६	भटनी	१.५०	..	११.४८	..	१२.६८
१७	रामपुर	१.१०	..	४६.००	..	५०.१०
१८	बुढ़वल	..	..	२४.१२	..	२४.१२
१६	अमरोहा	०.१०	१.६१	५५.८७	१.१६	५६.७०
	योग ..	१४.२८	४३.६१	८०६.४६	२४.४७	८८६.१२

पी० यस० यू० पी०—ए० पी० १७ एल० ए०—१६७१—८४५ (मैग०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा